Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या १५

दिनांक, ३१ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, वित्त, राजस्व, नियुक्ति, समाज कल्याण, खनिज, पुनर्स्थापन तथा पुरातत्व विभाग]

प्रश्न संख्या १६१

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जिला जालोर व सिरोही में अफीम का ठेका

१६२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर - श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिला जालोर व सिरोही में अफीम का ठेका १ अप्रेल, सन् १९५९ से दिया गया है ? यदि हां, तो, किसको व किस आधार पर ?

उप-मंत्री, अतिरिक्त राजस्व (श्री सम्पतराम) : जी नहीं।

श्री अनूपसिंह : तो किसी को ठेका दिया ही नहीं गया ?

श्री सम्पतराम : मैंने जवाब दिया कि जी नहीं।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं। जहाँ पर वितरण हो रहा है वहाँ पर कुछ कमीशन एजेन्ट्स की मार्फत काम किया गया है, लेकिन ठेका किसी को नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या १६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री गिरधारीलाल ।

हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता की सूची

१६४. **श्री गिरधारीलाल (नोखा) :** क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(क) क्या हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता की सूची सरकार की ओर से बनाई गई है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(ख) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर प्रमोशन के समय उक्त सूची को ध्यान में नहीं रखा जाता व नये सिरे से इस पद के लिये साक्षात्कार लिया जाता है?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हाँ । प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता की सूची सर्व प्रथम सन् १९५२ में एकीकरण के सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई थी ।

दूसरी सन् १९५५ में प्रधानाध्यापकों के पद के लिए निर्धारित योग्यता या अनुभव जिस अध्यापक ने जिस वर्ष प्राप्त किया उस वर्ष के अनुसार सरकार द्वारा बनाये गये सलेक्शन बोर्ड ने बनाई जिसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति हो गई ।

तीसरी सूची भी सन् १९५७ में सरकार द्वारा स्थापित सलेक्शन बोर्ड ने ही बनाई थी और उसके लिये भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी सहमति दे दी है । सन् १९५७ में चुने गये प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता निम्नलिखित आधारों पर बनाई गई है :—

(१) विलीनता से पूर्व नियुक्त हुए व्यक्ति जो हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पदों के लिये चुने गये उनकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति की तारीख से रखी गई और विलीनता के पश्चात् नियुक्त हुए व्यक्ति जो प्रधानाध्यापकों के पद पर चुने गये उनकी वरिष्ठता ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में प्रमोशन की तारीख से रखी गई ।

(२) अजमेर के अध्यापक जो एकीकरण के समय हाई स्कूलों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक थे और जो सलेक्शन बोर्ड द्वारा चुन लिये गये उनकी वरिष्ठता कार्यवाहक प्रधानाध्यापक होने की तारीख से अजमेर राज्य की निर्धारित वरिष्ठता ध्यान में रखते हुए रखी गई ।

(३) अजमेर सरकार द्वारा अधीनस्थ किये हुए स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता उन स्कूलों को सरकार द्वारा लिये जाने की तारीख से रखी गई ।

(४) मल्टीपरपज व हायर सेकन्ड्री स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता की सूची उनकी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के पद पर निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार बनाई गई ।

(ख) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्तियां प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता सूची के अनुसार की जाती है । चूंकि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल की पोस्ट सलेक्शन पोस्ट है । अतः इस पद के लिए स्थाई नियुक्तियां मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर सलेक्शन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति लेकर ही की जाती है ।

Page No.3

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ग) इसका उत्तर (ख) में दे दिया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह पवार (अजमेर—पूर्व) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने जवाब के पेराग्राफ २ में फरमाया कि लोक सेवा आयोग की सहमति होगी, क्या यह थी या नहीं? आपके उत्तर में देखिये दूसरे पेराग्राफ को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या अजमेर के सम्बन्ध में क्या?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सेकिन्ड पेराग्राफ को पढ़ लें। उसमें आपने कहा कि अनुमति होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी सन् १६५५ में प्रधानाध्यापक के पद के लिए निर्धारित योग्यता या अनुभव जिस अध्यापक ने जिस वर्ष प्राप्त किया उस वर्ष के अनुसार सरकार द्वारा बनाये गये सलेक्शन बोर्ड ने बनाई, जिसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट में चरागाह की भूमि को गैर काश्तकारों को खातेदारी पर दिया जाना

१६५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसीलदार लालसोट, ग्राम सिदोली के खसरा नम्बर १४८ में १२२ बीघा जमीन चरागाह के नाम से जागीर के जमाने से ही चली आ रही थी, जिसमें से ८५ बीघा २ बिस्वा जमीन तहसीलदार लालसोट ने किन्हीं गैर काश्तकारों को खातेदारी पर दि ७-१२-५६ को दे दी? क्या सरकार को यह भी विदित है कि ग्राम सिदोली में ६२५ मवेशी हैं और कायदे के अनुसार फी मवेशी हर बीघा के हिसाब से ३१२।१।२ बीघा जमीन चरागाह के लिए होती है तथा अब वहाँ केवल ३७ बीघा जमीन ही रह जाती है?

(ख) क्या उपरोक्त विषय में ग्राम सिदोली की जनता ने ४० दरख्वास्तें सम्बन्धित अधिकारियों को दी मगर आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई?

(ग) क्या टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम, सन् १६५६ के नियम ६ और टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ (१) के अनुसार गोचर भूमि पर खातेदारी हक पैदा नहीं होने का प्रावधान है?

(घ) क्या सरकार इस पर विचार करके जो जमीन ८५ बीघा चरागाह को खातेदारी पर दी गई है, जो सन् ५७ तक चारागाह थी उसे वापिस चारागाह के हेतु रखेगी? यदि हां, तो कब?

उप-मंत्री राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) जागीर के समय का रेकॉर्ड नहीं है। खसरा नम्बर १४८ ८५: २ की जमीन चारागाह की नहीं है। बंजड़ दोयम है यह जमीन रामपाल, छोटू, मंगल्या वगैरह चमारान ग्राम सिदोली को ८-१२-५६ को अलॉट की गई।

कुल मवेशी ५७६ हैं जिनके लिये चारागाह २८० बीघा होना चाहिये था परन्तु सैटलमेन्ट के वक्त ३६।।।३ चारागाह के लिए

Page No.4

(श्री सम्पतराम)

निकाली गई।

(ख) दरख्वास्त जनता सिटोली की प्राप्त हुई थी जो बाद तहकीकात खारिज कर दी गई और जिलाधीश को सूचित कर दिया गया।

(ग) जी हां, बंजड़ भूमि ही अलॉट की गई। चारागाह की नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पद पर कार्य करनेवाले आर. ए. एस. ऑफिसर्स

१६६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) जनवरी, १९५६ में कौन कौन आर. ए. एस. ऑफिसर्स कब कब से हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं?

(ख) आर. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट में ये अधिकारी किस नम्बर पर हैं तथा इनको किस ग्रेड में क्या वेतन मिल रहा है?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) इस सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट 'अ' में दी गई है, जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) परिशिष्ट 'अ' में इन अधिकारियों के नाम के समक्ष इनका सीनियोरिटी लिस्ट में नम्बर तथा ग्रेड व वेतन अंकित है, जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट १ देखिए]

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द।

सिरोही स्टेट के सोनेश्वरजी देवस्थान के सदस्य

१६७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर-श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सिरोही स्टेट के सोनेश्वरजी देवस्थान के कौन-कौन सदस्य हैं?

(२) क्या सरकार के इस प्रकार के नियम हैं कि जिस मेम्बर में देवस्थान की रकम बकाया हो, वह देवस्थान बोर्ड का ट्रस्टी नहीं बन सकता है?

(३) यदि हां, तो सिरोही देवस्थान बोर्ड व सोनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड के किन-किन व्यक्तियों (ट्रस्टियों) में देवस्थान की रकम बकाया है और वह कब से बकाया है तथा उनको ट्रस्टी रखने के क्या कारण हैं?

(४) क्या सरकार जिन ट्रस्टियों में देवस्थान की रकम बकाया है, उन्हें हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उपमन्त्री राजस्व : (श्री संपतराम): सिरोही जिले में सोनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड

Page No.5

(श्री संपतराम)

की कोई संस्था नहीं है। सिरोही में देवस्थान बोर्ड, सिरोही नाम की संस्था अवश्य है जिसके अन्तर्गत श्री सोनेश्वरजी का भी इन्तजाम है। इस बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१. हर हाईनेस श्री राजमाता साहेबा, सिरोही।

२. हिज हाईनेस महाराज श्री अभयसिंह सिरोही।

३. श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट।

४. ठाकुर श्री बलवन्तसिंह, पाडीव।

(२) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(३) यह कहा जाता है कि श्री सोनेश्वरजी का बकाया हिज हाईनेस में पुराना है जिसे प्राईवेट सेक्रेटरी, हिज हाईनेस खारजुल मियाद बताते हैं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयचन्द्र मोहिल।

समाज कल्याण विभाग के प्रशिक्षण हेतु बाहर जाने वाले कर्मचारी

१६८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजे जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो किस-किस साल में किन-किन व्यक्तियों को प्रारम्भ से अब तक भेजा गया ? भेजे जाने वाले व्यक्तियों के नाम, जाति, क्वालिफिकेशन और विभाग में नियुक्ति व पद स्पष्ट अंकित कर, सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) अब तक भेजे कुल व्यक्तियों में अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ी जाति के कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं ?

(४) यदि इनमें से अब तक उक्त जातियों का कोई सदस्य नहीं भेजा गया, तो क्यों ?

उप मन्त्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुल ५ व्यक्ति भेजे गये, जिनमें एक अधिकारी पिछड़ी जाति के हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री जयचन्द्र मोहिल : प्रश्न नहीं उठने का क्या कारण है ? क्या यह समाज कल्याण विभाग है इसलिये ?

श्री भीखाभाई : पिछड़ी जाति का आदमी भेजा है इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयचन्द्र मोहिल : ऐसे व्यक्ति किस जाति के हैं और किस पद पर तैनात हैं ?

Page No.6

श्री भीखाभाई : विभाग के बारे में सदन की मेज पर जो सूची रखी है उसमें बताया है। नाई जाति का है और सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : श्री एन० एन० चौरदिया किस जाति के हैं और उनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है?

श्री भीखाभाई : वे सहायक संचालक हैं और उनको इमर्जेंसी लीव ट्रेनिंग में भेजा था।

श्री जयचन्द्र मोहिल : उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है?

श्री भीखाभाई : सूची में दर्ज है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या वे इन्टर-मीजियेट हैं?

श्री भीखाभाई : सूची में लिखा हुआ है शायद आपने पढ़ा नहीं है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह समझा जाये कि वे समाज कल्याण विभाग में सहायक संचालक हैं?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या इस क्वालि-फिकेशन के लोग सहायक संचालक बनाये जा सकते हैं?

श्री भीखाभाई : जी हां। वे पुराने हैं और पुराने लोगों को सिलेक्ट करने के लिये जो सुप्रीम बोर्ड बनी हुई थी उसको सलेक्ट करने का पूरा अधिकार था। उसके द्वारा सिलेक्ट किये गये और कन्फर्म हो गये। उसके बाद में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या इनसे पुराने बी० ए० पास लोग इस विभाग में मौजूद हैं और इन्सपेक्टर के पद पर हैं?

श्री भीखाभाई : सवाल है सीनियोरिटी का और योग्यता का। वे पुराने हैं और अनुभवी हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। श्री पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सूची प्रश्नकर्ता द्वारा डाइरेक्ट प्रश्न में मांगी जाय वही हाउस की टेबल पर रखी जाय और अगर उनके द्वारा सूची नहीं मांगी जाय तो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाना चाहिये ताकि दूसरे मेम्बर साहबान भी प्रश्न कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : It is on the table.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : टेबल पर जो चीज रखी जाती है वह तो प्रश्नकर्ता को ही मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes Mr. Yadav.

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उप-मन्त्री जी ने बतलाया कि जो कर्मचारी भेजे गये वे जाति के नाई थे, मैं जानना चाहता हूं

Page No.7

(श्री अमृतलाल यादव)

कि नाई शिड्यूल कास्ट में आते हैं या शिड्यूल ट्राइब्स में आते हैं या अदर बैकवार्ड कास्ट में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : अदर बैकवार्ड क्लासेज में।

श्री अमृतलाल यादव : Definitely Not Sir.

श्री जयचन्द्र मोहिल : कुल कितने भेजे गये थे ?

श्री भीखाभाई : कुल पांच भेजे गये, उनमें से एक नाई जाति के थे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कुल कितने भेजे गये थे ? How many were sent

श्री भीखाभाई : I said five.

श्री लक्ष्मण हिरात : क्या...

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

हाई स्कूल, बालोतरा की जमीन में किराये पर रहनेवाले व्यक्ति

१६६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर- श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हाई स्कूल, बालोतरा, जिला बाडमेर की जमीन में कौन कौन व्यक्ति किराये पर रहते हैं और कितना कितना किराया कब कब से बकाया है तथा उसके अभी वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जो जो व्यक्ति रहते हैं उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये लोग करीब १५ वर्ष से इस जमीन पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। इनको जमीन खाली करने तथा किराया चुकाने के लिये जिलाधीश बाडमेर द्वारा नोटिस दे दिये गये हैं और केस जिलाधीश, बाडमेर के यहां चल रहा है। किराये का अभी असेसमेन्ट नहीं हुआ है।

(२) स्कूल की भूमि जिसका खसरा नम्बर ३१८ व ३१६ है का क्षेत्रफल १५,३६१ वर्ग गज है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री अनूपसिंह : यह जमीन सरकार ने कब अपने हाथ में ली है यानि कब एक्वायर की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक्विजिशन का मुझे पता नहीं। दूसरों के हाथ में है उस बारे में मैं बता सकता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कलेक्टर की ओर से नोटिसेज कब दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सन् १६५६ से पहले दिये गये हैं। ५६ में उनकी तरफ से जवाब भी आया है। उस पर एस० डी० ओ० के ऑफिस में विचार किया गया, असेसमेंट की कार्यवाही शुरू की गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : तीन साल में असेसमेंट क्यों नहीं किया गया ?

Page No.8

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनमें कई लीगल कॉम्लीकेशन्स आ जाती हैं उनमें समय लग जाता है।

श्री अनूपसिंह : वहां लीगल कॉम्पली-केशन की बात नहीं थी। उनको नोटिस सरकार ने दिया था उस बारे में उनमें कितनी बकाया है और बकाया की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कार्यवाही के बारे में तो बताया कि नोटिस दिया गया है स्थान खाली करने के लिये और बकाया रकम देने के लिये।

श्री अनूपसिंह : कुल कितनी रकम बकाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी असेसमेंट पूरा नहीं हुआ है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर-पूर्व) : नोटिस के बाद कोई और कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् प्रश्न तो वाजिब है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अब वह रह गया है।

नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

खानों के ठेकों के अन्तर्गत दिया गया भूमि-क्षेत्र

१७० श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

Will the Minister for Mines be pleased to state :—

(a) What is the area of land given under mining leases to the following parties, viz :—

1. Pusalal Mansinghka,
2. Gyan Mal Kothari,
3. Shri Charan Mathur ?

(b) What are the terms and conditions of these leases ?

(c) How much dead rent and royalty the Government has received so far from these parties ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीखाभाई) :

1. Seth Pusalal Mansighka :

3899 acres (36 blocks) Mica) Under
1324 „ (4 „) Mica) M. L.
1205 „ Beryl)
80 „ Aspestes)

2. Shri Gyan Mal Kothari :
560 „ U/120 (P. L.) Mica.

3. Shri Shivcharan Mathur:

No area is being held by him.
The terms and conditions are as per list placed on the table of the house.

Page No.9

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : As per list placed on the table of the House but I did not receive it Sir. Even at 11 O'clock, enquired from the Notice Office.

श्री भीखाभाई : I am informed that it is there.

श्री पी०के० चौधरी: Definitely not Sir. I have enquired.

श्री भीखाभाई : All these questions were to be taken on 17th.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of Order, Sir. Under the established procedure unless a Member asks something to be laid on the table of the House normally an answer is to be given orally. It is not necessary that...

श्री भीखाभाई : Sir, the list pertains to 17th...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I have put a point of order. According to the established procedure in the Parliament and Assembly whatever starred questions are put unless a Member says that it will be placed on the table of the House the answer should come orally.

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that it is not necessary under Rule 42 of our procedure.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : He could read out.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On oral replies to the questions, the entire House can put supplementaries.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : But that is not *

श्री उपाध्यक्ष : That is for the House to see and the House will accept the observations. Mr. Chaudhary you wanted to know about the Royyalt ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir.

श्री भीखाभाई : I let you know.

1. Seth Pusalal Mansinghka :

3399 acres deadrents @ 8/-p. a. per acre & as per MCR 1949 amended from time to time.

1324 acres	@	Rs. 8/-	-do-	-do-
1205	„	Rs. 5/-	-do-	-do-
80	„	Rs. 1/-	-do-	-do-

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.10

(श्री भीखाभाई)

2. Shri Gyan Mal Kothari 560 „ U/120 „ Re. 1/- -do- -do-
(P. L.)

3. Shri Shivcharan Mathur. Question does not arise.

1. Seth Pusalal Mansinghka.

3899 acres (36 blocks) Mica 1.11.52 to 31.10.53 acres

Deadrent Rs. 22,800/- Royalty Rs.

2. & 1324 acres (4 blocks) Mica. 2.11.53 to 31.10.54 2850 acres

Deadrent Rs. 22,800/- Royalty Rs 23,5 3/8/-

		Deadrent	Royalty
1.11.54 to 31.10.55	2850 acres	Rs. 29,793,31	Rs.
(From 1.1.1955 plus 1049 „)			
1.11.55 to 31.10.56	3899 „	Rs. 32,890,33	Rs.
(From 1.9.56 plus 1324)			
1.3.57 to 31.9.57		Rs. 41,784/-	Rs.
(Royality in mica in balance on)			
30.9.57/1.10.57 to 31.10.57.		—	Rs. 55,263/-
1.11.57 to 31.10.58		Rs. 41,784/-	Rs. 31,099/-33 nP.
1.11.58 to 30.4.59		Rs. 20,892/-	

1205	„	Beryl.	Rs. 6,025/-	Rs. 31,402/-72 nP.
				upto 19.9.58
80	„	Aspestas	Rs. 640/-	Rs. 2,699/-72 nP.
				26.2.59.

2. Shri Gyan Mal Kothari, Mica 560 acres.

P. L. Fee 560/ Rs. 381/40 nP.
From Nov. 57 to Oct. 58.

3. Shri Shivcharan Mathur Question does not arise.

Page No.11

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know how much is still to be recovered?

श्री भीखाभाई : The party has already filed a suit claiming that the Government is not entitled to recover the dead rent for the first part and the dispute is going on and final settlement has not been received.

श्री पी० के० चौधरी : What is the amount now recoverable from the party?

श्री भीखाभाई : The matter is under dispute.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Is it a fact that the party is not claiming for injunction from the Court restoring, recovery...

श्री भीखाभाई : He is not.

श्री पी० के० चौधरी : It is correct that Sri Shivcharan applied but could not get while Mansinghki have been given lease event after that?

श्री भीखाभाई : In fact there is no lease standing in the name of Shri Shivcharan.

श्री पी० के० चौधरी : I am not asking that he has applied earlier.

श्री भीखाभाई : I cannot say did he apply. You wanted to know whether is any lease standing, I have replied there is no.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

पुनर्स्थापन विभाग के कर्मचारियों को स्थाई विभाग में लीन देना

१७१ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : क्या पुनर्स्थापन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकार ने फरवरी सन् ५७ में विलीनीकरण के पूर्व की इकाइयों के पुनर्स्थापन विभाग के कर्मचारियों को स्थाई विभाग में लीन देने के बारे में कोई निर्णय किया था ?

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कदम उठाये गये ? यदि कुछ कर्मचारियों को स्थाई विभागों में अभी तक लीन दे दिये गये हैं, तो ऐसे समस्त कर्मचारियों की एक सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) यदि राजस्थान सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री पुनर्स्थापन (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम चोमा (दीगोद) की प्राथमिक शाला की मरम्मत

१७२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-द्.) : क्या पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.12

(श्री रामनारायण वर्मा)

(क) क्या यह सही है कि ग्राम चोमा, तहसील दंगोद में महादेव का अति प्राचीन मन्दिर स्थित है ?

(ख) क्या मन्दिर के अन्तर्गत एक तिवारा है जिसमें प्राथमिक शाला चल रही है और जिसके खम्भे नीचे से कट जाने से शीघ्र ही टूट जाने की सम्भावना है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

पुरातत्त्व मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) मन्दिर से हट कर एक तिवारा है जिसमें पाठशाला चलती है। खम्भे पुराने होने के कारण नीचे से खिरने शुरू हो गये हैं, परन्तु इन खम्भों के शीघ्र ही टूट जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) यह मन्दिर भारत सरकार के अधीन है, इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा इसकी मरम्मत कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार वहां दूसरी पाठशाला बनाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां केवल ३० विद्यार्थी हैं, इसलिये सरकार की तरफ से पाठशाला बनाने का प्रश्न नहीं है। वहां के लोग इसके लिए कोशिश करेंगे तो सरकार का सहयोग मिलेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जब वहां शाला अच्छी चल रही है तो क्या सरकार भारत सरकार से इन खम्भों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि खतरे जैसी कोई बात नहीं है। वैसे आरकोलॉजिकल विभाग देखता है, अगर कोई बात होगी तो वह आवश्यक कार्यवाही करेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार भारत सरकार को लिखे और इसकी दुरुस्ती कराई जाय, जिससे विद्यार्थियों को खतरा न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

हरिजन बस्तियां

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि योजनाबद्ध हरिजन बस्तियों को बसाने के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से अधिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? सहायता के आधार तथा नियमादि क्या हैं ?

(ख) क्या इन बस्तियों में हरिजनों के साथ कोई सवर्ण भी बसना चाहें तो सरकार उन्हें भी वही सुविधा देने का विचार रखती है ?

(ग) क्या जयपुर शहर में इस प्रकार की बस्ती बसाने की कोई योजना है ?

Page No.13

(डॉ० चन्द्रकला)

(घ) राजस्थान भर में कहां कहां, कब और कितनी ऐसी हरिजन बस्तियां बनाई जा चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्री भीखा भाई) : (क) जी हां, सहायता दी जाती है। हरिजन बस्तियों को बसाने के लिये सरकार द्वारा कच्चे मकान के लिए प्रति परिवार ५०० रु० व पक्के मकान के लिये प्रति परिवार ७५० रु० की आर्थिक सहायता तथा बस्ती को (१) एक पंचायत घर व पाठशाला इमारत लागत ६,००० रु० (२) एक पानी पीने का कुआं लागत २,००० रु० (३) शिशु उद्यान व बस्ती सड़क निर्माण कीमत ५,००० रु०, की सरकार द्वारा सुविधायें दी जाती हैं। मकानों के लिए ऐसी सहायता साधारणतया उन हरिजनों को दी जाती है जो बस्ती अथवा ग्रुप में बसने को तैयार हों। यह सहायता निम्न आधार पर दी जाती है:—

१. परिवार को मकान की वास्तविक आवश्यकता हो।

२. प्रार्थी के पास मकान बनाने के लिये अपनी निजी भूमि हो।

३. प्रार्थी स्वयं रकम लगा कर अथवा श्रम द्वारा मकान पूरा करने को सहमत हो।

४. मकान सहायता के नियम अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) हरिजन बस्ती में बसने वाले सवर्णों को सहायता देने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां, जयपुर में ऐसी योजना आगरा रोड पर अमृतपुरी बस्ती बसाने के लिये तैयार की है।

(घ) राजस्थान में ऐसी हरिजन बस्तियां नहीं बसी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि सरकार ने हसनपुरा में एक इसी प्रकार की हरिजन बस्ती बनाने की योजना बनाई है ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी मुझे इस वक्त नहीं है क्योंकि इसका हमारे विभाग से ताल्लुक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या इन हरिजन बस्तियों में प्योर हरिजनों को बसाया जाता है या ये मिक्स बस्तियाँ हैं जिनमें सवर्णों को भी बसाया जाता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि मिक्स बस्ती बसाने की योजना है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि हसनपुरा के हरिजनों ने संचालक, समाज कल्याण विभाग के पास इस तरह की योजना के बारे में आवेदन-पत्र दिया है और उन्होंने अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से पूछ कर निश्चित किया है कि इस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अमृतपुरी बस्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हसनपुरा के बारे में माननीय सदस्या जानकारी दे रही हैं, वह मेरे पास नहीं है और न इस विभाग से सम्बन्धित है।

Page No.14

डॉ० **चन्द्रकला** : क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न जयपुर हरिजन बस्तियाँ के बारे में पूछा है। हसनपुरा की जो हरिजन बस्ती है वह जयपुर शहर के अन्तर्गत आती है। माननीय मन्त्रीजी इस सवाल को टालने की कोशिश क्यों करते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसका समाज कल्याण विभाग से सम्बन्ध नहीं है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से सम्बन्ध हो सकता है जिसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्या बार-बार सवाल पूछती हैं, मैं क्या जवाब दूं।

(हंसी)

डॉ० **चन्द्रकला** : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Well any other question ?

डॉ० **चन्द्रकला** : जब यह संचालक, समाज कल्याण विभाग की जानकारी में बनी हैं और माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि इस विभाग की योजना नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार यह उचित समझती है कि छूआछूत के भेद को मिटाने के लिए हरिजन बस्तियां न बनाई जायं ?

श्री भीखाभाई : एक राज्य मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें निश्चय किया कि हरिजन बस्तियों में सवर्णों को बसाया जाय। अब तक यह नहीं था। जयपुर में जो बस्तियां बसाई गई हैं, उनके लिए जो सहायता दी गई है, वह इस प्रकार के व्यक्तियों को दी गई है जो सवर्णों के साथ रहते आये हैं। इसी योजना के अन्तर्गत सवर्ण लोगों को सहायता देने का विचार कर रहे हैं।

डॉ० **चन्द्रकला** : समाज कल्याण विभाग मन्त्री को इस बात की जानकारी है वे इस पर प्रकाश डाल दें तो अच्छा हो।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सं० १७४।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : १७५।

मन्त्री, समाज कल्याण : (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : मैं उस मीटिंग में जरूर गया था,

(करतल ध्वनि)

लेकिन समाज कल्याण विभाग में उनका कोई आवेदन-पत्र आया है, उस पर विचार हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या १७४।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : १७५।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि समाज कल्याण विभाग में आवेदन-पत्र आया है तो इसकी व मुझे जानकारी नहीं है।

(करतल ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दा साहब की एक-एक झोंपड़ी सब बस्तियों में बसा दी जाय।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

तहसील रायपुर, जिला पाली में समाज कल्याण केन्द्र की स्थापना

१७५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर, जिला पाली में समाज कल्याण केन्द्र स्थापित कराने की स्वीकृति हो चुकी है?

(२) यदि हां, तो अब तक केन्द्र चालू न करने के क्या कारण हैं?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, रायपुर तहसील, जिला पाली में समाज कल्याण केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति हो चुकी है।

(२) समाज कल्याण योजना, जिसके अन्तर्गत केन्द्र चालू किये जाते हैं, को प्रारम्भ करने के लिए संचालक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में १३ सदस्य होते हैं, जिसके लिए ७ नाम सदस्या, राज्य बोर्ड द्वारा, ३ नाम जिलाधीश द्वारा व ३ नाम विकास अधिकारी द्वारा सुझाये जाते हैं। सदस्या, राज्य बोर्ड ने ७ नाम के सुझाव दे दिये हैं किन्तु जिलाधीश एवं विकास अधिकारी द्वारा सदस्यों के नामों के सुझाव नहीं भिजवाये गये हैं। ज्योंही ये नाम आ जायेंगे योजना का प्रकरण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भिजवाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री शंकरलाल : स्वीकृति कौन सी तारीख को हुई?

श्री भीखाभाई : बहुत समय हो गया है, फरवरी के महीने में हुई थी। जिलाधीश और विकास अधिकारी के यहां से आवश्यक जानकारी मांगी है जो उन्होंने भेजी नहीं है। जानकारी नहीं आने से संचालक समिति का गठन नहीं किया गया है।

श्री परशराम मैदरीना (आमीन) : रायपुर तहसील में खोलने की स्वीकृति हुई है या विकास खण्ड में?

श्री भीखाभाई : रायपुर विकास खण्ड में खोलने की राज्य सरकार के बोर्ड ने नहीं केन्द्रीय बोर्ड ने स्वीकृति दी है।

श्री परशराम : जिन विकास खण्डों को खुले ढाई-ढाई साल का कार्य काल हो गया है वहां केन्द्र नहीं खोल कर नये में खोलने की स्वीकृति दी गई है, इसका क्या कारण है?

श्री भीखाभाई : केन्द्रीय बोर्ड ने मिनिस्टरों का वहां कोऑर्डिनेशन बैठाया कि

Page No.16

(श्री परशराम)

जहां फर्स्ट स्टेज के ब्लॉक खोले जाते हैं वहां प्रोजेक्ट में १०० गांव होते हैं उन्हीं में प्रारम्भ किये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सं० १७६, १७७।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० १७८

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० १७९

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० १८०

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर के परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका उडाया जाना

१८१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि १४ मार्च, १९५९ को बीकानेर के रामपुरिया कॉलेज के परीक्षा केन्द्र से एक विद्यार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका लेकर चला गया था ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि परीक्षा केन्द्र के अध्यक्ष ने हायर सेकिण्डरी बोर्ड को उत्तर दिया था कि एक विद्यार्थी उत्तर-पुस्तिका लेकर चला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जो उत्तर दे चुका हूं, उससे मैं यह समझता हूं कि ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। डॉ. चन्द्रकला।

जयपुर शहर के सिटी कैंप के शरणार्थियों को बसाने की योजना

१८२. **डॉ चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या पुनर्वासमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जयपुर शहर के सिटी कैंप शरणार्थियों के बसाने की कोई योजना सरकार ने बनाई थी ? यदि हां, तो वह योजना क्या थी और उसे कब पूरी हो जाना था ?

(ख) इस योजना के क्रियान्वित होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री सम्पतराम) : जी हां, सिटी कैंप के शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई थी। जिसके अनुसार ५०० रु० मकान बनाने के हेतु सहायता और २५०

(श्री सम्पतराम)

रु० जमीन खरीदने के लिए कर्ज के रूप में देने थे। इस योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा सन् १६५८-५६ के अन्दर ही की थी लेकिन कुछ कारणवश पूरी नहीं हो सकी।

जिस जगह पर यह कैम्प बसा है उस जमीन को शरणार्थियों के मकान बनाने के लिये अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने इन्कार कर दिया। इसलिये कई और जमीनें शरणार्थियों को दिलाई गई और अन्त में चांदपोल दरवाजे बाहर डम्पिंग ग्राउन्ड की जमीन उन्होंने पसन्द की। यह जमीन महकमा जंगलात की थी। सरकार द्वारा इस जमीन को लिया गया। भारत सरकार से जो मंजूरी आई उसमें जमीन के लिए जो धनराशि २५० रु० की प्लॉट के हिसाब से होने को थी वह केवल १२५ रु० के हिसाब से आई। अतः भारत सरकार को फिर से शेष धन राशि को देने के लिये लिखा गया है और मंजूरी आते ही कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार की चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें यह लिखा है कि जो क्लेम वाले कुटुम्ब हैं उनको मकान बनाने की सहायता नहीं दी जाय। जिसके लिए फिर से सरकार से प्रार्थना की गई है कि सभी कुटुम्बों को सहायता दी जाय क्योंकि वे क्लेम के पैसे पहले ही खत्म कर चुके हैं। अतः भारत सरकार की आज्ञा प्राप्त होने पर ही उनको मकान बनाने हेतु सहायता दी जायेगी।

इससे पूर्व ही भारत सरकार ने प्लान व एस्टीमेट भी मांगे हैं। अतः पी० डब्लू० डी० विभाग को यह भी लिखा जा चुका है कि जिस स्थान पर मकान बनाये हैं उस स्थान का एस्टीमेट और प्लान तैयार करके संचालक, पुनर्वास विभाग को आगे आवश्यकीय कार्यवाही हेतु भिजवा दिये जावें जिससे भारत सरकार की आज्ञा प्राप्त होते ही उक्त स्थान पर मकान बनाने का कार्य आरम्भ किया जावे।

डॉ० चन्द्रकला : पी० डब्लू० डी० को कब लिखा गया ?

श्री सम्पतराम : तारीख तो मुझे निश्चित ज्ञात नहीं है पर पिछले करीब ४ महीने पहले लिखा गया था और प्लान भी तैयार हो गया है।

डॉ० चन्द्रकला : प्लान तैयार हो गया है तो किस स्थिति में है ? क्या यह माना जाय कि भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री सम्पतराम : मैं स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं। उससे आप जो मतलब निकालना चाहें निकाल सकती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि चांदपोल के बाहर जो जमीन इनके लिए दी गई वहां म्यूनिसिपेलिटी कचरे की गाड़ियां डालती है ?

श्री सम्पतराम : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या अब जानकारी करके सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम : आप म्यूनिसिपेलिटी में जोर लगा सकती हैं कि वहां कूड़ा-कर्कट न डालें। मैं स्वयं भी लोकल सेल्फ अधिकारियों से कहूंगा।

प्रश्न संख्या १८३

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।
(कृपया आगे देखिए)

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

सब डिविजन, कोटपुतली में अग्निकांड

१८४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सब डिविजन, कोटपुतली में सन् १९५६ में कहां कहां अग्निकांड हुए?

(२) किस किस गांव में सरकार ने आग लगने के कितने दिन बाद मदद दी और किसमें नहीं दी, व क्यों?

(३) क्या यह सही है कि पुरुषोत्तमपुरा और ढाणी मंगलदास वालों को अभी तक कोई मदद नहीं दी गई?

(४) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अग्नि ऐसे समय में लगी जिससे पूरी तरह मकान व सामान नष्ट हो गए? ऐसी हालत में मदद देने में देरी के क्या कारण हैं?

(५) क्या यह सही है कि पुरुषोत्तमपुरा के अग्निकांड की सूचना मिलते ही कलेक्टर ने तहसील कोटपुतली को शीघ्र ही फाइल भेजने हेतु टेलीग्राम दिया?

(६) यदि हां, तो तहसील से पूरा रेकॉर्ड कितने दिनों से प्राप्त हुआ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम): (१) सब डिवीजन कोटपुतली में १४ ग्रामों में सन् १९५६ में अग्निकांड हुए। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(२) ग्राम करेरी में आग लगने के १५ दिन बाद मदद दी गई। ग्राम पुरुषोत्तमपुरा चक खाग्ड़ी व नायना में १५ दिन से २ माह के अन्दर सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त ग्राम बड़नगर, बैराट, बूचाहेड़ा, बिलान्दरपुरा एवं ढाणी मंगलदास वालों को सहायता देने के लिए जिला बोर्ड को लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त शेष गांवों में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिससे सहायता देना आवश्यक समझा गया हो। अतः सहायता नहीं दी गई। वैसे पूला पानी व लकड़ी की सहायता अग्नि पीड़ितों को तत्काल दी गई है।

(३) यह सही नहीं है। पुरुषोत्तमपुरावालों को जिला बोर्ड द्वारा सहायता मिल चुकी है व ढाणी मंगलदासवालों को सहायता देने हेतु जिला बोर्ड को लिखा जा चुका है।

(४) ऐसा कोई अग्निकांड नहीं हुआ।

(५) जी हां। यह सही है।

(६) तहसील से नक्शा नुकसान ४ दिनों में प्राप्त हुआ था।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री रामकरणसिंह: जिला बोर्ड ने लिखा है तो कब तक सहायता मिलने की आशा है और कब लिखा है?

श्री सम्पतराम: तारीख मेरे पास नहीं है और यह भी निश्चित तौर पर नहीं कह

Page No.19

(श्री संपतराम)

सकता कि कब सहायता मिलेगी और मिलेगी भी कि नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिला बोर्ड को लिखा गया, उन्होंने इन्कार कर दिया है और कलेक्टर की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि सहायता मिलेगी।

श्री सम्पतराम : सरकार के पास रुपया था वह खर्च कर दिया, जिला बोर्ड को लिखा है फंड्स होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे।

श्री रामकरणसिंह : यह तो सरकार ने मान लिया है कि उनको सहायता दी जावे और इसीलिये आपने जिला बोर्ड को लिखा था। जब जिला बोर्ड के पास पैसा नहीं है और वह नहीं दे सकते हैं तो सरकार देगी या नहीं?

श्री सम्पतराम : अग्नि पीड़ितों को सहायता देना आवश्यक नहीं है कि सबको सहायता दी जावे। उनको इमिजियेट रिलीफ होना चाहिये। हमने जिला बोर्ड को लिख दिया और अब तक नहीं दी गई है तो अब देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : आपने दूसरे १० गांवों में सहायता देने की आवश्यता नहीं महसूस की और इन ४ गांवों में सहायता देने की आवश्यकता महसूस की और जिला बोर्ड को आपने सहायता देने के लिये लिखा। जिला बोर्ड उनको सहायता नहीं दे सका। सब के लिये मदद देने की जरूरत नहीं थी। क्या अब सरकार उनको सहायता देगी?

श्री सम्पतराम : अग्निपीड़ितों को जैसा मैंने कहा इमिजियेट रिलीफ मिलने की जरूरत है। इसके लिये जो फन्ड होता है वह दूसरी जगह दे दिया गया है। जहां पर मामुली नुकसान होता है नहीं दिया जाता है। जिला बोर्ड को लिख दिया गया मगर उनके पास रुपये नहीं होने से नहीं दे सकते। अब इतने दिनों के बाद सबने अपना प्रबन्ध कर लिया होगा इसलिये इतने दिनों के बाद मदद देने से कोई मकसद भी सिद्ध नहीं होता।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, इमिजियेट रिलीफ देने की जरूरत थी इस बात को माननीय मंत्री महोदय खुद मंजूर करते हैं कि मदद करनी चाहिये थी इमिजियेट रिलीफ आपने उनको क्या दिया?

श्री सम्पतराम : जितना रुपया था इमिजियेट रीलीफ के लिये वह दे दिया गया और जब रुपया नहीं रहता तो नहीं दिया जा सकता। आग तो हजारों जगह लगेगी तो सरकार के पास रुपया नहीं होगा तो सरकार कहां से देगी?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। मेजर श्री फतेहसिंह।

उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर

१८५. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to state:

1. Is the Government aware that there are four Higher Secondary Schools at Beawar? If so, for how many years they have been functioning?

Page No.20

(मेजर श्री फतेहसिंह)

2. Has the Government made any provision for the further education of the students passing out from these Higher Secondary Schools by opening the three years Degree Course in the S.D Government Collge, Beawar ? If no, why ?

3. How many students in al have passed out from all the Higher-Seconadary Schools at Beawar and what arrangements have been made by the Government for their further education ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) जी हां। राजकीय पटेल बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिकशाला सन् १६५५-५६ से (२) राजकीय जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक शाला सन् १६५६-५७ से (३) राजकीय कन्या बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला १६५६-५७ से (४) मोहम्मदअली मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक शाला सन् १६५८-५६ से चल रही है ।

(२) जी हां। युनिवर्सिटी कोर्स इस कॉलेज में चालू कर दिया है।

(३) कुल ६७ छात्र उत्तीर्ण हुए। सरकार ने त्रिवर्षीय कोर्स राजकीय कॉलेज, अजमेर में लड़कों के लिये तथा सोफिया कन्या कॉलेज, अजमेर में लड़कियों के लिये चालू कर दिया है।

श्री फतेहसिंह : When did the first batch of students pass out from the Higher Secondary Schools at Beawar and when did they appear in the public schools ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछले साल ।

मेजर श्री फतेहसिंह : Is the Government going to open three years previous Degree College in the S. D. S. Degree College at Beawar ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : We are thinking to start next year.

प्रश्न संख्या १८६.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। महाराज श्री हुकमसिंह।

जैसलमेर में जिप्सम

१८७. **महाराज श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर): क्या मंत्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला जैसलमेर में जिप्सम निकालने पर कोई पाबन्दी कर दी गई है ? यदि हां, तो इमारत बनाने के लिये जन साधारण के वास्ते चूने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

उपमन्त्री, खनिज : (श्री रिखबचन्द धारीवाल): जिप्सम शिड्यूल ४ एम० सी० आर० १६४६ के अंतर्गत आता है इसलिये इसको निकालने की इजाजत भारत सरकार द्वारा दी जाती है। हल्की किस्म की जिप्सम

Page No.21

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जो सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारखाने आदि में काम नहीं आने योग्य है उसको माइनर मिनरल मानकर निकालने के बारे में भारत सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है। वहाँ से स्वीकृति आने पर निकालने की इजाजत दी जा सकती है। चूना जोधपुर से लाया जा सकता है।

महाराज श्री हुकमसिंह : What about those villages which are situated in the remote corner of Jaisalmer ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Gypsum which can be extracted by the permission of the Central Government, we have already written to the Central Government that low grade of Gypsum may be allowed to be used by the people of that place.

महाराज श्री हुकमसिंह : Gypsum is available in the village of this remote corner and the people will have to go to Jodhpur for obtaining permission just to extract.........

श्री रिखबचन्द धारीवाल: It is not necessary to go to Jodhpur. Permission can be granted at Jaisalmer, itself.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा डिग्री कॉलेज में बायलॉजी कक्षायें

१८८. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा डिग्री कॉलेज में बायलॉजी कक्षायें खोलने के हेतु जनता द्वारा दस हजार रुपये की धनराशि एकत्रित की गई थी ?

(२) यदि हाँ, तो एकत्रित की गई धनराशि राज्यकोष या बैंक में जमा की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या उक्त योजना की पूर्ति हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई धनराशि दिये जाने की योजना है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : क्या यह वह धनराशि है जो मुख्यमंत्री महोदय को वहां पहुंचने पर भेंट की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बायलॉजी कक्षायें खोलने के लिये धन राशि नहीं दी गई।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि वहां पर अध्यापकों की कमी के कारण वहां छात्रों को स्थान नहीं मिल रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यापकों की कमी से छात्रों को स्थान नहीं मिलने का कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.22

जैसलमेर में तकावी का वितरण

१८६. महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जिला जैसलमेर में सन् ५७-५८ में कितनी तकावी काश्तकारों को बांटी गई तथा इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए व कितने स्वीकृत हुए ?

(ख) क्या सरकार ने यह जांच की है कि उन तकावियों की धनराशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(क) जैसलमेर जिले में १९५७-५८ में कुल १ २०,६५०) रुपये की तकावी बांटी गई। कुल २०३ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुये जिनमें से २१६ स्वीकृत हुये।

(ख) १५७ मामलों में सही काम में उपयोग के प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं। शेष ५६ मामलों की जांच जारी है।

प्रश्न संख्या १६०

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर एरोड्राम तथा चांदमारी के क्षेत्रों की भूमि पर नाजायज कब्जा

१६१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

१. धौलपुर एरोड्राम तथा चांदमारी के आस पास जो लोग कृषि करते हैं, उन लोगों ने कितनी भूमि उक्त क्षेत्रों की नाजायज तौर पर कब्जा कर ली है ?

२. क्या स्थानीय पटवारियों से इस बात की जांच कराई गई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अधिक भूमि पर कृषि कर ली गई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(१) ३८ बीघा, १२ बिस्वा।

(२) जी हां। लेकिन यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की होने के कारण यह विभाग कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या यह सही है कि लोगों ने नाजायज तौर से भूमि पर कब्जा कर लिया है ?

श्री सम्पतराम : नाजायज तौर से कब्जा की सूचना दे दी है, लेकिन उसके बाद भी लीगल कार्यवाही करने का प्रश्न है। इसके लिये जब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्व विभाग को नहीं लिखेगा, तब तक राजस्व मन्त्री कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राजस्व मन्त्री को लिखा है या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री सम्पतराम : जब तक लीगल शेप में नहीं लिखें तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

डॉ० बहादुरसिंह : उन्होंने लिखा है या नहीं यह मैं पूछना चाहता हूं ?

Page No.23

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन इतनी जमीन है वह मैंने बता दी है।

डॉ० बहादुरसिंह : जिन लोगों ने कब्जा किया है उसके लिए क्या किया है?

श्री सम्पतराम : जो लीगल एक्शन वाजिब होगा लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गाड़िया लुहारों को बसाने की योजना

१६२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सरकार ने गाड़िया लुहारों को बसाने की योजना किस किस सन् में बनाई?

(२) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है?

(३) राजस्थान भर में कुल कितने गाडिया लुहारों के परिवार हैं और अब तक उनमें से सरकार ने कितने परिवारों को बसा दिया है व किस किस जगह? कृपया जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखा भाई) :

(१) गाड़िया लुहार परिवारों को बसाने की योजना सन् ५५-५६ से चल रही है।

(२) इस योजना पर अब तक ३,५८,६०० रु० खर्च हो चुके हैं।

(३) राजस्थान में कुल ३६११ गाड़िया लुहार परिवार हैं। इनमें जो परिवार बसाये गये हैं, उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : सूची मुझे नहीं मिली है।

श्री भीखाभाई : आपने देखी नहीं होगी। ७६४ परिवारों को सहायता दी गई है।

श्री गिरधारीलाल : जब तक सूची नहीं मिले तब तक कैसे सप्लीमेन्ट्री पूछ सकता हूं? सूची मिलनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये कहां पर बसाये गये हैं।

श्री भीखाभाई : अलग अलग स्थानों पर इनको बसाया गया है। सूची सदन की की मेज पर रख दी गई है। चित्तौडगढ़ ३४, उदयपुर ४, बीकानेर ७१, चूरू १३। सोरी। मैं परिवारों की संख्या पढ़ देता हूँ :

चित्तौड़गढ़	३४
भठकेड़ा	५
विभिन्न गांव	७१
चूरू	१३
हनुमानगढ़	११
जोधपुर	३७
मावी	४
हरियाड़ा	४२

Page No.24

(श्री भीखाभाई)

बरामड़ा	१०
फलौदी	३
शेरगढ़	५
विभिन्न गांव	२७
सोजत	१०४
बाड़मेर	३३
शिव और धारवी	८
गणेशपुरा	२०
पोकरण	२
लाडनूं	२६
विभिन्न गांव	२१५
खानपुरा	३१
सैटण	१०
पुष्कर	११
जैराट	५
विभिन्न गांव	३८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह जो नामावली है उन लोगों की है जिनको गवर्नमेंट ने सबसिडी दी है या उन लोगों की है जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं ?

श्री भीखाभाई : ७६४ परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टोटल नम्बर कितना है जिनको लोन दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपको बताया कि ३,६११ परिवार हैं जिनको अब तक सहायता दी गई है और वह ३,५८,६०० रु० ।

श्री गिरधारीलाल : जिनको बसाया है, उसको रोजी दिलाने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री भीखाभाई : रोजी तो खा ही रहे हैं। अगर कोई दूसरा मतलब है तो उनको बसाया जा रहा है। उनके लिये वर्क शॉप खोले जा रहे हैं । उनके लिये इन्डस्ट्रियल सेन्टर खोले जा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : ७६४ परिवारों में से कितने लोगों के काम दिया जा चुका है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की सूची नहीं है । कुछ जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं जैसे गाडियालुहारों की बस्ती चितौड़, हरियागढ़ा, बिलाड़ा, सोजत में क्रमशः १२० बीघा, ८२० बीघा, ४८० बीघा एवं ४७१ बीघा भूमि दिलाई जा चुकी है।

श्री गिरधारीलाल : ७०० परिवार ही बसाये गये हैं तो बाकी को जो जयपुर में सड़कों पर बैठे रहते हैं उनको बसाने की क्या योजना है ?

श्री भीखाभाई : उनके लिए मकान छोड़ दिये गये हैं। कई बसना चाहते हैं। उनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जब उनमें इस ओर एट्रेक्शन पैदा होगा तब वे बसेंगे।

श्री गिरधारीलाल : ?,३०० परिवार बचे हैं और सरकार उनको बसाना नहीं चाहती है, क्या इसलिए वे नहीं बसना चाहते ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं । सरकार उनको बसाना चाहती है और उनके लिए उनमें आकर्षण भी पैदा करना चाहती है।

श्री पी० के० चौधरी : घग्गियाव्द में कितना खर्चा हुआ और कितनी फेमिली बसाई गई ?

श्री भीखाभाई : मैं इसका दो, तीन बार उत्तर दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यस। श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

विशारद की डिग्री को मैट्रिक के बराबर मान्यता

१६१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर—श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या २६६३. आर. ५६, दिनांक २७-६-५६ के अनुसार एक विशारद की डिग्री प्राप्त अध्यापक को मैट्रिक के बराबर तथा ट्रेन्ड विशारद को ट्रेन्ट मैट्रिक के बराबर माना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) जी हाँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि बहुत से विशारद पास अध्यापकों को मैट्रिक की ग्रेड नहीं मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह ठीक है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्यों नहीं मिली ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : बहुत से ग्रेजुएट, नॉनग्रेजुएट को मैट्रिक और नॉन मैट्रिक की ग्रेड में भी रखना पड़ता है क्योंकि पोस्ट्स नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विशारद को अध्यापकों के लिए भी सरकार कोई ऐसी आज्ञा जारी कर देगी जैसी कि दूसरे अध्यापकों के लिए की है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसको चैक करने की आवश्यकता है। जो 'ए' ग्रेड के लिए फैसला किया गया है वह इनके लिए भी लागू होगा। इसके लिए और जानकारी कर ली जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस विषय में और जानकारी कर लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी हाँ, जानकारी कर लूंगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : विशारद के अध्यापकों को मैट्रिक के बराबर मान लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं उत्तर दे चुका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

ग्राम राजोर (टोडा भीम) में भूमि का अलॉटमेंट

१६३. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर—श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.26

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) तहसील टोडा भीम के ग्राम राजोर में दिनांक २-६-५८ को किन किन व्यक्तियों को कितनी २ भूमि अलॉट की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि सोमराज, श्योदान, खिलाड़ी अर्जुन, गनगोरा, श्रीचन्द लड्ढा, पपईया, रामभरोसी, चिम्मन, गिरधारी व काइया नामक व्यक्तियों ने गलत वल्दियत लिखा कर जमीन प्राप्त की है जब कि उनके पास पहले से जमीन है ?

(ग) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को जमीन अलॉट हुई है उनमें से ३ नाबालिग भी हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थिति)

श्री मूलचन्द डागा।

भेड़ चराने और पालने के लिए जमीन का अलॉटमेंट

१८०. श्री मूलचन्द डागा (पाली—श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली तहसील के गांव वाणेराव के जागीरदार को भेड़ चराने के लिये जमीन दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में भेड़ चराने और पालने के लिये अलग अलग जमीन किन्हीं और को भी अलॉट की है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

असफल हुए एवं नये प्रवेश चाहने वाले छात्रों की समस्या

१८३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग—डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष राज्य के प्रायः सभी स्कूल्स एवं कॉलेजों में कुछ पुराने असफल हुए तथा कुछ नये प्रवेश चाहने वाले छात्रों को स्थान नहीं मिल रहा है ?

(२)-यदि हां, तो उक्त स्थान न पाने वाले छात्रों के अध्ययन के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) स्कूलों में प्रवेश के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(२) इन्टर साइन्स और बी० एस० सी० में प्रवेश पाने के लिए ४५ प्रतिशत अंक तक जो प्रतिबन्ध लगाया हुआ है वह बी० एस० सी० क्लास में ४० प्रतिशत अंक तक समस्त राजस्थान में इस वर्ष के लिए कर दिया गया है।

Page No.27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी इत्यादि स्थानों में इन्टर साइन्स में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रखा है। खेलकूद व एक्स्ट्राकैरीकुलर एक्टीविटीज़ में निपुण विद्यार्थियों के लिए ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि कॉलेज और स्कूलों में जितने स्थान हैं उनसे अधिक के लिए आवेदन-पत्र आते रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ जगह ज्यादा आते रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : ज्यादा आवेदन-पत्र आते रहे और उनके लिए जगह नहीं थी तो उनका क्या हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक सीमा तक ही तो सरकार व्यवस्था कर सकती है। प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, दूसरे भी कॉलेजेज़ हैं उनमें वे स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : कॉलेज और स्कूलों में दूसरे सेक्शन क्यों नहीं खोलते?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थिति)

श्रीमती गंगादेवी डाढा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी० के० चौधरी : प्रश्न सं० १७७

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनका नाम पहले ही पुकार लिया था।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री उपाध्यक्ष : जब प्रश्नोत्तर काल में उत्तर दिया जा रहा था उस समय श्री पंवार ने एक आपत्ति विस्तृत प्रश्नों का जवाब देने के सम्बन्ध में उठाई। जब इस आसन से व्यवस्था दी गई उस पर श्री पंवार ने व्यवस्था के सम्बन्ध में * कहकर रिमार्क दिया मैं इस अभिव्यक्ति * को एक्सपन्ज करता हूँ और माननीय सदस्य को भविष्य के लिए आगाह करता हूँ कि इस आसन के प्रति इस प्रकार के रिमार्क की पुनरावृत्ति न करें।

स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) तथा डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) ने हरिजनों की हड़ताल के कारण जयपुर नगर में गन्दगी फैलने तथा उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सरकार से यह सूचना मिली है कि हड़ताल इल्लीगल है और यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर यहाँ विचार किया जाय। अत: मैं उक्त प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी, बाजार, जयपुर) : हड़ताल इल्लीगल हो, लेकिन सार्वजनिक महत्व को न हो यह विचारणीय प्रश्न है। यह भी विचारणीय प्रश्न है

Page No.28

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि सरकार ने कह दिया कि इसलिए पब्लिक इम्पोर्टेंस की नहीं है यह चीज।

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): एक दुःखद सवाद है जो मैं आपकी अनुमति से हाऊस में प्रस्तुत करता हूं कि............

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति है, यह भी एक प्रश्न है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): क्या प्रश्न है, किस विषय में है और क्या अनुमति है यह भी विचारणीय प्रश्न है? क्योंकि जब तक जानकारी न हो तब तक वैसे ही कोई माननीय सदस्य अनुमति है, ऐसा मान कर प्रस्तुत करेगा तो यह कोई बात नहीं हो सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनुमति है, ऐसा कहा है शुरू में हां.......

मुख्य मन्त्री : किसके बारे में?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): For call attention notice the previous permission of the Chair is necessary under Rules.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I am not giving any permission about it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह एडजोर्नमेन्ट मोशन केवल आपकी अनुमति से ही पेश करना चाहता हूं और वह केवल इतना सा ही है कि........

श्री उपाध्यक्ष : I understand, Mr. Satish Chandra Agrawal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसकी लाश ले जायेंगे और जला देंगे, फिर क्या होगा? मिस्टीरियस डेथ हुई है.... ..

श्री उपाध्यक्ष : I know the issue. It is better that you may meet the Hon'ble Home Minister about the issue you want to clarify.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९५७-५८ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५९ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Should we expect then that for the postmortem of the......

श्री उपाध्यक्ष : This is not the question before the House and I will not allow it.

राजा श्री मानसिंह (वैर): I move the motion, Sir, that the time for the Second Reading of this Bill which is before us should be extended from 1 P. M. on 1st September, to 1 P. M. on 2nd September, 1959.

श्री उपाध्यक्ष : Let me consult the Treasury Benches first. Let me pose the question first.

श्री उपाध्यक्ष : If there is no objection, then we may have the issue decided.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्यों को इसमें रुचि है, इसलिए तो एक तारीख को बैठने का निश्चय किया है। इसमें और भी समय चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपका प्रोपोजल है वह स्वीकार कर लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तारीख २ सितम्बर को भी इसी बिल को लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक के द्वितीय वाचन का समय २ सितम्बर, १९५९ के १ बजे मध्यान्होत्तर तक बढ़ा दिया गया।

क्लॉज १६

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल स्टैंडिंग कमिटीज के चुनावों के बारे में निवेदन कर रहा था। मेरा सुझाव यह था कि इसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन रखा जाय। जैसा कि सदन की जो कमिटीज़ होती है उसमें अन्य ग्रुप्स की मेजोरिटी न होते हुए भी पर्टीकूलर ग्रुप्स की मेजोरिटी के हिसाब से सदस्य के्प्चर कर सकते हैं। जैसे १९५२ में हमने देखा है कांग्रेस ४५ प्रतिशत वोट मिले थे सारी जगहों पर उनकी ओवर वेल्हिमिंग मेजोरिटी थी। सन् ५६ में भी कांग्रेस पार्टी ४७ प्रतिशत मत मिले और इस तरह से सारी स्टेट्स में और पार्लियामेन्ट में उसकी मेजोरिटी रही। इसलिये मान लीजिये जो पंचायत समिति है उसमें तीन या चार ग्रुप्स हैं और वे वेरियस इन्टरेस्ट्स के हैं उनकी सख्या ३५ है, उसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखा जायेगा तो सारी की सारी कमेटीज में मेजोरिटी ग्रुप्स के आदमी आ जायेंगे। यह न हो, इसीलिये मैंने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन का सुझाव रखा है। आशा है मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ दी बिल इसे स्वीकार करेंगे।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Sir, I move two amendment to clause 16,

1. In sub-clause (3) part (ii) after the words "from amongst persons" and before "not being members" insert the following words:— "residing in the block".

2. In sub-claues (6), the following proviso be added:— "Provided that such person who has been co-opted to a standing committee shall not be eligible for election as Chairman of that standing Committee."

I have been able to gather that this Bill is decentralisation Bill and further it is supposed to be rural decentralisation Bill. But at every place I have seen that there are too many loopholes in this Bill which allow for the introduction of persons in the Panchayat Samities. Under clause 6 we have passed that two persons who reside anywhere in the district, whether in rural or urban area, can be co-opted to the Panchayat samiti. Yesterday, we have passed a clause whereby all M.L.A s shall be associate members. I opposed that

(राजा श्री मानसिंह)

clause as many of us are of urban taste. The present clause allows for the formation of various standing committees. the persons who are not of rural residence can be co-opted by the Panchayat Samiti to the standing committees. There are three or four subjects that have been mentioned in this Bill for which standing committees shall be appointed. In addition to this there shall be a standing committee which shall hear appeals against Panchayat within the Jurisdiction of Panchayat Samiti. Part (ii) of sub-clause (3) reads:—

"(i) the Panchayat Samiti may co- opt in the prescribed manner not more than two out of the seven members from amongst persons, not being the members of the Panchayat Samiti, and having experience and knowledge of the subjects assigned to the Standing Committee..."

It means that supposing we assume that there are to be four standing committees, one for hearing appeals and one each for the subject we have mentioned in this clause, then it means that 8 persons who are not residing in the block and who do not have rural bias, may be co-opted by the Panchayat Samiti to the Standing Committee. In actual practice there may be many more than four standing committees and more than 8 persons can be co-opted and they cannot benefit rural people except to enforce their urban mind upon them.

In Bayana, for example, if it is declared as such, there will be two persons co-opted under clause 6, there will be four associate members in the form of M. L. A.s who all reside away from the block, just as I live in Bharatpur city. In addition to these six persons there will be 8 or more persons who will be co-opted from the district on the standing committees and these persons may have no concern with that particular block at all. I would, therefore, like to say that unless these provisions that I have suggested are accepted by the House, then we will be leaving loopholes which will not allow for decentralisation in the real sense or rural decentralisation, but we will only introduce urban centralisation. The words are self-explanatory and I need not elaborate them.

श्री उपाध्यक्ष : श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित)

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक संशोधन है जो कि सरक्युलेट हो चुका है उस संबन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। [संशोधन इस प्रकार है :

Substitute the words 'shall be one year' for the words 'constituted under this section shall, subject to the provision contained in sub-section (11),

(डॉ० बहादुरसिंह)

be co-extensive with the term of office of the Panchayat Samiti.'

Sub-clause (11)

Omit the whole sub-clause.]

इसमें व्यवस्था है कि वन थर्ड ऑफ दी मेंम्बर स्टेंडिंग कमिटीज के हर साल रिटायर होते रहेंगें। जैसी व्यवस्था राज्य सभा में है उसी प्रकार की व्यवस्था यहां की गई है। मेरा यह निवेदन था कि जो स्टेंडिंग कमिटीज हों उनका निर्वाचन हर साल किया जाय। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि स्टेंडिंग कमिटीज के मेम्बर्स को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा वे लोग जो अच्छा काम करेंगे उसमें रहेंगे। लेकिन यहां यह सोचने की बात है कि मेम्बरशिप जो है वह कन्टिन्युअस चलने वाली नहीं है और राज्य सभा के सदस्य एक तरह से कन्टिन्यूएशन में चलते हैं। यहां तो हर तीसरे साल नई पंचायत समिति बनेगी। एक मेम्बर तो तीन साल रहेगा, एक दो साल और एक एक साल यह इस तरह से ठीक नहीं जचता इसलिये यह जरूरी था कि जैसा आपने कहा स्टेंडिंग कमिटीज हर साल निर्वाचित होती हैं वैसी हालत में हर साल यदि स्टेंडिंग कमिटीज का निर्वाचन होना है तो सब का ठीक प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन हो जायेगा।

वह लोग चुने भी जायेंगे जो कि अच्छे काम करने वाले है उनका कम्पलसरी रिटायरमेन्ट भी नहीं हैं। वह चाहें तो दुबारा भी चुनकर आ सकते हैं, लेकिन यह जो एक साल के बाद कुछ सदस्यों के रिटायर होने की बात है वह कुछ जंचती नहीं। इसलिए एक साल का जो करने की व्यवस्था है उसकी वजह से से ही क्लॉज १८वीं है उसको ओमिट करने के लिए संशोधन रखा है। इसलिए मैं अपने दोनों संशोधनों को पेश करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री भैरंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६ के अन्तर्गत मेरे सात अमेन्डमेंट्स हैं। [संशोधन इस प्रकार है:—

1. Add 'Forest' after 'Cottage Industries' in part (a).

2. Add 'Social education and development of backward class' after 'communications' and before 'other allied subjects' in part (b).

3. Delete 'and Administration' from part (c) and add 'and' between 'Finance and 'taxation.'

4. Add a new part as follows :—

(a) General Administration including rural housing, collection of statistics, Emergency relief, community development, trusts, Publicity and other allied subjects.'

5. Add before 'in the prescribed manner' the words 'according to

(श्री दयाकृष्ण विजय)

the principle of proportoional representation by means of a single transferable vote' in sub-clause (3)

6. Delete 'and having experience and knowledge of the subjects assigned to the standing committee' in part (ii) of sub-clause (3)

7. (a) Delete 'other than the Pradhan of a Panchayat Samiti' of sub-clause (8).

(b) Substitute 'two' by 'one' sub clause (8.)

और मैं पहले अपने संशोधन के ऊपर आऊं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेन्डिंग कमेटीज का जो निर्माण होगा उस निर्माण का सम्बन्ध जो इस बिल के पीछे शिड्यूल में दिया गया है फंक्शन्स ऑफ दी पंचायत समिति उससे बहुत ज्यादा संबंधित है और जब तक हम फंक्शन्स के बारे में पूरा ज्ञान नहीं कर लेते हैं तब तक जो फंक्शन्स हमने स्टेन्डिंग कमेटी के अन्दर डिवाइड किये हैं उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो जो फंक्शन्स हमने डिवाइड किये हैं और उसमें हर एक फंक्शन का नाम दिया गया है कि अलग-अलग फंक्शन्स स्टेन्डिंग कमेटीज के होंगे तो इन फंक्शन्स की कुछ बातों को शिड्यूल के अन्दर छोड़ देना ठीक बात नहीं है। उनको शिड्यूल के अन्दर स्पेसिफिकली मेन्शन किया जाना चाहिए। इसलिए जो विषय छूट गये हैं उनके बारे में मैंने यह कुछ अपने संशोधन रखे हैं।

जैसे पहली स्टेन्डिंग कमेटी है प्रोडक्शन प्रोग्राम इन्क्लुडिंग एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेन्डरी, इरिगेशन, कोऑपरेशन, कॉटेज इन्डस्ट्रीज आदि, लेकिन इसमें फॉरेस्ट का नाम कहीं भी नहीं है। जब कि यह फंक्शन्स ऑफ दी पंचायत समिति के अन्दर इन्क्ल्यूड किया गया है फॉरेस्ट के विषय में जैसा बिल को रखने के पहले जो विलेज फॉरेस्ट हैं वह इसके अन्दर इन्क्ल्यूड किया गया है तो उसका इसके अन्तर्गत नाम आना चाहिए, वह यहां नहीं है। इसलिए यह मैंने रखा है संशोधन कि कॉटेज इन्डस्ट्री के बाद में फॉरेस्ट शब्द बढ़ा दिया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : यह माननीय सदस्य ने कहां से लिया ? फॉरेस्ट शिड्यूल के अन्दर नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : है, आप देखिये शिड्यूल का आइटम नम्बर १४।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is village forest, not forest.

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें फॉरेस्ट आता है लेकिन जो फंक्शन्स डिवाइड किए हैं वही तो इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। सारे फॉरेस्ट इसके अन्दर नहीं आयेंगे, यह मैं मानता हूँ। इसी तरह से जो सोशियल एज्युकेशन का दूसरा आइटम है ; उसमें सबसे खास बात थी Social education and development of backward class की वह इसमें नहीं है। Development of backward classes and Harijans etc. यह जो दो विषय हो सकते हैं वह इसमें नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। इस बिल के अन्त में जो शिड्यूल है उस सूची में दिया गया है बाकी दूसरे जो प्रोग्राम लिए हैं वह समाज सेवा की दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन साथ ही साथ collection of statistics, community development, publicity इसमें इन्क्लुड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह स्टेंडिंग कमेटी इस विषय को अपने अन्दर ले ही नहीं इसकी शंका निहित रहेगी। बल्कि ऐसा अनुमान है कि सारे फंक्शन्स जो भी पंचायत समिति के हैं वह इन स्टेंडिंग कमेटी के द्वारा ही चलाये जायेंगे और इसके बाद में भी कोई विषय बनते हैं उन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा पंचायत समिति के द्वारा। पंचायत समिति में ब्लॉक ऑफिसर बैठेगा, बी० डी० ओ० बैठेगा और सारा काम ऐसे ही चलेगा और जो स्टेंडिंग कमेटी ने डिसीजन दे दिया है उसके ऊपर पंचायत समिति पुनर्विचार करेगी। इसलिए हम स्टेन्डिंग कमेटीज को ही प्रभुत्व-सम्पन्न समझकर इस पर विचार करते हैं और किसी भी आइटम को यदि मिस करते हैं तो इसके अन्दर शंका पैदा हो जायेगी। इसलिए जो Social education and development of backward classes आइटम शिड्यूल में दिया गया है उसमें इन्क्लुड किया जाना चाहिए और इसी तरह का मेरा प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त जो तीसरा अमेन्डमेन्ट है, वह यह है कि जो तीसरी स्टेन्डिंग कमेटी बनाई है उसमें फाइनेन्स, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्क्लुड कर रहे हैं; यह गलत परम्परा होगी कि फाइनेन्स और और टैक्सेशन जो कि काफी बड़ा काम अपने आप में है कि पंचायतों को कैसे टैक्स लगाने पड़ेंगे और कैसे सारी अर्थव्यवस्था को करना पड़ेगा और यह इतना बड़ा काम होगा कि उसके साथ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला देना अच्छा नहीं होगा। बल्कि इसके लिए मेरा निवेदन है कि एक क्लॉज (बी) अलग से बढ़ा देना चाहिये और इसके लिये एक सेप्रेट कमेटी बनानी चाहिये और उसके अन्तर्गत जितने भी रूरल हाउसिंग के काम हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उनको वह करे। जैसे पंचायतों को रूरल एरिया के अन्दर मकान बनाने हैं, आखिर विकास में मकानों के बनाने का भी सबसे बड़ा काम है इसके लिये अगर अलग से स्टेन्डिंग कमेटी बन जायेगी तो उसमें रूरल हाउसिंग है, कम्युनिटी डेवलपमेन्ट है, प्रेस है, पब्लिसिटी है ये एसे विषय हैं कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से चल सकते हैं और इसका एक अलग से विभाग या स्टेंडिंग कमेटी होनी चाहिये, इसके लिये भी मेरा एक प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मेरा चौथा संशोधन है सब-क्लॉज ३ में; इसके अन्तर्गत हम स्टेंडिंग कमेटीज का निर्माण करते हैं और जब तक इसमें हम यह नहीं रखते हैं कि इसमें चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर नहीं करते तब तक यह होगा कि डायरेक्ट चुनाव ही किये जायेंगे। मेरा इसमें आपत्ति रहती है कि हम जब भी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं उसमें सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वहां पार्टीबाजी से काम नहीं होगा तो उसके लिए हर पार्टी के आदमी का रिप्रेजेन्टेशन आवश्यक है। कम से कम जो भी सदस्य स्टेंडिंग कमेटीज के हों वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से आने चाहिये ताकि हर पार्टी के आदमी को मौका मिल सके। मैं यहां

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आशंका पैदा करना चाहता हूं कि यदि बहुमत के आधार पर कमेटीज बनेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल एक पार्टी जिसका कि पंचायत समिति में बहुमत होगा वही पार्टी स्टेडिंग कमेटी में आ जायेगी और उसी के आदमी उनमें भर जायेंगे और जो दूसरे दल हैं, उनको सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसका असर यह होगा कि जो पार्टीबाजी आज गांवों के अन्दर कायम हैं वह चलती रहेगी और जो गांवों में अशान्ति फैली हुई है जो पारस्परिक गुटबन्दी दिखाई देती है वह समाप्त नहीं होगी। हम जब तक हर पार्टी के आदमियों को कॉन्फीडेन्स में नहीं लेंगे तब तक योजनायें पूरी नहीं होंगी इसलिए कमेटीज के अन्दर प्रोपोर्शनल रिप्रिजेन्टेशन का सिस्टम रखना चाहिए. इसके लिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है।

इसके बाद में जो संशोधन रखा है वह मैंने सब-क्लोज ३ के पार्ट २ में रखा है। उसमें यह बात रखी है कि दो व्यक्तियों को स्टेडिंग कमेटीज में कोआप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें यह रख दिया है having experience and knowledge of the subjects assigned यह एक ऐसा विषय है कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि गांवों में ऐसे व्यक्ति न मिलें तो वह कोऑप्ट किसको करेंगे और कोई व्यक्ति इस प्रकार की योग्यता का है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा। ये बातें ऐसी उलझी हुई हैं कि अगर किसी ने शंका कर दी कि जिस व्यक्ति को लिया गया है उसको अर्थ-व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसका आखिर निर्णय कौन करेगा और इस प्रकार की आपत्तियां उपस्थित कर झगड़े पैदा किए जायें तो इसको हटा देना चाहिये। इसमें रखा हुआ है having exprrience and knowiedge of subjects assigned to stand ng committe आखिर हमें उन लोगों के ऊपर कि जिनके हाथ में इतने सत्ता सौंपी है विश्वास करना चाहिए। उनमें बुद्धि का अभाव तो है नहीं कि वह गलत आदमी ले लेंगे। हमें विश्वास मानकर चलना चाहिए कि वह जिसको भी कोआप्ट करेंगे वह अच्छा व्यक्ति होगा और वह अधिक से अधिक सहयोग कर सकता है। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और जो प्रतिबन्ध है जो कि हमेशा झगड़ा करेगा और अगर किसी ने आपत्ति उठा दी उस व्यक्ति के एक्सपीरियेन्स के ऊपर तो उसका निर्णय कौन करेगा, इसके बारे में इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी बातें रखें जिससे परस्पर झगड़ा पैदा हो उसको हटा देना चाहिए, having experience and knowledge, यह जो पंचायत समिति के लोग हैं उन पर विश्वास करना चाहिए कि वह योग्य व्यक्तियों को भी रखेंगे। एक व्यक्ति को इतने पॉवर्स दिये हैं कि दो दो स्टेडिंग कमेटी का चैयरमैन बना सकते हैं। आखिर इतने लोग पंचायत समिति के अन्दर हैं। हम कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं न कि केन्द्रीकरण करने जारहे हैं तो फिर इस प्रकार से जबरदस्ती का क्लाज रखें कि दो कमेटीज तक वह आदमी चुन व लड़ सकता है। तो इस प्रकार की क्लोज से मन में एक स्वार्थ पैदा होता है। मनके अन्दर यह भावना रहती है कि दोनों ही कमिटीज का क्यों न बना जाय। आपने इसमें प्रवधान रखा है तो एक व्यक्ति जो प्रभाव-शाली होगा वह सारी स्टेंडिग कमिटीज पर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रभाव रखेगा और प्रधान बनने की कोशिश करेगा। हम तो डिसेन्ट्रेलाइज कर रहे हैं और वह सेन्ट्रेलाइज होगा, और जो लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो सकेगा। हम अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लें, अधिक से अधिक लोगों की सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें।

प्रधान और उप प्रधान तो ३, ३ कमेटीज का हो सकता है, "No person other than the Pradhan of a Panchayat Samiti shall be member of more than two standing committees at a time." और मेरा संशोधन माना जाय तो ४ स्टेंडिंग कमेटी बन जाती है। एक आदमी को स्टेंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने की पॉवर देते हैं। प्रधान सब स्टेंडिंग कमिटी का चेयरमैन बन सकता है। उप-प्रधान सब स्टेंडिंग कमिटी के लिए खड़ा हो सकता है। प्रधान अगर प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो सारी पंचायत समिति उसमें केन्द्रित रहती है, और इस प्रकार हम सारे पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में देते हैं। यदि वह व्यक्ति प्रभावशाली हुआ तो हमारा डिसेन्ट्रेलाइजेशन का मकसद पूरा होने के बजाय खत्म हो जायेगा। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि दो स्टेंडिंग कमेटी के बजाय स्पेसिफिक कहना चाहिए कि एक स्टेंडिंग कमेटी से अधिक और दो कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता है। एक ही स्टेंडिंग कमिटी का एक ही आदमी चेयरमैन बन सकता है चाहे प्रधान हो या उपप्रधान हो। आखिर प्रधान की और भी जिम्मेदारियां हैं। फिर ऐसा होगा कि वह सारी स्टेंडिंग कमिटी का चेयरमैन बनने की कोशिश करेगा और जिसके पास बहुमत है वह क्यों नहीं बनेगा तो उसके पास इतना ज्यादा वर्क हो जायेगा कि काम का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, और एक व्यक्ति के पास काम अधिक हो जाय उससे तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने का मौका रहेगा। इसलिए यह शब्द "other than a Pradhan of a Panchayat Samiti" हटा देना चाहिए। प्रधान शब्द नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक स्टेंडिंग कमेटी से अधिक का कोई भी व्यक्ति चेयरमैन नहीं रहे। इसप्रकार का प्रावधान इसमें रखना चाहिए मुझे आशा है कि माननीय मन्त्रीजी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेन्ट्स फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य और उनके बाद में कोटा से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किये है उन दोनों का मैं विरोध करता हूं। बात यह है कि इसमें जो यह सजेशन दिया गया है कि जो स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव हो वह इस तरह से हो कि उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका उसमें अख्तियार किया जाय। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव राजस्थान में हुए तो वह नॉन पार्टी लेवल पर हुए किसी पार्टी ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली और वह बिल्कुल ऐसे हैं कि गांव वाले चुनते हैं। वहां पर किसी पार्टी का कुछ नहीं है। पंचायतों के अन्दर किसी पार्टी को दखल नहीं है। गांववालों को स्वतन्त्र रूप से चुनाव के अन्दर भाग लेने दिया। इस बैकग्राउन्ड पर जब पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशनका माइनो-

Page No.36

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिटि के रिप्रेजेन्टेशन का अमुक पार्टी के रिप्रेजेन्टेशन का इलेक्शन नहीं हुआ है यह सवाल ऐसा है। मैं समझता हूँ कि इन सर्कमस्टान्सेज के अन्दर रिट नहीं कर रहा हूँ। पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। सब लोग गांव में अपने आप चुनते हैं तो फिर यह दलील दी जाती है कि माइनोरिटी रह जायेगी, या एक पार्टी की मेजोरिटी रह जायेगी। This is not correct.

दूसरी बात यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका है उसको अगर माननीय सदस्य रखेंगे तो वह इतना कॉम्प्लीकेटेड है कि हम यह उम्मीद करें पंचों और सरपंचों से गांव के कि वह पूरी तरह समझकर वोट दें वह बहुत ही नामुमकीन बात होगी, और उससे ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स एराइज होंगे। इसलिए यह अमेंडमेन्ट उचित नहीं है। जहां तक रूल्स का सवाल है रूल्स में प्रेस्क्राइब जरूर करेंगे जिससे कि फेअर एन्ड फ्री इलेक्शन हो जायं और ठीक तरह से स्टेंडिंग कमिटीज बन जायं। वह प्रेस्क्राइब कर दिये जायेंगे। बिल के अन्दर यह प्रोवाइड करना कि प्रापोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, यह ठीक नहीं होगा।

तीसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने बहुत सारे सुझाव इस बात के लिए दिये हैं कि स्टेंडिंग कमेटी में अमुक सब्जेक्ट रख दिये जायं। मैं अर्ज करूंगा कि सेक्शन १६ को मुलाहिजा करें तो इतनी एक्जॉस्टिव है- Every Panchayat Samiti shall constitute Standing Committees for each of the following group of subjects, namely:—

(a) production programmes including agriculture, animal husbandary, irrigation, cooperation, cottage industries and other subjects;"

एग्रीकल्चर में माननीय सदस्य चाहते हैं कि फॉरेस्ट को इन्क्लूड किया जाय। Forest is not going to be transferred to Panchayat Samiti. Only village forest and village forest is included in agriculture. केवल village forest ही विलेज पंचायत को जायेंगे और village forest is included in agriculture. इसके अलावा अलग प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आपने यह दिया है ग्रेजिंग ग्राउन्ड का it is already included in the animal husbandry. इसके अलावा यह दिक्कत की बात है, जहां तक प्रश्न इस तरह का है। इसमें 'ए' के अन्दर यह लिखा है—"co-operation, cottage industries and other allied subjects;"

यहां लिस्ट में लाने की जरूरत नहीं है; Sub-clause (2) reads:—

"(2) A Panchayat Samiti may constitute—

(i) one or more additional Standing Committees for any of the subjects enumerated in any of the groups mentioned in sub-section (1), and

(ii) such number of Standing Committees for other subjects as it considers necessary." इसलिए इसमें अथवा लिस्ट एक्जॉस्टिव होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया है कि जिस सब्जेक्ट के लिए स्टेंडिंग

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमिटी बनाना चाहते हैं उसके लिए बना सकते हैं। वह सारी लिस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अलग के लिए जो माननीय सदस्य ने अपना अमेंडमेंट पेश किया है वह यहां रखना उपयुक्त नहीं है।

इसके साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को एड करना चाहते हैं जिसका कि कोई सम्बन्ध नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हटाने के लिए बात कही जाय। फाइनेन्स, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पंचायत समिति के एडमिनिस्ट्रेशन का है।

अब रहा सवाल इस बात का कि एक प्रधान बहुत ही फॉरमिडेबल और पॉवरफुल हो जायेगा। हरेक स्टैंडिंग कमिटी के अन्दर जाकर चेयरमैन बन सकता है। यह ठीक है कि प्रधान हरेक स्टैंडिंग कमिटी का चेअरमैन बन जायेगा मान लें, तो ऑर्डीनरिली भी अगर वह किसी स्टैंडिंग कमिटी का चेअरमैन है तो उसकी मौजूदगी में दूसरा आदमी चेअरमैन नहीं बन सकता है। वह प्रधान की प्रेस्टीज का खयाल रखता है। आखिर पंचायत समिति खुद भी सोच सकती है कि स्टैंडिंग कमिटी इस तरह की बनाई जाय कि उसमें जितने भी मेम्बर हों वह पूरा समय देकर काम कर सकें। दूसरा अगर प्रधान हरेक में रहेगा तो मुमकिन नहीं है कि सारे फन्क्शन्स कर सकें। यह डिटेल्स की बात है। डिटेल्स की बात है कि किस को कोऑप्ट करेंगे, किस को चेयरमैन बनायें, यह सारी बातें पंचायत समिति पर छोड़ना चाहिए। यहां बिल के अन्दर यह हर बात प्रोवाइड कर दें यह उचित नहीं है।

धौलपुर से आए हुए माननीय सदस्य ने एक अमेंडमेंट रखा है इस तरह का कि एक स्टैंडिंग की मियाद एक साल की कर दी जाय। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप क्लॉज ११ को देखेंगे तो उसके अन्दर यह है कि one third of members will retire every year. इसका मतलब यह है कि स्टैंडिंग कमिटी की एक साल की मियाद रख देते हैं तो पंचायत समिति के सब के सब मेम्बर जिन्होंने कि एक्सपीरियेन्स गेन किया है तो एक्सपीरियेन्स गेन की हुई को, सारी को डिजौल्व कर के दूसरी का नया इलेक्शन कराया था तो यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। इससे नया खून भी आ जायेगा, क्योंकि १।३ ऑफ दी मेम्बर्स एवरी इयर रिटायर हो जायेंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी की लाइफ को एक्सटेन्सिव होना चाहिए। उससे आपका पर्पज-मकसद पूरा हो जाता है और दूसरे लोग स्टैंडिंग कमिटी के अन्दर हर साल आ जायेंगे। १।३ रिटायर होंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा और उसके अन्दर इलेक्ट होकर आ सकेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : १।३ रिटायर कैसे होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए प्रेस्क्राइब करेंगे। वह तरीका बड़ा साफ है। कौन्सिल ऑफ स्टेट में १।३ हर साल रिटायर होते हैं। रूल प्रेस्क्राइब किया जायेगा। उसके लिए यहां पर डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है। यही अमेंडमेंट्स का उत्तर है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को संतोष होगा जो कि मैंने कहा और अमेंडमेंट का उत्तर दिया।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने रखा है मैं उसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ पर जो डॉ० बहादुरसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ १६ पर संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

राजा श्री मानसिंह : I don't want to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Not withdrawing ?

श्री दयाकृष्ण विजय : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १७।

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १७ में मेरा संशोधन इस प्रकार है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज़ १६ पहले पारित होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ स्वीकार की गई।

क्लॉज़ १७

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न इस धारा में यह है कि पंचायत समिति यदि किसी स्टेन्डिंग कमेटी से रेकॉर्ड वगैरह मांगती है तो इसमें प्रोवि-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जन यह है कि रीजनेबल टाइम में पहुँचा देंगे। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा मैं यह चाहता हूँ कि तीन दिन के भीतर भीतर रेकॉर्ड पहुँचा दें। [संशोधन इस प्रकार है :

Delete 'without reasonable delay' and add after 'standing committee' the words 'within three days'.]

क्योंकि रेकॉर्ड दूसरी जगह से तो लाना नहीं है, ऑफिस वहीं का वहीं मौजूद है, विकास अधिकारी भी वहीं है फिर रीजनेबल टाइम रखने का क्या कारण है। इससे पंचायतें जो काम करना चाहती हैं उसमें डिले होगी। यदि स्टेन्डिंग कमेटी के चेयरमैन और विचार के होंगे और पंचायत समिति के चेयरमैन और विचार के होंगे तो वह रेकार्ड जल्दी नहीं भेजेगा और भेजने में बाधा पहुँचायेगा और कहेगा कि आज काम पूरा नहीं हुआ दूसरे दिन और कह देगा कि फलां काम हो गया इस तरह से समय बढ़ता जायेगा। इसलिए जब कि ऑफिस एक ही जगह है तो उसमें समय नहीं लगाना चाहिये। इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा लिमिट ३ दिन की रखी है। अगर आपस में विचार नहीं भी मिलते हैं तो भी रेकॉर्ड ३ दिन में वहां मिल जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं इस तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रोविजन है Without any unvoidable delay. इसका मतलब यह है कि १५ मिनिट या आधा घन्टे में ही भेजना चाहिये। ३ दिन का प्रोविजन आप यह सोच कर करना चाहते हैं कि जल्दी भेजेंगे नहीं लेकिन स्टेन्डिंग कमेटी भी पंचायत समिति के अन्डर में हैं and they must be produced before the Panchayat Samiti without unreasonable delay. आपने ३ दिन का प्रोविजन रखा और ३ दिन में भी पेश नहीं किया तो क्या होगा ? If you are going to prescribe some time limit then you should also prescribe some penalty. Otherwise 'without unreasonable delay' means immediately.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १७ में श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ १८

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ १९

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, My amendment is:- Insert "delegate or" after "confe:red and on". इसमें लैंग्वेज का फोर्म ठीक किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १९ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १९ ए.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): इसमें से "shall be the responsibility of" डीलिट करने के लिए यह संशोधन है । इसको यहां से हटा दिया जाय तो सारा सेन्टेन्स मुकम्मिल हो जाता है । The clause runs:-"Not withstanding anything contained in section 19 or in any other provision of this Act any programme which a Panchayat Samiti decides to carry out for the benefit of any one Panchayat Circle, or any work which a Panchayat Samiti decides to execute in any one Panchayat Circle..." Then it says"... shall be the responsibility, of, shall be carried out......" So either the words "shall be the responsibility of" be deleted.

If not deleted तो एन्ड शब्द और लगा दिया जाय "shall be the responsibility of and shall be carried out..."

श्री दामोदरलाल व्यास : The word "and" may be added here.

श्री उपाध्यक्ष : You accept the amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No Sir. His amednment is not accepted, but the word and should be added.

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १९-ए. में श्री रामप्रसाद लडढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Not mine, Sir. I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

Page No.41

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने दुबारा रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९-ए. संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १९-ए. संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(खंड २० प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था)

क्लॉज़ २१

श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, My amendment is that in sub-clause (1A) delete the words "in...Vikas Adhikari" and delete part (c) and (a) of the proviso.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ २१ है इसमें Powers and Functions of Pradhan and Up-Pradhan दिया है अब हम देखेंगे कि Functions and powers of the Pradhan दिये है और क्लॉज़ २२ में विकास अधिकारी के पॉवर्स दिये हैं उसमें Sub-Clause (A) "in case of emergency the Pradhan may in consulation with Vikas Adhikari" "in consultation of Vikas Adhikari" रखा है लेकिन मेरा अमेन्डमेंट यह है कि 'in consultation of Vikas Adhikari' को डिलीट किया जाय। आप देखेंगे कि क्लॉज २१ में विकास अधिकारी को इमरजेन्सी पॉवर्स दिये हैं और उसके लिये जरूरी नहीं है कि वह प्रधान, उप-प्रधान या और किसी को पूछे य कंसल्ट करे। लेकिन इसमें ऐसा रखा है कि विकास अधिकारी को कंसल्ट करके रख सकते हैं।

दूसरी बात इसमें यह थी...in part (c) "(c) subject to the approval of the Zila Parishad, change any programe of the Panchayat Samiti"

अब इमरजेन्सी में भी बगैर जिला परिषद की इजाजत के किसी प्रोग्राम में चेन्ज नहीं कर सकते। दूसरी बात प्रोविजो के पार्ट (ए) में है।

"(a) he shall not direct or stay the execution of any such work or the doing of any such act or change any such programme in contravention of the orders to the State Government, and"

Page No.42

(श्री पी० के० चौधरी)

जब कि विकास अधिकारी को इमरजेन्सी पॉवर्स क्लॉज २४ दिये है इसमें आपने कोई कन्डीशन नहीं रखी है। चाहे पंचायत समिति का प्रोगाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, किसी भी प्रोग्राम को वे चाहे स्टे कर सकते हैं और नया काम ले सकते हैं। महज़ यह कह कर कि इन इमरजेन्सी में यह लिया गया है इमरजेन्सी में जिला परिषद या विकास अधिकारी को कनसल्ट करने या जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, उसको स्टे ऑर्डर करने का प्रधान को अधिकार होना चाहिये। जैसे आप कहते हैं, कि हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, तो हमको चाहिये कि जिस प्रकार हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्लेंक चैक देते हैं उसी प्रकार प्रधान को भी देना चाहिये जो आप प्रधान को नहीं देते हैं और वह किसी प्रोग्राम को जिला परिषद को कनसल्ट करने के बाद में, काम में ला सकता है। इससे मैं यह कहूंगा कि डेमोक्रेसी का मेक नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्टेड हैं उनको आपको पॉवर्स देने चाहिये जो आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि उनको भी पॉवर्स होने चाहियें।

दूसरी बात जिला परिषद से कनसल्ट करके चेन्ज करने की बात है, वह इम्प्रेक्टीकेबल है। यह आप नोरमल समय के लिये रख सकते हैं, कि फलां-फलां स्कीमें हैं आपको इसमें कोई एक्शन लेना हो तो ले सकते हैं यह आपने प्रेस्काइब्ड मेनर में लिखा है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि यह इमरजेन्सी पॉवर्स नहीं होती है। आप इसको एक प्रेस्काइब्ड मेनर में रखना चाहते हैं। आप विकास अधिकारी को जितना इमरजेन्सी पॉवर्स देते हैं उससे कम इलेक्टेड प्रधान को आपको पॉवर नहीं देने चाहिये। इसलिये इन कमियों को दूर करने के लिये मैंने यह एमेन्डमेंट रखा हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, I move that the words "costing not more than Rs. 500" be added after the word "work" and before the word "or" in the first line of sub clause (a)".

The clause (a) reads:-"(a) direct the excention of any work or the doing of any act which requires the sanction of the Panchayat Samiti or any Standing Committee thereof and the immediate execution or doing of which is in his opinion necessary for the maintenance of services and the safity of the general public. माननीय उपाध्यक्ष, यह सत्य है कि यह धारा इमरजेन्सी के लिये रखी गई है मगर इसमें यह जरूरी है कि जो अनलिमिटेड पॉवर रखा है, कि कितने रुपयों तक का पॉवर उनको होगा यह नहीं बताया गया है। मैं समझता हूं कि उनको अनलिमिटेड पॉवर्स नहीं रहने चाहिये। अगर इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी तो आपस में प्रधान और पंचायतों में आपस में झगड़ा हो सकता है। यदि पंचायत समिति और प्रधान दोनों के आपस में डिफरेन्स हुआ तो ऐसी हालत में विकास अधिकारी और प्रधान दोनों मिल कर बड़े भारी काम कर लेंगे। इसलिये ५०० रु० की सीमा हो। इसलिये ५०० रु० तक का ही पॉवर दिया जावे तो ठीक रहेगा।

दूसरा है : sub-clause (c) be deleted.

Page No.43

(श्री मोहनलाल भटनागर)

इसको हटाने के बारे में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अमेन्डमेंट रखा है। यदि जिला परिषद् से एप्रूवल लेने बैठे तब तक तो पंचायत समिति से भी एप्रूवल लिया जा सकता है। यदि आप ऐसा रखेंगे कि जिला परिषद् से एप्रूवल लिया जावे और पंचायत से नहीं तो दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो सकता है। इसलिये यह सारा पॉवर प्रधान को ही दिया जावे।

तीसरा यह है in proviso (b), the words "get the action confirmed by" in the first line be substituted for the words report 'the action so taken'- जो कुछ चेन्ज करेंगे, कार्य करेंगे उसके लिये रिपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से रिपोर्ट करना है वह उचित नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग में जो कुछ किया है उसकी व्याख्या करना आवश्यक है।

चौथा यह है Sub—clause (1B) be deleted.

यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसमें यह है "That Pradhan shall at the end of every year send a report as to the work of the 'Vikas Adhikari' during that year, which shall be considered to the District Development Officer who shall be appended by the same to the confidential report of the 'Vikas Adhikari." माननीय उपाध्यक्ष, यह बिलकुल ठीक है कि सब-क्लॉज जोड़ा है वह इसलिये जोड़ा है कि अभी हम विकेन्द्रीकरण की शुरुआत कर रहे हैं और ऐसी सूरत में सरकारी अफसर को पॉवर देंगे और नॉन ऑफिसियल्स को पॉवर नहीं देंगे तो उचित नहीं होगा। अगर आप विकास अधिकारी को पॉवर देंगे तो वह अपनी राय स्वतन्त्र रूप से नहीं दे सकेगा और बड़ी गड़बड़ रहेगी। इसलिये फिलहाल विकास अधिकारी को पॉवर रखे हैं, उनको डिलीट कर दिया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के १ (ए) में मैंने इमरजेन्सी पॉवर प्रधान को दिये हैं उसमें विकास अधिकारी को कन्सल्ट करने की बात रखी है उसमें मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है Delete the words "in consultation with the 'Vikas Adhikari"

इसलिए इसमें मेरा यह संशोधन है...

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो समिति के सदस्य थे वे अगर ऐसे अमेन्डमेंट हों जिसमें कुछ लेंग्वेज की कमी होवे तो वे सजेस्ट कर दें I think the Hon'ble Member has brought too many amendments in the Bill and...

श्री उपाध्यक्ष : I hope, Mr. Ladha, as an advocate...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I don't press this amendment. My second amendment is about clerical error. In sub-clause (3) after the word "such" add the following words "or suspension"

The clause reads as under:- "(3) Whenever the Pradhan has been suspended...his functions shall during the period of such leave." here we should add "or suspension"

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट क्लॉज २१ पर, जहां तक फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : Is the amendment moved by Shri Ladha accepted by you ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes Sir, that was......

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अमेन्डमेंट जो है वह more or less they are printing mistakes. In sub-clause (1) omit "which shall be considered"; in sub-clause (3) for the words "such leave" substitute "such suspension or leave", in sub-clause (4) insert 'he' in line 1 after 'vacant or' and omit 'he' in line 2.

श्री उपाध्यक्ष : I take them as moved.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : धारा २१ में मेरा संशोधन है। (१) (बी) इसकी सारी लेंग्वेज गलत तरीके से लिखी गई है। इसमें लिखा है :

"(1B) The Pradhan shall at the end of every year send a report as to the work of the 'Vikas Adhikari' during that year, which shall be condidered to the District Development Officer." यह लेंग्वेज मेरी समझ में गलत है "who shall be appended by the same..." What is this language ? मैंने इसकी जगह यह लिखा है और इसकी भावना को नहीं बदला है :

"(1B) The Pradhan shall, at the end of every year, send a confidential report as to the work of the 'Vikas Adhikari' during that year, to the District Development Officer, who shall send a copy of that report to the Government, along with his confidential report." इसको मैंने बहुत सिम्पल कर दिया है और इसकी वही भावना को रखा है। यह सारी लेंग्वेज गलत थी इसलिए मैंने इसको रखा है। इसी तरह से सब-क्लॉज तीन है, सब-क्लॉज दो है, इनको पढ़ा जाय, तो दोनों एक से हैं और इसलिए दोनों को रखना आवश्यक नहीं है और एक क्लॉज से काम चल सकता है। "When the office of the Pradhan is vacant the Up Pradhan the Panchayat Samiti shall exercise the powers and perform th functions of the Pradhan of the Panchayat Samiti until a new Pradhan is elected." इसका मतलब यह है कि जब प्रधान अनुपस्थित है, तो उप-प्रधान काम करेगा, फिर नीचे इस प्रकार सब-क्लॉज है :

"Whenever the Pradhan has been suspended under sub-Section (2) of section 34 or is absent on leave, his functions shall during the period of such leave, devolve on the Up-Pradhan". कोई सेन्स इसका नहीं है। जब प्रधान अनुपस्थित हो तो उप-प्रधान काम करेगा, इसलिए सब-क्लॉज २ और सब-क्लॉज ३ में कोई अन्तर नहीं है। जब सब-क्लॉज २ है, तो सब-क्लॉज ३ की जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए मेरा कथन है कि सब-क्लॉज ३ को हटा दिया जाय, तो कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे दो अमेंडमेंट हैं, एक तो भाषा की गलती का है, उसको दुरुस्त किया जाय और दूसरा सब-क्लाज ३ डिलीट कर दिया जाय, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister incharge of the bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक १ (अ) का सम्बन्ध है, इसके अन्दर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि in consultation with the Vikas Adhikari शब्द ओमिट कर दिये जायें। मैं समझता हूँ कि यह रहना जरूरी है। वैसे हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है लेकिन चूंकि विकास अधिकारी ऑफिस के रूल्स एन्ड रेग्यूलेशन से परिचित होता है,

It is obligatory on him. He may or he may not abide by his advise...

इतना सही है कि प्रधान को इमरजेन्सी में पॉवर दी गई है कि रूल्स ऐन्ड रेग्यूलेशन की प्रोपरायटी पर, क्या एक्शन लेना चाहिए क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए, इस सम्बन्ध में जो विकास अधिकारी है, उसको कनसल्ट करले। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो प्रधान के डेरोगेटरी हो और कन्सलटेशन भी कोई लाजिमी नहीं है The Hon'ble Member knows it fully well.

It is not obligatory on him to accept it. He may or he may not act according to his advise. कन्सल्टेशन जरूर होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस स्टेज पर ओमिट करना ठीक नहीं होगा।

दूसरा जो आपका संशोधन है, प्रिन्टिंग मिस्टेक्स वगैरह के बारे में। मैंने अर्ज कर दिया है कि ऐसा मेरा संशोधन है, श्री लड्ढा का भी है और माननीय सदस्य श्री विजय ने भी रखा है, अमेंडमेंट नम्बर १, १८७, मैं समझता हूं कि इस क्लॉजकी लेंगवेज हेपीली वर्डेड नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया जाय तो मुझे ऐतराज नहीं है। यह इस प्रकार होगा। Substitute sub-clause (1 B) as suggested in amendment No. 187.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

Shri P. K. Chaudhary

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : Except that amendment pertaining to the printing mistake.

श्री दामोदरलाल व्यास : My submission is that amendment No. 187 has two parts There is another suggestion that delete sub-clause (3), This is not acceptable.

श्री उपाध्यक्ष : १८७ का पार्ट १।

श्री दामोदरलाल व्यास : Substitute sub-clause (1B) by the following ...' This is only. Delete sub-clause 35 is not acceptable.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. P. K. Chaudhary withdrawing?

श्री पी० के० चौधरी : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : All?

श्री पी० के० चौधरी : I don't think he has accepted.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have requested you to withdraw.

Page No.46

श्री उपाध्यक्ष : One pertaining to printing mistake......

श्री पी० के० चौधरी : That is of Shri Vijay...I beg to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लेने की सम्मति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I with draw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ram Prasad, you have not moved except one.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राम प्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरे दो अमेंडमेंट हैं, उसका दूसरा पार्ट स्वीकार नहीं किया है, मैं समझता हूँ कि वह स्वीकार करने योग्य है..

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जान-बूझ कर स्वीकार नहीं किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : I don't withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने धारा २१ में इस प्रकार रखा है :—

Substitute sub-clause (1B) by the following:—

(1B) 'The Pradhan shall, at the end of every year, send a confidential report as to the work of the 'Vikas Adhikari' during that year, to the District Development Officer, who shall send a copy of that report to the Government, along with his confidential report.'

(श्री उपाध्यक्ष)

इसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि जो अन्य संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि धारा २१, संशोधित रूप से, स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज् २१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

क्लॉज् २२

श्री दामोदरलाल व्यास : और अमेंडमेंट ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Never missing.

श्री पी०के०चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move my amendment that in clause 22, sub-clause (2), Delete sub-part (ii) of part (c).

This is regarding transfer of 'Vikas Adhikari' in othe Department. पार्ट (सी) में लिखा गया है:—

Liable to transfer by the State Government :

(i) Ordinarily in consultation with the Pradhan (ii) in special cases, on a resolution of the Panchayat Samiti to that effect passed by a majority of three-fourths of the total number of members of such Panchayat Samiti.

(श्री आबिद अली सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि ट्रान्सफर के लिए जो प्रोविजन था, टोटल नम्बर के तीन–चौथाई का, इस प्रोविजन से उसका कभी ट्रान्सफर हो नहीं सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मिनिस्टर-इन-चार्ज ने रियलाइज किया है, उनका अमेंडमेंट आगे आ रहा है, जिसमें उसको डिलीट करेंगे, तीन–चौथाई का प्रोविजन रखा था, उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद यह रह जायेगा कि by a resolution of the Panchayat Samiti. लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह भी नहीं रखना चाहिये। विकास अधिकारी के ट्रान्सफर का सवाल है, उसको पंचायत समिति में ऐसा भी स्टेच्युटरी प्रोविजन ३।४ का नहीं रखें,

(श्री पी० के० चौधरी)

जैसा कि मिनिस्टर-इन्चार्ज रखना चाहते हैं। यह भी रखना, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। इसको रखने से पंचायत समिति में गुटबन्दी और पार्टीबाजी चल सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is an amendment.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, I have seen that and I am talking on that amendment.

मेरे ख्याल से आपका अमेंडमेंट भी नहीं रहना चाहिये। मेरा अमेंडमेंट है कि पार्ट (२) डिलीट कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : Liable to be transferred ordinarily in consultation with the Pradhan...

श्री पी० के० चौधरी : Part two be deleted,

क्योंकि आपके अमेंडमेंट के बाद यह रहता है :

In special cases, on a resolution of the Panchayat Samiti to that effect,

आप इस तरह का स्टेचुटरी प्रोविजन रख देंगे तो लोग-बाग कोशिश करेंगे मेजोरिटी बनाकर विकास अधिकारी को हटाने की....

श्री दामोदरलाल व्यास : May I inform that my amendment is No 198. It is for deletion of sub-clause 2. I have seen that.

श्री सभापति : Amendment at No. 198.

श्री सोहनलाल भटनागर : Very reasonable amendment.

श्री पी० के० चौधरी : Then why not accept the amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will accept your amendment.

श्री सभापति : श्री परशराम।

श्री परशराम (आसीन) : चेयरमैन महोदय, क्लॉज २२ के पार्ट (२) के पार्ट ए. और बी. में दो अमेंडमेंट हैं। पार्ट ए. का अमेंडमेंट है :

The words 'in consultation with' be substituted by the words on the recommendation of.'

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है :

In line two the words 'three-fourths' be substituted by the word 'two thirds'. ३।४ मेजोरिटी की जगह २।३ मेजोरिटी की जाय।

चेयरमैन महोदय, जहाँ तक विकास अधिकारी या एक्स्टेन्शन ऑफिसर के ट्रान्सफर का प्रश्न है प्रधान कन्सल्टेशन से करेंगे तो २२६ प्रधान होने वाले हैं २ अक्टूबर को। विकास अधिकारी की ट्रान्सफर के लिए या एक ब्लॉक में ८-१० एक्स्टेन्शन ऑफिसर होते हैं और एक विकास अधिकारी होता है किन्हीं रीजन्स के आधार पर, वेइंग रीजन्स के आधार पर ट्रान्सफर करना आव-

(श्री परसराम)

श्यक हो सकता है तो क्या वे ट्रान्सफर कराने के लिए यहां आयेंगे और अपने ब्लॉक के हैड क्वार्टर से यहां फिरते फिरेंगे, यह गलत पद्धति होगी। ट्रान्सफर के लिए सरकार के सेक्रेटेरियेट और अपने ब्लॉक के बीच में फिरते रहें यह उचित नहीं होगा। On the recommendation of the Pradhan...

उसकी ट्रान्सफर कर दी जाय तो अच्छा रहेगा। प्रधान की पोजिशन बनी रहेगी।

मेरा जो दूसरा अमेंडमेंट ३।४ मेजोरिटी के सम्बन्ध में है, क्योंकि इस पार्ट को डिलीट करने का मन्त्री महोदय ने रेजोल्यूशन मूव किया है, इसलिए प्रैस नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : What do you want?

श्री परसराम : सेकिन्ड अमेंडमेंट है उसको मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

Hon'ble Minister-in-charge

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मेरा एक अमेंडमेंट तो वही है जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया है, पार्ट (२) को डिलीट करने का, उसे स्वीकार कर लिया जाय।

दूसरा फोर्मल अमेंडमेंट है वह है कि :

(a) in part (b) substitute 'regarded' for 'recorded'.

This is only a printing mistake that is sought to be corrected here. These are only two amendments here Sir. जहां तक कि माननीय सदस्य फलौदी से आए हुए ने पेश किया है कि रिकमन्डेशन पर रखा जाय...

श्री सभापति : कौन सा अमेंडमेंट आपने मूव किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १०१ एन्ड १६८, लिस्ट १०।

198 is the same which have been moved by the Hon'ble Member from Phulera and 101 is only a correction of printing mistake.

श्री सभापति : Ordinarily it is to be omitted.

श्री दामोदरलाल व्यास : Only sub-clause 2 to be omitted..

श्री सभापति : In place of amendment no. 198—omit part 2....?

श्री दामोदरलाल व्यास : One minute Sir.

(विराम)

There are two amendments omit ordinarily and omit sub-part (ii)...

श्री सभापति : Yes.

प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : Thers is no other amendment.

श्री पी० के० चौधरी : There is no other amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है क्लॉज २२ के सब–पार्ट (1) में शब्द 'ऑर्डिनरिली' ओमिट किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ एज अमेंडेड...

श्री परसराम : I may be permitted to withdraw my amendment

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री परसराम ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम : I withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ एज अमेंडमेंड स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २२ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

क्लॉज २२–ए.

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, क्लॉज २२-ए में मेरा अमेंडमेंट है :

'Delete part (4)' which has been wrongly printed as part 'n'.

सभापति महोदय, २२–ए. में विकास अधिकारी के पॉवर्स एन्ड फंक्शन्स दिये गये हैं। दो पेज के हैं उनके पावर्स एन्ड फंक्शन्स। पार्ट (n) में फंक्शन्स दिये गये हैं :

"Exercise general supervision over panchayats in the block for the purpose of this Act.'

यह फंक्शन मैं डिलीट करना चाहता हूं। बाकी फंक्शन्स मैं समझता हूं एग्जीक्युटिव ऑफिस के लिए पूरे फंक्शन दिये जा सकते हैं पर जहाँ चुनी हुई संस्थाओं का सवाल आता है विकास अधिकारी को किसी हालत में नहीं दिये जा सकते। पंचायत समिति के ऊपर सुपरवाइज करना है तो जिला परिषद् को अधिकार दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह रिट्रोग्रेड प्रोविजन है। विकास अधिकारी पंचायत समिति के ऊपर, पंचायतों के ऊपर

(श्री पी० के० चौधरी)

सुपरविजन करेगा यह उचित नहीं, पंचायत के ऊपर पंचायत समिति सुपरविजन करती हैं। प्रधान को सुपरविजन का पॉवर नहीं दिया है, प्रधान को पॉवर दिया है :

'Encourage the growth of initiative and enthusiasm in the Panchayats and provide to them the guidance in the plans and production programme undertaken by them and help the growth of cooperation and voluntary organisations therein... and 'exercise administration control over the Vikas Adhikari...

पंचायत के सम्बन्ध में प्रधान को जो पॉवर दिये हैं वे सिर्फ 'एन' के दिये हैं। पर सुपरविजन का पॉवर विकास अधिकारी को देते हैं। मैं इनको अनुचित समझता हूं। सुपरविजन का पॉवर देना है तो प्रधान को दे दें। माननीय मन्त्री महोदय इसको मन्जूर करेंगे। ऐसा मैं समझता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Which clause? Which clause you want to delete?

श्री सभापति : It has been corrected......

श्री पी० के० चौधरी : Part'n' तो मेरा कन्टेन्शन यह था कि विकास अधिकारी गवर्नमेंट एम्प्लोयी है। उसको पॉवर आपने वैसे भी काफी दिये हैं। Exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Panchayat Samiti including the staff borne on the establishment of the Panchayat Samiti and the staff working in institutions and schemes transferred by the State Government to the Panchayat Samiti in matters of executive administration and the matters relating to accounts and records of the Panchayat Samiti. फिर उनको पॉवर दिये हैं।

inspect on behalf of the Panchayat Samiti the financial position of the Panchayats with special reference to the levy of taxes their recovery 'recovery of loans advanced and maintenance of regular accounts... फिर आपने पॉवर दिया है।

See that the plans and progiammes approved by appropiate authorities are executed with efficieney and through extension methods,

See that the construction programmes undertaken by the Panchayats conform to the standard laid down and are completed within the scheduled time. ये सारे के सारे पॉवर दिये हैं जो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होते हैं। पर पंचायत का जनरल सुपरविजन उनको किसी तरह से नहीं देना चाहिये। वह पंचायत समिति को दीजिये। ज़िला परिषद् को दीजिए। यह रीजनेबल अमेंडमेंट है। इसको आशा है आप मन्जूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, जो संशोधन पेश किया है वह ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें उनको हर्ज क्या है। देखरेख जाकर कर सकें तो इसमें कौनसी

Page No.52

(श्रीदामोदर लाल व्यास)

दिक्कत होती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रधान केन डू इट। दोनों कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी कर सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोग्राम का तो आलरेडी रक्खा है।

श्री पी० के० चौधरी : यह जनरल सुपरविजन भी तो रक्खा है। Even he can supervise their meetings.

श्री दामोदरलाल व्यास : No, for the purposes of this Act these words are significant. You can see beyond this his supervision will not extend. In no case you can interpret it like that. Only supervisory powers will be there.

श्री पी० के० चौधरी : What powers ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the Panchayats are concerned, he will supervise those accounts which are authorised uuder this Act.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २२-ए में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has withdrawn Sir.

श्री सभापति : अनुमति ही दे रहा हूं।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २२-ए स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २२-ए स्वीकार की गई।

क्लॉज २३

श्री पी० के० चौधरी : I want to oppose it Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : Let the amendments be moved first. First amendment be taken.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : I don't press this amendment Sir.

श्री सभापति : श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

Page No.53

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, जब ६-बी मन्जूर हो गया है तो इसके बाद इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं रहती, इसलिये मैं मूव नहीं करता। पर निवेदन करना है कि यह जो ऑल ऑफिसर्स शब्द रक्खे हैं यह इतना वेग है कि छोटा से छोटा अफसर भी जाकर बैठ सकता है।

श्री सभापति : But there is no amendment of this nature

श्री सोहनलाल भटनागर : इस पर तो नहीं है।

श्री सभापति : You don't want to move your amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : Yes, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : I want to oppose this clause Sir.

श्री सभापति : First all amendments be moved.

श्री परसराम।

श्री परसराम मदेरणा (आसीन) : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

'In clause 23, in 1st line after the word 'All' and before the word 'officers' the word 'District' be inserted'...

यह 'डिस्ट्रिक्ट' वर्ड इसलिए रक्खा है कि 'All officers of the District shall be entitled to attend the meetings of the Panchayat Samiti and its Standing Committees'... All officers of the state Government... जब कि सेक्शन ४४ में जिला परिषद् की मिटिंग में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ही अटेन्ड करने की बात रक्खी है यहां सभी अफसरों को रखना उचित नहीं होगा। जहां तक पंचायत समिति का सवाल है माननीय मुख्य मन्त्री जी जिसे तमाम स्कीम का नुक्लियस मानते हैं वहां स्टेट लेवल पर कोई भी अफसर मीटिंग में किसी भी स्टेज पर जा सके और अटेन्ड कर सके यह उन पर बोझा डालने वाली बात है। आज सभी डिपार्टमेन्ट विकास के कार्य से किसी न किसी तरह सम्बन्धित हैं। तो वहां कोई भी जाकर अपना असर डाल सकता है। इससे कम्पलीट डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की जो आपकी मंशा है उस मंशा को ठेस पहुंचेगी। उस मंशा के यह खिलाफ काम होगा। इसलिए यह शब्द मैंने इन्सर्ट करने को कहा है ताकि वह सही तरीके से बिना किसी तरह से अननेसेसरी इन्टरफियरेन्स के वे काम कर सकें। इससे पंचायत समिति के काम में रुकावट डालने की सूरत पैदा न हो।

श्री सभापति : Yes. Shri P. K. Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मैं इस क्लॉज २७ को अपोज करता हूं।

श्री सभापति : Clause 23. not 27

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir. 23.

All officers of the State Development Departments shall bee enti-

Page No.54

(श्री पी०के० चौधरी)

tled to attend the meetings of the Panchayat Samiti and its Standing Committees and to participate in the deliberations of such meetings relating to matters concerning their Deptts. सभापति महोदय, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि पंचायत समिति में लोगों को अकोर्डिंग टू देअर जीनियस या उनकी अपनी मर्जी के माफिक काम करने की छूट दी गई है। यही वजह है कि एम. एल. ए. को नहीं रक्खा गया। इसलिये नहीं कि उनके रहने से वे लोग अपनी सही राय जाहिर करने से घबरा जावेंगे और सारी प्रोसीडिंग्स को वे एम. एल. ए. डोमिनेट करने लग जावेंगे। इसलिये एम. एल. एज. की मुमानियत हुई थी। बाद में सदन ने उनको एसोशियेट मेम्बर बनाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर आपकी सलाह से।

श्री पी०के० चौधरी : यही मैं कह रहा हूं। पर राइट ऑफ वोट तब भी उनको नहीं दिया है। हम उनको इन्डिपेन्डेन्ट डिसीजन लेने की छूट देना चाहते हैं।

We want to take decision indepe-ndantly without outside influence. मैं कहना चाहता हूं कि जब आप यह चाहते हैं तो इन सारे के सारे गवर्नमेंन्ट अफसरों को ऑडिफाइन्ड, डेफीनेशन नहीं दी कि कौन सा अफसर, डेवलपमेन्ट में तो सारे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर भी आ जावेगा, विकास अधिकारी भी आवेंगे, इन्सपेक्टर भी आवेंगे, जनरल इन्सपेक्टर भी आ जावेंगे, तो इससे वे इन्डिपेन्डेन्ट राय अपनी नहीं बना सकेंगे। तो सारे के सारे ये 'एन' ब्लॉक उसमें मौजूद होंगे तो वे किसी भी डिसीजन को अपनी मर्जी माफिक करवा सकेंगे। They can influence the Panchayat Samiti to take a decision as they want. और जैसा मैं कहना चाहता हूं पी. ई. ओ. की रिपोर्ट है। उसमें कहा है कि गाँवों के लोगों के पास जो गवर्नमेन्ट ऑफिसर पूछताछ करने जाते हैं तो गाँव के लोगों की टेन्डेन्सी रहती है कि वे उसको जवाब ऐसा देते हैं जो उनको प्लीज करता हो।

जो अफसर पूछनेवाला है उसको मन्जूर हो ऐसा जवाब देता है। इसका अनुभव पिछले चुनावों में भी हुआ। कोई केन्डीडेट वोटर से पूछता तो वह जवाब देता कि आप को देंगे जिसको। विलेज आदमी यह समझते हैं कि यह पॉवरफुल आदमी है तो उसके खिलाफ वह कभी राय जाहिर नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पंचायत समितियों में बैठने का अधिकार दे रहे हैं उसमें ब्योरोक्रेसी के लोग जैसा चाहेंगे वैसा डिसिजन होगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि आप आगे जाकर देखेंगे कि इस बिल में beauracracy is predominant. यह बिल है, आप देखेंगे कि अमेरिकन मोडल पर बनाया गया है जिसमें सारे पॉवर्स सेन्ट्रेलाइज किए गए हैं, एक्जीक्युटिव अधिकारियों को पॉवर्स दिये गए हैं, फिर उनके लिए ऐसे पॉवर्स के लिए प्रोविजन लों हैं, मैं चाहता हूँ कि यदि मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि पंचायत समितियां इन्डिपेन्डेन्ट आउट साइड दी इन्फ्ल्युएन्स डिसिजन लें तो ऑफिसर्स के लिए ऐसे अधिकार नहीं करना चाहिए वैसे ही पीछे के बिल की क्लोज नं० २३-ए में यह प्रोविजन कर दिया गया है कि पंचायत समितियां जिन ऑफिसर्स को कन्सल्ट करना चाहें उनको बुलाने की इजाजत है, उनको बुला सकती हैं। स्टेच्युटरी

(श्री पी० के० चौधरी)

पॉवर्स किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देते हैं जबरदस्ती कि पंचायत समिति में जाकर बैठ सकता है तो यह उचित नहीं होगा। पंचायत समिति में लोग-बाग इन्डिपेन्डेन्ट आउट साइड दी इन्फ्लूएन्स होने चाहियें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वे इन्फ्लूएन्स्ड होंगे। यही करना है तो फिर सोहनलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा था कि एम. एल. एज. को दे दिया जाय.......

श्री सोहनलाल भटनागर : मैंने प्रैस नहीं किया था।

श्री पी० के० चौधरी : एक एम. एल. ए. हाजिर हो जाता है तो आपको डर पैदा हो जाता है। और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां बैठ जाते हैं तो यह वस्तु स्थिति से अलग है। It is away from the fact. The fact is that यह प्रोविजन गलत है और इसको डिलीट कर देना चाहिये।

श्री सभापति : Hon'ble Minister-in charge.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, इस क्लॉज में इस वजह से यह रखा गया है कि डेवलपमेंट के ऑफिसर्स हैं, डेवलपमेंट के मामलों में अपनी सलाह मशविरा पंचायत समितियों में दे सकें, जैसे पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर्स हैं, इरिगेशन के इन्जीनियर्स हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, जनरली डेवलपमेंट से सम्बन्धित जितने विभाग हैं उनके ऑफिसर्स। इसकी यह मन्शा नहीं है कि वे पंचायत समितियों को अपना इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन लेने में इन्फ्लूएन्स करें। यह ठीक है जैसा श्री परसराम जी ने रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। डेवेलपमेन्ट के कार्यों के सम्बन्ध के लिए और जिन विभागों के अफसरों की आवश्यकता हो वे जाकर पंचायत समिति को अपना सलाह मशविरा दे सकें इसके लिए यह रखा है और यह मंशा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अफसर लोग हर एक मामले में वहां जाकर पंचायत समितियों को इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन नहीं लेने देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि टेक्निकल मसलों के लिए उनको राय दे सकें, डेवेलपमेन्ट के काम में उनको सलाह दे सकें इसीलिए यह है। वह अमेन्डमेन्ट मैं स्वीकार करता हूं। डिस्ट्रिक्ट शब्द इसमें और जोड़ दिया जाय।

There is no other amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ऐसा रखा जाय।

श्री पी० के० चौधरी : Gazetted District level officers is a technical term, and it should be Gazetted District Level Officer.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. So the word will be like this.

District के बजाय Gazetted Distric level office...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ इस तरह-[In clause 23, in Ist line after the word. 'All' and before the words 'officers' the words 'Gazetted District Level Officers' be inserted.] संशोधन कर दिया जाय।

Page No.56

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : You have only opposed it. You had no amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : No Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There was only one amendment of Shri Parashram.

श्री सभापति : No other...

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३, एज अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ २३-ए

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३-ए स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २३-ए स्वीकार की गई।

क्लॉज २३–बी

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

क्लॉज २४

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : पहले जो क्लॉज गया उसमें से सभापति महोदय विकास अधिकारी को इमरजेन्सी के लिहाज से रखा गया था। इसमें विकास अधिकारी को पॉवर्स दी जारही हैं। इसमें लिमिटके लिए आवश्यकता है और मेरे ख्याल से यह लिमिट रखी जानी जरूरी है। यदि विकास अधिकारी के लिए उनके पॉवर्स में लिमिट नहीं रखेंगे तो हजारों रुपये के काम कर देंगे और आगे जाकर झगड़े पड़ेंगे। संशोधन इस प्रकार है:—Words 'the cost of which does not exceed Rs. 500 /-' be inserted after the words 'any work' in fourth line.

श्री परसराम (आसीन) : चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको मैं सपोर्ट करता हूं। प्रधान के अधिकार करटेल करने के लिए जो पहला अमेन्डमेन्ट नामंजूर किया वह तो दुरुस्त है लेकिन विकास अधिकारी को इमरजेन्सी पॉवर दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल में ही प्रधान के नीचे काम करता है, लेकिन प्रधान को भी वे ही पॉवर्स और सबोर्डिनेट को भी वे ही पावर्स दें तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी है। विकास अधिकारी अपने इमरजेन्सी पॉवर्स उसकी एबसेन्स में यदि यूज करता है, और यदि डेवेलपमेन्ट के काम हैं या

(श्री परसराम)

टेक्निलिटी या और किसी काम के लिए रखना जरूरी है तो जिन कामों की कीमत पांच सौ से अधिक नहीं वे उनके लिए वे अधिकारी हैं उनसे आगे नहीं। लिमिट अवश्य होनी चाहिये इसलिए सलूम्बर से आये माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसको मंजूर कर लेना चाहिये।

श्री सभापति : Hon'ble Minister in-charge.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, जहाँ तक सीमा पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाने का सवाल है जैसा कि पांच सौ तक के लिए कहा गया, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं इस बात को तो मंजूर करता हूं कि अनलिमिटेड विकास अधिकारी को पॉवर्स नहीं होने चाहिए लेकिन इसमें इमरजेन्सी पॉवर्स दी गई हैं उनमें यह लिमिटेशन लगा देना कि पांच सौ से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा, यह उपयुक्त नहीं होगा। इमरजेन्सी में कलेक्टर्स को, मर्जी चाहे जितना खर्च करने का अधिकार है, और ऐसे समय में कोई फाइनेन्शियल रूल्स उन पर रेस्ट्रिक्शन्स नहीं लगा सकते हैं।

आप इमरजेन्सी के लिए, फर्ज करिये कहीं का तालाब टूट गया वैसी हालत में क्या आप उसको पांच सौ रुपये ही खर्च करने देंगे वहां इमरजेन्सी में रेस्ट्रिक्शन कहां काम आया। ऐसी इमरजेन्सी में आप उसके डिसक्रीशन पर ही छोड़ दीजिये, He has to take action according to the necessity on each individual emergency. यह रेस्ट्रिक्शन लगाना बिलकुल उचित नहीं है। यह रेस्ट्रिक्शन हटाना ही पड़ेगा। इमरजेन्सी में विकास अधिकारी को मनचाहा खर्च करने का अधिकार लेना चाहिए। इमरजेन्सी जैसे रिलीफ ऑरगेनाइजेशन हो आदि में Emergency is well defined. Those will guide the Vikas Adhikari as well as Pradhan and they will exercise according to them.

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रूल्स के अन्दर आप यह रख दें इमरजेन्सी में मनचाहा खर्च कर कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इमरजेन्सी के लिये गाइडिंग प्रिन्सिपल्स है कहीं फ्लड आजाय, जहाँ लोग बह रहे हो, मवेशी बह रहे हों, वहाँ आप पांच सौ से ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं देते तो यह ठीक जचने वाली बात नहीं है।

श्री पी०के० चौधरी : आपने इस प्रकार के अधिकार प्रधान को भी नहीं दिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसको अधिकार है विद दी कन्सल्टेशन ऑफ बी०डी० ओ०।

श्री पी०के० चौधरी : बी० डी० ओ० के कन्सल्टेशन से खर्च कर सकता है। उसको तो अधिकार नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर ; सभापति महोदय, मुझे अपना अमेन्डमेंट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री सोहनलाल भटनागर को उनका अमेन्डमेंट वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५ । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : Is there any amendment ?

डॉ० बहादुरसिंह : कोऑपरेटिव बेसिस पर है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज २५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Substitute the sub-clause (5) as follows :

Nothing in this section or in section 73-A shall apply to these persons who were holding permanent appointments since before the first constitution of Panchayat Samitis.

माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज २५ में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति का स्टाफ कैसा होगा ? स्टाफ की संख्या और पद किस प्रकार से निर्धारित किए जायेंगे ? किस प्रकार के पदों के ऊपर कौन कौन नियुक्ति कर सकता है और किस किस तनख्वाह पर नियुक्तियां कर सकता है ? यह कहना चाहिये कि यह वह धारा है जिस धारा के द्वारा पंचायत समिति के पूरे प्रशासन के सम्बन्ध में हम कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं । इस प्रकार की व्यवस्था का सम्बन्ध एक प्रकार से सर्विसेज से है । पहले वाली धाराओं में हमने यह व्यवस्था की है कि पंचायत समिति में आने वाली सर्विसेज की व्यवस्था किस प्रकार की होगी और उनका क्या क्या सम्बन्ध रहेगा यह हमने पहले वाली धाराओं में निश्चय किया है । इन सर्विसेज का निर्माण कैसे होगा उसमें दो बातों को मुख्य रूप से लिया गया है । एक तो यह कि जब पंचायत समितियों का निर्माण होगा उस निर्माण के समय कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता और इसके दूसरे भाग का मतलब यह है कि पंचायत समिति के निर्माण से पहले जितने भी इस प्रकार की नियुक्तियां थीं जो लोग पहले वाले ब्लॉक्स में काम कर रहे थे उनको भी किसी केडर में एडजस्ट करने की व्यवस्था की जायेगी । इसके दूसरे भाग पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति, ब्लॉक लेवल पर विकास समितियाँ हैं, उनमें काम करता है जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को सर्विसेज से अलहदा न किया

(श्री भैरोंसिंह)

जाय । यह सम्भव है उन सर्विसेज को हटा कर भी जिस किसी को उपयोगी समझे उनको अपोइन्टमेंट दिया जा सकता है और जिस दिन से वे सर्विस में शामिल हुए हैं उनकी सर्विस उसी दिनसे लागू की जाय । अब दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि जिस समय पंचायत समिति का निर्माण होगा उस समय पंचायत समिति को अधिकार दिया जाता है कि पंचायत समिति अपनी आवश्यकतानुसार कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करे । जहां तक धारा २५ और धारा ७३-ए का प्रश्न आता है इन दोनों का सम्बन्ध पंचायत समिति के अन्दर जो व्यक्ति लिए जायेंगे वे व्यक्ति किस प्रकार से उनके नियमों से सम्बन्धित है ।

धारा २५ के उप-भाग ५ में यह व्यवस्था कर दी है कि इस धारा के अन्दर जितनी शर्तें रखी हैं स्टेट गवर्नमेंट संख्या, पोस्ट्स, उनके पे स्केल्स और किन किन व्यक्तियों को नियुक्ति के अधिकार होंगे यह बताया गया है । इसके अन्तर्गत नियम बनेंगे और उसी आधार पर नियुक्ति की जायेगी । लेकिन उपधारा ५ के वास्ते किसी को चिन्ता नहीं कि उसके नियम किस प्रकार के होंगे, उनकी विकास समिति में आवश्यकता है या नहीं । कोई भी वहां पर स्थान रिक्त हो या नहीं जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है चाहे उसको तीस रुपया माहवार मिलते हों, उसको साठ रुपये माहवार दिया जा सकता है । इसके लिए सरकार के सामने समस्या पैदा हो सकती है । इसी समस्या केस मेन्टीवेट होकर प्रावधान रखा है । जिस समय पंचायत समितियों का गठन होगा उसमें दो तारीख को नियुक्तियां होंगी यानी दो तारीख से पहले पंचायत समितियों का निर्माण करना होगा जहां पहले से विकास समितियां चालू हैं वहां तो किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आयगी। लेकिन सरकार यह कह सकती है कि जहां पर ब्लॉक्स नहीं, जहां शेडो ब्लॉक्स खोलने हैं उनमें पंचायत समितियों का निर्माण करना होगा और उसके लिए आवश्यक स्टाफ भी नियुक्त करना होगा । उसी को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है । यहां इस बात के लिए कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पंचायत समितियों का जो निर्माण होगा उससे राजनैतिक तत्व पैदा होंगे उसका प्रभाव होगा । इसमें प्रधान या उप-प्रधान जो भी बनेंगे वे चुनाव के आधार पर बनेंगे । वैसी हालत में यह तो मानना ही पड़ेगा कि मत देने वालों का कुछ तो कुछ दिनों तक उस पर प्रभाव रहता है । यह तो स्वाभाविक है कि जो मनुष्य किसी के पीछे किसी पद पर पहुँच जाता है तो कुछ दिनों तक तो उनको मत देने वालों के अहसानों से एक प्रकार से दबा सा रहता है इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार करें । आज जब कि हम पंचायत समिति को अधिकार दे रहे हैं कि धारा २५ और धारा ७३-ए के अन्दर नियुक्ति सम्बन्धी नियम बनाये जायेंगे, पोस्ट्स निर्धारित की जायेंगी । इसकी कोई चिन्ता नहीं जितने नौकर वे रखना चाहेंगे नौकर रख सकते हैं ।

इसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा । पर उसको स्पष्ट करने के लिये व्यवस्था कर दी । Nothing in this section or in Section 73-A shall apply to first appointments made upon the

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

first constitution of a Panchayat Samiti under this Act and all persons holding appointments since before such constitution— इसका मतलब, पहले की नियुक्तियों के सम्बन्ध में मुझे आपत्ति होती है। लेकिन इसके लिये कोई नियम नहीं। मैं समझता हूं कि उस समय तक नियम नहीं बन सकते, बन सकेंगे तो उनमें इनका रेफेरेन्स नहीं होगा। इसमें इतना कर दिया होता कि under the rules prescribed, under the rules made by the State Government... तो हमें विश्वास होता कि नये कॉन्स्टीट्यूशन में अपोइटमेंट होगा तो वह सरटेन रूल्स के अन्तर्गत होगा, या उन रूल्स से गाइड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। यह इच्छा पर भी अगर पंचायत समितियों की पर छोड़ दिया जावे तो हमें आपत्ति नहीं। पर जिस ट्रेन्ड में, जिस व्यवस्था में यह बिल पायलट किया जा रहा है उसमें एक बात स्पष्ट है एक हाथ से आप सत्ता देना चाहते हैं पर दूसरे से छीन भी लेना चाहते हैं। एक के ऊपर ओवरराइट करती हुई धाराएं आप बनाना चाहते हैं। अगर इन सबका अनेलिसिस किया जावे तो यह होगा कि आप इससे पंचायत समिति और जनता को आपस में झगड़ने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इलेक्टोरल में और उनमें झगड़े होंगे, फंक्शन्स झगड़े होंगे, इम्प्लीमेंन्टेशन ऑफ डिसीजन में झगड़े होंगे। तो ये मैं समझता झगड़े आवेंगे और ये भी आवेंगे तो आगे आवेंगे पर इस समय तो मैं समझता हूँ आप भावुकता के आधार पर इस बिल को चला रहे हैं। यह अवश्य कहना चाहिए किसी को कोई अधिकार आप देते हैं तो या तो यह कह दें कि पंचायत समिति विकास अधिकारी को नियुक्त कर सकती है या और निकाल भी सकती है या यह कह दें कि फोर्थ क्लास सरवेन्ट को वे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। पर इसके लिये रूल्स बनाये गये हैं। लेकिन यहां इस धारा में कोई नियम नहीं हैं। बिलकुल स्पष्ट है पंचायत समिति बिना मर्जी से नियुक्त कर दे उसे प्रोटेक्शन इस कानून में देना है, ७३ में केडर नियुक्त किया है वह वह सब्स्टेन्शियल अपोइंटमेंट हुआ है, इस प्रकार की मान्यता दी जावेगी। ये चीजें पब्लिक पर भार रूप से हो सकती है। इस ऐंगल से भी देखना पड़ेगा। एक पंचायत समिति, शेडो ब्लॉक और ब्लॉक में विकास अधिकारी, एक्सटेन्शन ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन ऑफिसर भी होते हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसका रिप्रेजेन्टेटिव उसमें न हो। पर प्रश्न आता है आज उस जगह भी कई ब्लॉक बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स में भी पंचायत समिति चाहे कि पांच आदमियों को नियुक्त करना है तो कर सकेगी। इसके सामने कोई रोक-टोक नहीं है और पांच की नियुक्ति कर ली तो कानून के अन्तर्गत प्रोटेक्शन दें तो उन पांच आदमियों को वे तनख्वाह भी दें। अब तनख्वाह का प्रश्न आता है तो कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के व्यक्तियों से आन नहीं बल्कि सभी स्थानों पर एक दिन पंचायत समितियों में शुरू में झगड़े होंगे। आपस में, गुट में उस पंचायत समिति के लोग बंट जावेंगे। केवल हमने पंचायत समिति को अधिकार दिया है। अगर इसको अधिकार दे दिया और शुरू ही की स्टेज में एक आदमी को खड़ा किया। उनमें से तीन कहेंगे हम इसको खड़ा करना नहीं चाहते और दो कहेंगे हम चाहते हैं और इस स्टेज पर ही जिस विषैले कीड़े को हेल्दी ग्रोथ में से आप निकालना चाहते हैं उसको

Page No.61

(श्री भैरोंसिंह)

जन्म हो जावेगा। विकास समितियों में डिफरेन्सियेशन क्रीएट करके इस तरह से वे विभाजित हो जावेंगी। अब वह आने वाला आदमी सोचेगा वह किसके प्रति लॉयल हो। वह पंचायत समिति का तो लॉयल नहीं होगा क्योंकि सारी पंचायत समिति ने एक मत से तो उसको अपोइन्ट किया नहीं। जिन व्यक्तियों के बहुमत से या सिफारिश से उसकी नियुक्ति हुई है उसके प्रति उसकी लॉयल्टी रहेगी। वह हमेशा उनको खुश रखेगा, हर प्रकार से उनको ओब्लाइज करेगा। बाकी के लोगों के साथ भेद बर्ता जावे। इस प्रकार का फीलिंग सर्विसेज में होगी। इस तरह पंचायत समिति के मेम्बर और सर्विसेज दो भाग में चलेंगे। इस सारे दृष्टिकोण पर गम्भीरता से सोचें। और आज जो पोस्टें एग्जिस्ट करती हैं, जिन पर नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको वैसे ही मन्जूर करें उनको इस कानून के अन्तर्गत मान्यता दें। नहीं तो सर्विसेज के मामले को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। अगर इस स्थिति को टालना है तो हमें कुछ नियम बनाने होंगे। इमरजेन्सी बेसिस पर रिक्रूटमेंट करना है तो फिर उसको सिलेक्शन बोर्ड के सामने लाना पड़ेगा। उनके लिए कहना होगा कि उनको रूल्स से कवर होना पड़ेगा वह चाहे पंचायत सर्विसेज केडर के हों चाहे फोर्थ क्लास के हों।

तो इसका मतलब यह है कि उन स्थानों पर जिनका अल्पमत है उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार की सर्विसेज मिल सकती हैं। वे उनके व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेंगे। तो सर्विसेज के मामले में फेयर दृष्टिकोण रहना चाहिये। इसके लिए चाहे सरकार के नियम हों चाहे पंचायत समिति के हों और चाहे जिला परिषद् के हों। नियम जरूर होने चाहिएं। नियम में इक्वल अपोरचुनिटी सबको मिलती है। यह अपोरचुनिटी सबको देनी चाहिये। नहीं तो इसमें केवल लोगों का डिस्क्रीशन और अपोइन्टमेन्ट्स में पोलिटिक्स चलेगी और यह स्पष्ट है कि वह पोलिटिकल डिस्क्रीशन माइनोरिटी के खिलाफ होगा। इसलिए मेरा यह संशोधन है और इसकी यह मन्शा है कि पंचायत समिति के कॉन्स्टीट्यूशन पर अपोइन्टमेन्ट्स हों, उनके पहले के जितने अपोइन्टमेंट्स हुए हैं, उनको कानून के अन्तर्गत नियुक्तियां हुई हैं ऐसी मान्यता दें, बाकी के लिए नियम बनायें और उनके आधार पर नियुक्तियां हों। इसी को लेकर मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

श्री सभापति—डॉक्टर बहादुरसिंह

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति जी, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Substitute the word 'Pradhan for the words Vikas Adhikari. यह फोर्थ क्लास सर्वेन्ट का ऐसा मामला है जिस पर पंचायतों के बहुत से कार्य मुन्हसिर रहेंगे। बात यह है जगह जगह छोटे-छोटे चपरासी हुआ करते हैं विकास अधिकारी या तो नौकर रक्खेंगे जो उसकी सेवा करेगा या दूसरे जो उस पंचायत समिति में होंगे उस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे जो उनकी सेवा करेगा चाहे पंचायत का काम फिर भले ही फेल हो जावे। इसकी चिन्ता किसी को नहीं होगी और आज यह देखने में भी आता है कि जितने अधिकारी होते हैं वे चपरासी को उसी को रखेंगे जो उनके घर काम करे, जो घर पर काम नहीं करेगा उसको निश्चित तौर पर या तो ट्रांसफर

(डॉ० बहादुरसिंह)

कर देंगे या नौकरी से ही हटा देंगे। इस दृष्टिकोण से यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसकी जगह प्रधान को अधिकार होना चाहिए कि यदि विकास अधिकारी किसी प्रकार का चपरासी को या फोर्थ क्लास सरवेन्ट है उस गांव का रहने वाला है लेकिन उसकी जगह विकास अधिकारी दूसरे की नियुक्ति कर सकता है, इसलिए यह अधिकार प्रधान के अलावा और को नहीं देना चाहिए।

इसमें दलील यह दे सकते हैं कि प्रधान चुना हुआ होगा। उस पर किसी प्रकार का दबाव आ सकता है।

लेकिन मेरी यह मान्यता है इसके बारे में कि व्यक्ति चुनकर आयेंगे या जो सरपंच होंगे वह इस प्रकार के व्यक्तियों को जो कि क्लास ४ सर्वेन्ट्स हैं वे अगर किसी विकास अधिकारी के यहां पर काम नहीं करेंगे तो वे उसको सस्पेन्ड नहीं करेंगे और नौकरी से अलग नहीं करेंगे। क्योंकि वह जानते हैं कि चपरासी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार थोड़े से वेतन में अपने परिवार का काम चलाते हैं। या तो इनका अपोइन्टमेंट और स्थाई करने की पॉवर्स पंचायतों में वैस्ट होनी चाहिए अगर नहीं तो फिर विकास अधिकारी को कम से कम ये पॉवर्स नहीं देनी चाहिए। आजकल की चपरासियों की परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह अमेन्डमेंट पेश किया है।

श्री परसराम (आसीन) : सभापति महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन रखा है मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूँ कि धारा २५ का सब-क्लॉज (३) है उसमें क्लास ४ के अपोइन्टमेंट्स का अधिकार विकास अधिकारी को दिया है, उसके लिए कोई अमेन्डमेंट पेश नहीं किया है....

डॉ० बहादुरसिंह : वह आप कर दीजिये।

श्री परसराम : जैसा माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसके अनुसार वह चाहते हैं कि जो क्लास ४ के अपोइन्टमेंटस हैं वह विकास अधिकारी न कर, प्रधान करें और यह संशोधन उन्होंने सेक्शन २५ के सब-सेक्शन (५) (बी) में पेश किया है और सेक्शन २५ (३) में अभी भी विकास अधिकारी रखा है तो यह लॉ में एक एनोमोली रहती है इसको दूर करने के लिए यह जरूरी है कि इस अमेन्डमेंट को नामन्जूर किया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय जो अमेंडमेंट श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और उन्होंने अमेंडमेंट के पेश करते समय जो दलीलें दी हैं मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है इसलिए कि अगर सेक्शन ७३-ए को देखा जाये वह कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ राजस्थान पंचायत समिति सबआर्डीनेट सर्विस है। यह जो उन्होंने दलील दी है कि राजस्थान में जब पंचायत समिति बनेंगी और जो अपोइन्टमेंट्स होंगे उसमें पार्टीबाजी इतनी होगी कि हर एक की सर्विसेज़ के ऊपर वोट डाले जायेंगे। सेक्शन ७३-ए के देखने से यह पता लगेगा कि इसके अन्दर जो प्रोविजन्स हैं सर्विसेज के रिक्रूटमेंट्स के बारे में उनमें वोट डालने का कोई सवाल ही नहीं है। वह सारे रिक्रूटमेंट्स ऑफ सर्विसेज फोर इच डिस्ट्रिक्ट रिक्रूट होंगे और उसके

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अपोइन्टमेन्ट्स पंचायत समिति करेंगी और जिस पद के लिए जैसी और जितनी जगह होंगी उसके लिए ७३ ए में प्रेस्क्राइब है कि जो स्टेट सर्विसेज हैं जो डेवेलपमेंट में काम कर रहे हैं या जो टीचर्स हैं, या ग्रामसेविका हैं जिनका जिक्र सेक्शन २५ में है और सेक्शन २५ के सब-क्लॉज़ (५) में लिखा हुआ है : "(5) Nothing in this section or in section 73A shall apply to first appointments made upon the first constitution of a Panchayat Samiti under this Act and all persons holding appointments since before such constitution -- (a) to posts encadred in service constituted under section 73A, shall be deemed to be the members thereof and to have been substantively appointed there to by the Panchayat Samiti and" तो मतलब यह है कि जो पंचायत समिति दो अक्टूबर को बनायेंगे उस समय जितनी भी सर्विसेज हैं ग्रामसेवक, ग्रामसेविका, प्राइमरी स्कूल टीचर्स आदि इन सब को पंचायत समिति में ट्रान्सफर कर दिया जायेगा । इसलिए जिस तारीख को पंचायत समिति बनेगी उस समय सेक्शन ७३-ए इसलिए भी एप्लाई नहीं होगा कि वह स्टेट कैडर की सर्विसेज ऑलरेडी होंगी और पंचायत समिति को ट्रान्सफर हो जायेंगी । इसलिए they will be deemed to have been appointed under this Act by the Panchayat Samiti. यह प्रोविजन रखा गया है और इसका यह एप्रीहेन्शन नहीं हो सकता कि जो स्टेट लेवल की सर्विसेज हैं उन पर चोट होगा । बल्कि मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो रूल्स प्रेस्क्राइब किये जायेंगे उनके डिसीप्लिन के लिए, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ के लिए वह किसी भी हालत में लेस एडवान्टेजियस नहीं होंगे जो कि वह आजकल एन्जोय करते हैं । इसलिए यह एप्रीहेन्शन उनका बिलकुल किसी बेसिस पर नहीं है कि जो वे समझ रहे हैं कि इन सर्विसेज का यह होगा ।

रहा सवाल यह कि क्लास IV सर्वेन्ट्स के एपोइन्टमेंट्स का अधिकार विकास अधिकारी को नहीं दें । मैं आपको बताऊँ कि यह अधिकार आज भी विकास अधिकारी को ही है । वह आज भी रिक्रूट करता है और यह अधिकार प्रधान को देना इसलिए उचित नहीं होगा कि प्रधान इज़ हैड ऑफ दी पंचायत । वह पंचायत समिति के जितने भी सारे अपोइन्टमेन्ट्स हैं वह करेंगे और जहाँ तक डिसीप्लिन वगैरह का सवाल है, आपने देखा होगा कि जैसे सज़ा देने का प्रश्न है वह सजा देगा तो आगे जाकर फिर भी पंचायत समिति में रख रहे हैं । इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका एप्रीहेन्शन कैसे ठीक है कि यह अधिकार विकास अधिकारी को न देकर प्रधान को दिए जायें । इसका मतलब यह हुआ कि सर्विसेज़ को ट्रान्सफर करके उनको बिलकुल ऐसे छोड़ दिया जाये कि जिनकी अपोइन्टिंग ऑथोरिटी नहीं है और न बेसिस है । यह प्रोविजन रखना जरूरी है और उनके अपोइन्टमेन्ट के साथ सेक्शन ७३ ए के बावजूद भी बोर्ड बनेगा और जब-जब जगह खाली होंगी उसमें ७३-ए के तहत जो बोर्ड बनेगा वह रिक्रूट करता रहेगा और अभी जो स्टाफ ट्रन्सफर करेंगे उसके लिए टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स वही रहेंगी । उसमें हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं है । They will be deemed to have been appointed under this Act, जो माननीय सदस्य ने not withstanding section 73A.

Page No.64

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अमेन्डमेन्ट रखा है उसके अन्दर कहा है कि वे अधिकार प्रधान को दिये जांय। मैं कहता हूँ कि यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंन्ट है और डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स तो ऑफिसर्स को करना पड़ेगा और सारे पॉवर्स प्रधान के अन्दर कन्सेन्ट्रेट करेंगे।

डा० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि यह जो अपोइन्टमेन्ट्स हैं यह स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा सर्विसेज के अन्दर से किये जायेंगे या अपोइन्टमेन्ट्स बाहर से पंचायत समिति द्वारा किये जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : On the first constitution of Panchayat Samiti all appointments which will be made by the State Govt. from the existing services or by the Panchayat Samiti from the public ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फर्स्ट कॉन्स्टीट्यूशन के ऊपर तो सेक्शन ७३-ए एप्लाई ही नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेन्ट की जो सर्विसेज है आप देखिये इसमें स्पष्ट लिखा है : "(5) Nothing in this section or in section 73A shall apply to first appointments made upon the first constitution of a Panchayat Samiti under this Act and all persons holding appointments since before such constitution (a) posts encadred in the Service constituted under section 73A shall be deemed to be the members thereof and to have been substantively appointed thereto by the Panchayat Samiti," इसलिए वह जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है और जो पंचायत समिति के समय में जो भी स्टाफ मुकर्रर किया जायगा वह सेक्शन ७३ए के प्रोविजन्स को पूरे करने की आवश्यकता नहीं है...

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : यह ऑब्जेक्शन नहीं है उनका।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं वह क्लियर नहीं हो सका है। आप सेक्शन ७३ ए को दूर रखिये और जितने भी अपोइन्टमेंट करने वाले हैं यह अपोइन्टमेन्टस स्टेट सर्विसेज में से होंगे या पब्लिक में से होंगे। क्वेश्चन तो इतना सा है कि इसके अन्दर दो हिस्से हैं। एक तो जो एग्ज़िस्टिंग सर्विसेज़ हैं वह तो उनको प्रोटेक्शन देते है, इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं और वह रखी भी जानी चाहिए कि उनको इस कानून के अन्तर्गत मान्यता दें लेकिन वह सर्विसेज़ upon the first constitution of Panchayat Samiti निर्माण करने वाले हैं, उसमें दो बातें हैं। एक तो पब्लिक से लें और दूसरे स्टेट सर्विसेज़ में से। अगर आप स्टेट सर्विस में से लेकर इस डिपार्टमेन्ट को देते हैं तो कोई आपत्ति मुझे नहीं है और मैं अपना अमेन्डमेन्ट् भी वापिस ले लूंगा और अगर अपोइन्टमेन्ट्स पब्लिक में से किये जाते हैं तो वह या तो पंचायत समिति के थ्रू होंगे या सरकार की मार्फत होंगे यह चीज स्पष्ट हो जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब यह है कि जो सर्विसेज् पंचायत समिति जब कान्स्टीट्यूट होंगी उस तारीख तक जो अपोइन्टमेन्ट्स होंगे वे कौन करेगा ? वह तो गवर्नमेन्ट करेगी । पंचायत समिति जिस तारीख को बनेंगी उसके बाद में पंचायत समिति करेगी ।

श्री सभापति : इनकी आपत्ति यह है कि जो ऑलरेडी अपोइन्टेड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं वे तो रहेंगे लेकिन जो फ्रेश अपोइन्टमेन्ट्स होंगे वह कौन करेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हो सकता है पंचायत समिति के कॉन्स्टीट्यूशन तक तो गवर्नमेन्ट करेगी और गवर्नमेन्ट के जो पॉवर्स हैं डेवेलपमेन्ट के स्टाफ मुकर्रर करने के they will continue till the constitution of Panchayat Samiti.

श्री भैरोंसिंह : Panchayat Samiti can also exercise these powers. Panchayat Samiti has got certain powers of appointment under Section 25.

अब इसमें लिखा हुआ है अन्डर सेक्शन ७३ तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन २५ ए और ७३ में जितनी भी कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब की गई हैं नियुक्तियों के सम्बन्ध में उन कन्डीशन्स के अलावा या उन कन्डीशन्स को किसी भी प्रकार से ध्यान में रखते हुए अपोइन्टमेन्ट्स करते हैं पंचायतों के फर्स्ट कॉन्स्टीट्यूशन के ऊपर तो वह एपोइन्टमेन्ट्स किस के जरिये से होंगे ? सरकार जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट से लेन्ट सर्विसेज् पर पंचायत डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर किये जायेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उन सर्विसेज को पंचायत समिति एक्ट के अन्दर शुमार करें । कॉन्स्टीट्यूशन के बाद नये एपोइन्टमेन्ट्स करते हैं तो कौन से नियम के अनुसार ७३-ए में यह व्यवस्था कर देते हैं तो ७३-ए लागू नहीं होती है तो कौन से नियम के अन्तर्गत वह नियुक्त होंगे । मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा । अगर पब्लिक में से होंगे तो सरकार किस आधार पर करेगी और सरकार अधिकारी नियुक्त करती है सरकार की तो कोई बात नहीं लेकिन पब्लिक में से होंगे तो कौन करेगा पंचायत समितियां करेंगी या सरकार और किन नियमों के अन्तर्गत वे नियुक्त होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि पंचायत समितियों को उनके फर्स्ट कॉन्स्टीट्यूशन पर जितना भी स्टाफ एग्जिस्टिंग है existing staff will be transferred to Panchayat Samiti. और यह प्रोवीजन यहाँ पर ए है कि जितना भी यहाँ पर स्टाफ है...that will stand transferred to the Panchayat Samiti on the constitution of Panchayat Samiti. जब पंचायत समितियाँ बन जावेंगीं, तो बनने के बाद में एपोइन्टमेन्ट का जो तरीका होगा वह ६३-ए से गवर्न करेगा but only till the constitution of the Panchayat Samiti and the existing service will stand transferred to the Panchayat Samiti.

आपका मतलब यह है कि पंचायत समितियां बनेंगी तो उसके बाद में ७४ एप्लाई नहीं करेगा This is not intention. The intention is that nothing in this section or section 73 A shall apply to appointments made upon the first constitution of Panchayat Samiti.

Page No.66

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके अन्दर यह व्यवस्था है कि अपने फर्स्ट कॉन्स्टीट्यूशन के बाद वह कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ड्राफटिंग ठीक नहीं है।

श्री सभापति : The clause has two things. One is about first appointments and the other is about those who are already in Government service.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes Sir.

श्री मोहन लाल सुखाडिया (मुख्यमंत्री) मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक करने के बाद यह हो सकता है। हमारी मन्शा में कोई फर्क नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : I will just give you the Proper thing.

श्री सभापति : Then we may defer it.

प्रश्न यह है कि डा० बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

डा० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : This clause is deferred.

क्लॉज २६।

राजा श्रीमानसिंह (बैर): Sir, I would like to move a negativing motion against clause 26, that it be deleted.

श्री सभापति : You are opposing the clause?

राजा श्री मानसिंह : Yes Sir.

This clause reads as under :—

"The members of a Panchayat Samiti including the Pradhan, the Up-Pradhan and the members of a Standing Committee of a Panchayat Samiti including its Chairman shall be paid such allowances at such rates and in such circumstances as may be prescribed.

Provided that only one allowance shall be admissible for one day."

To further my arguments, I shall draw your attention to clause 29, part (2) proviso :—

"Provided that the payment of the salaries and allowances of the officers and servants of the Panchayat Samiti and of allowances to its members shall be a first charge upon the funds of the Panchayat Samiti and such charge shall be enforced in the prescribed manner."

These Panchayat Samities that we wish to constitute are in actual

(राजा श्री मानसिंह)

essence not different from the existing Block Development Committees. The Sarpanchas of all the Panchayats and Tehsil Panchayats are members of the present Block Development Committees and M. L. A.s are also members of these Development Committees. Similarly M. L. A. s are also to be associate members of the Panchayat Samities. In essence, Sir, there is no difference between the Panchayat Samiti composition and the composition of the present Block Development Committees. As far as I know there is no demand from amongst the Sarpanchas of the various Panchayats who will be members of the newly constituted Panchayat Samities that they should be paid allowances for attending meetings of Panchayat Samities.

डा० बहादुरसिंह : आप क्या प्रोवीजन कराना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : You mean that no allowances should be given ?

राजा श्री मानसिंह : No allowances. There is no such demand from the Sarpanchas.

In my district, every Panchayat area lies within the head-quarters of that block, within a distance of five miles. It may vary in other districts. And if we have been able to serve our people for the last four-five years in the Various Block Development Committees, in the same way we can serve them in future without taking allowance. I don't know why this provision has been made.

Since this question has been raised several times during the debate on this Bill, I have a feeling that there is an under-current amongst the members, specially those who belong to Congress benches, that they wish to receive allowances for attending Panchayat Samiti meetings. The actual fact is that most of the beneficiaries will be persons who will be co-opted from outside the block or M. L. As. who will be associate members and who are not residing in rural areas. It seems to me, Sir, that perhaps at present the the members of this House are not able to cover long distances for financial reasons, they will be able, with this provision, to attend meetings of the Panchayat Samities and will be paid allowances and at the same time they will be able to tour their constituencies.

We have the case of an Hon'ble Member who is resident in Jaipur, who was formerly from Udaipur and now at present his constituency in is Jodhpur. From where the allowance should be paid in his case ?

By accepting that M.L.A,s should be associate members of the Panchayat Samities without any powers, I think the only adjective that I can give is that we are making them

(राजा श्रीमानसिंह)

technically important. If they accept this position, they will be important parasites on the society. Therefore, I strongly oppose this clause.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो इसका विरोध करते हुए बताया कि इसमें कोई एम० एल० ए० इन्क्ल्यूड होना चाहिए तो उनको टी० ए० और डी० ए० नहीं मिलना चाहिए। मैं सिद्धान्त: इसे स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य नहीं लेना चाहें तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य पंचायत समिति में या और कहीं जावें तब टी० ए०, डी० ए० नहीं लें तो आपत्ति नहीं है। जहां तक प्रिन्सिपल का सवाल है एसोशियेट मेम्बर्स जब इनको रखा है तो हट...

राजा श्री मानसिंह : Shame, shame.

श्री दामोदरलाल व्यास : Really I am sure you won't charge anything.

राजा श्री मानसिंह : I will make that commitment in the Panchayat Samiti where I may be a member, not in this House.

श्री दामोदरलाल व्यास : Very well. We had another announcement from another Hon'ble Member from Danta with regard to salary and allowances and we have to see whether he charges or not, and we shall also see whether you charge the allowance or not.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ में 'Members' के आगे and associate Members of Panchayat Samiti इन्क्ल्यूड किये जाने का जो संशोधन श्री मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २६, एज अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

क्लॉज २७

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, क्लॉज २७ में टैक्स लगाने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया है और सभापति महोदय, यदि इन टैक्सेज की लिस्ट हम देखें तो यह प्रतीत होगा कि इसको देखते ही ग्रामीण जनता के होश खत्ते हो जायेंगे। बजाय इसके कि वे आशा करते थे कि ब्लॉक डेवलपमेन्ट से और पंचायत समितियों के निर्माण से उनको कुछ अधिकार मिलेंगे, उनकी कुछ सुविधाएं बढ़ेंगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा उसके बजाय जो तस्वीर धारा २७ उनके सामने रखेगी वह यह होगी कि उन पर टैक्स और लगाने जा रहे हैं और इस टैक्स के कारण उनको उत्साह न होकर सारी योजना के प्रति निराशा की भावना फैल जायेगी, इसलिए

(श्री रघुवीरसिंह)

मैंने यह निवेदन किया है कि इन टैक्सेज में बहुत सारे टैक्सेज हैं उप-क्लॉज (२) के नीचे उनको विलोपित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं लोगों के दिल में यह आयेगा कि सरकार यह चाहती है....

श्री सभापति : आपका अमेन्डमेन्ट सब-क्लॉज (१) के लिए है ?

श्री रघुवीरसिंह : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : सब-क्लॉज (१) सारा डिलीट कराना चाहते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आप कितना पोर्शन डिलीट कराना चाहते हैं यह बता दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह : ये टैक्सेज एग्रीकल्चरिस्ट्स पर लगाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चरिस्ट्स पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू उनसे लेते हैं और उनकी प्रोड्यूस पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है वही काफी है, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स और लगाया गया है। आखिर उनके पास वही तो जमीन है और उसी पर आप रेन्ट लेते तो फिर यह डबल टैक्सेशन क्यों है। पैदावार पर टैक्स, रेन्ट पर रेन्ट, मैं समझता हूँ यह उन पर अन्याय होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सब-क्लॉज (१) जिस में भिन्न भिन्न टैक्सेज हैं उसको विलोपित कर दिया तो सारी योजना फायदेमन्द सिद्ध होगी अन्यथा निराशा का नजारा सामने आवेगा।

श्री सभापति : राव श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, क्लॉज २७ पर मेरे तीन प्रकार के संशोधन तीन पृथक् पृथक् सिद्धान्तों को लेकर हैं। पहला है To delete part (ए) and (डी) in clause २७ (१) इसके बाद सब क्लॉज (२) में डिलीट पार्ट (३) उसके बाद २७ में एक प्रोविजो जोड़ने का है....

श्री सभापति: There is no such amendment of adding anything. Your amendment is at No. 120.

आपका अमेन्डमेन्ट यह है।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : क्लॉज २७ में आगे भी एक प्रोविजो है। यदि एग्री हों तो सारे अमेंडमेंट बोल जाऊं। इसमें प्रोविजो बढ़ाने का है, जो इस प्रकार है :

"Provided that any decision under this section shall be taken by a majority of 2/3 of the whole number of members of the Panchayat Samiti."

मैंने जैसा कि अर्ज किया, इन तीनों प्रकार के संशोधनों को प्रस्तुत करते समय तीन प्रकार के सिद्धान्त मेरे सामने थे। सबसे पहला संशोधन पार्ट ए को डिलीट करने का है, उसमें मेरा खास ध्यान भूमि हीन लोगों की ओर जाता है। भूमिहीन लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं इसको डिलीट कराना चाहता हूं। आज भूमिहीनों को भूमि दिलाने की नीति है। आर्थिक रूप से या और किसी तरह से उनको स्थापन करना है, उनको रोजी दिलाना है।

(राव श्री नारायणसिंह)

यदि हम इस प्रकार का करों का भार इस विधेयक के माफिक मंजूर करते हैं तो एक प्रकार से भूमिहीन को भूमि दिलाने की नीति की अवहेलना करते हैं।

इसके अलावा जो मेरा दूसरा संशोधन है वह एज्युकेशन सेस का है। मैं समझता हूँ, यह सामाजिक प्रगति में अवरोध लानेवाली चीज है। हम सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने की इच्छा से शिक्षा में प्रफुल्लता और उल्लास लाना चाहते हैं। गांवों में शिक्षा के प्रति अरुचि विशेष है। यदि हम कर लगाते हैं तो इससे उनकी अरुचि को हटाने में फायदा नहीं देते।

तीसरा संशोधन है कर देनेवालों की क्षमता के बारे में। विशेष प्रकार के कर लगाने की केपेसिटी या क्षमता उनकी है या नहीं। करों के विषय में विभिन्न अधिकार देते हैं तो आज हमें यह भुलाने की आवश्यकता नहीं है कि हम चुनाव के समय एक प्रकार का अमेन्डेन्ट लेकर आते हैं और हम उसके माफिक जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आर्थिक व्यवस्था सुचारु ढंग से और प्रजातान्त्रिक ढंग से बना सकते हैं। अब आज जो इस प्रजेन्ट स्ट्रक्चर में कर पद्धति देखते हैं, तो वह एक प्रकार से 'थ्री टॉयर सिस्टम' कहा जा सकता है, जो सेन्टर से शुरू होकर लोकल लेवल तक जाता है और इस लोकल लेवल के अन्दर पंचायतों को कई कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं इसी मूलाधार से पंचायत समिति को कर लगाने के अधिकार दे रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो खास चीज रखने की है, वह यह है कि जिसको हम कर लगाने का अधिकार दे रहे हैं, वे उसके लिए कॉम्पीटेन्ट हैं या नहीं, उनकी क्षमता इतनी है या नहीं कि कर की मौलिक वस्तु को समझ सकें। इसके अलावा जो बात फ्यूडरल स्ट्रक्चर में इकोनोमिस्ट ने अर्थ तत्व बताया कि करों में दुहरापन तो नहीं है, यह देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उत्पादन, खपत के पहलुओं, आर्थिक संतुलन के पहलू को देखने की आवश्यकता पड़ती है। पुराने जमाने में कर पद्धति शुरू हुई और प्रिमिटिव स्टेज से कर-पद्धति शुरू हुई और फ्यूडल सिस्टम में, जो आज बहुत नजदीक समय तक था, कर लाजिमी हो गया, हर सिटीजन के लिए लाजिमी हो गया। कर के लाजिमीपन के साथ कर दाता की मन्शा का द्योतन, ख्याल कुछ न्यून था। आज कर दाता की मन्शा को भी देखने का सवाल होता है। जब हम प्रजातन्त्र का विकास कर रहे हैं तो टैक्सपेअर के कोऑपरेशन को लेने का सवाल होता है और तब कर दाता के स्तर को भूल कर, कर नहीं लगा सकते। यहां पर मैं एक अर्थ विशेषज्ञ की बात को उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता, एक अर्थ-विशेषज्ञ कहते हैं :

"Taxation is not only a means of raising sufficient revenue to meet the fiscal needs of the State but consciously regulating and correcting the distribution and use of private property."

आज हम इस कर को यदि देखें, जो कि इस क्लोज के पार्ट १ के मार्फत लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई प्राइवेट प्रोपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का, धन के संतुलित वितरण का प्रश्न नहीं उठता। इसमें केवल एकमात्र,

(राव श्री नारायणसिंह)

जो दबा हुआ तबका है हमारे कृषि क्षेत्र में, उसको उठाने का सवाल, विक्षेप करने वाला सवाल होता है। इस दृष्टि से सामाजिक न्याय को प्रश्न नहीं है। एक दूसरे अर्थ तात्विक कहते हैं :

"What is desirable is that taxation should be levied:—

(a) without checking produ-tion;

(b) without any avoidable waste;

(c) without arousing an effec-tive oppssition, e. g. a sense of injustice.

(d) without encouraging social evlis.

यह मूलाधार कर के लगाने में आ जाता है। आज हम इस क्लॉज २७ के अनुसार कर लगाना चाह रहे हैं, मैं इससे भी आगे चलता हूँ। हमने पंचायत एक्ट के अन्दर कर लगाने की शक्ति पंचायत को दी है, जो हम केश क्रॉप्स पर कर लगाने की शक्ति इस एक्ट के मार्फत देना चाहते हैं, उस पर विचारने की आवश्यकता है। जो यह मौलिक सिद्धान्त हमारे सामने रखा जाता है, प्रोडक्शन, कन्जम्पशन, इकोनोमिक बेलेन्स का, जनता का उसके प्रति विरोध नहीं है, लेकिन यह देखना होगा कि सोशल जस्टिस पूरी तरह होती है या नहीं। आज कर लगाने जा रहे हैं तो देखेंगे कि मौलिक खरत की वस्तु पर कर पड़ेगा। टिनेन्ट रेंट देता है, उसके ऊपर आप सेस लगाते हैं। आज यह टिनेन्ट प्रोपराइटर्स हैं, यह बात नहीं है। इस क्लॉज की फ्रेजालोजी से स्पष्ट मालूम होता है :

"tax payable on

"rent payable for the use or occu-pation of agricultural land"

अब इसमें वे भी आ जाते हैं जो भूमिहीन हैं और किसी दूसरे की जमीन को काश्त करते हैं, वे केवल मात्र उस भूमि के ऊपर काश्त करते हैं, उसकी पैनेल्टी वसूल करना चाहते हैं। इस कानून के मार्फत जब हम भूमिहीनों को सेटल करना चाहते हैं, जो लैंड-लेस की प्राब्लम है, उसके लिए कानून बनाते हैं तो इनके ऊपर विशेष भार लाद करके कैसे इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट में आध आना पर रुपये का, कर सेक्शन २७।१। (बी) इत्यादि में है। हम देखते हैं कि इधर यह कर होगा और उधर पंचायत कर लगाने की शक्ति रखेंगी, वे कर होंगे और इसी के मार्फत पंचायत समिति को और कर लगाने की शक्ति देते हैं, तो इस प्रकार यह दुहरा कर नहीं, तिहरा कर होता है। आज बढ़ती हुई जितनी व्यवस्था बनायेंगे और इस प्रकार कर लगाने का अधिकार दे देंगे, तो कर के प्रति जनता का प्रेम और पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते और इस कारण कर पद्धति के ऊपर आघात पड़ता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में जहां हम कर लगाते हैं, वह साइन्टीफिक ढग से ठीक जँचता है या नहीं। मैं अर्ज करूं कि हमें यह देखना पड़ेगा कि जो लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू लिया जाता है, वह साइंटीफिक कर है या जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स है, वह साइन्टीफिक कर है। मैं अर्ज कर सकता हूँ कि निहिल

(राव श्री नारायणसिंह)

एज योरप की थी ,फ्यूडल टाइम की एज थी, उसमें एक मुकर्रर कर लगा दिया जाता है, उसमें साइन्टीफिक बाधायें नहीं थीं, जो उत्पादन करता था, उससे बांटे के हिसाब से कर लिया जाता था और उसके बाद लैंड सिस्टम में प्रगति हुई, इवेल्यूशन हुआ और कर लगाने के मौलिक सिद्धान्त बनाये। आज इस निश्चय पर आते जा रहे हैं कि जो इन्कम टैक्स का एक कर है, हमारे पाश्चात्य अर्थ विशेषज्ञ को उसमें ज्यादा वैज्ञानिकता मालूम पड़ती है और वे एक प्रकार से यह ख्याल रखते हैं कि जितनी बढ़ती हुई आमदनी होगी, उसमें बढ़ता हुआ टैक्स लेने की गुंजाइश होगी और उस दृष्टि से कर लगाया जाता है और उसमें विशेष परिश्रम के लिए एक्जेम्पशन दिया जाता है। इस दृष्टि से कई विशेषज्ञों ने, नेताओं ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की आवाज उठाई, केन्द्र के फाईनेन्स मिनिस्टर ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की आवाज उठाई। आज सब एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिए आवाज उठा रहे हैं और लैंड रेवेन्यू से मुक्त कर देना चाहते हैं एक स्तर तक, २५०० की आमदनी तक। दूसरी तरफ भूमिहीनों पर दुहारा तिहारा भार करका, विकेन्द्रित व्यवस्था में डाल देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी नीति में एक कुंठनता आ जायेगी, एक प्रकार का विक्षेप हो जायेगा, एक मडल्ड अप व्यू आयेगी। इस दृष्टि से हमें सोचना होगा और मैं जैसा अर्ज कर चुका हूँ इसमें सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं रहता, हम जिस प्रकार लैंडलैस के ऊपर किसी प्रकार का भार छोड़ते हैं, तो फिर सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है। तो मैं इन बातों के साथ खास तौर से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं यह सिफारिश कर रहा हूँ कि पार्ट ए को डिलीट कर दिया जाय। उसके साथ जो खराबियां हमारे सामने आती हैं, उससे बचाव का उपाय हो रहा है। मैं एक सिफारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कृषि भूमि पर काश्त करेगा उस पर टैक्स का निवारण करेंगे और जो मुकर्रर टैक्स की पद्धति है, उससे बचायेंगे। तीसरे कर भार के विचार में न्यूनता है, उससे बचायेंगे, उत्पादन के महत्व में जो न्यूनता है, उससे वे बचेंगे और खपत कर वहाँ नहीं रखा गया है, हम उस विचार से अभिभूत होकर इसको अलग करेंगे और इसके बाद सामाजिक न्याय के प्रश्न पर सोचेंगे। जैसा कि मैंने कहा दोहरे कर से नहीं, तिहरे कर से बचेंगे और धन के संतुलित वितरण का प्रश्न नजर नहीं आता, उस आत्मविडम्बना और आत्मा-प्रवंचना से बचने की कोशिश करेंगे।

तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह कह कर जो भूमि हीनों पर विशेषतः इस पार्ट के माफिक लगाते हैं उससे बचने के लिये इसको हटा देना चाहिये। इसको हटाते हैं तो इसके साथ ही साथ क्लॉज बी. भी हटाना चाहिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : Point of

(राव श्री नारायणसिंह)

information. It have to inform the Hon'ble Member that so far as clause 64 of the Panchayat Act is concerned we have already omitted it at page 10 of the Bill

"(X) In Section 64 of the said Act under sub section (1), clauses (a), (b), (c) and (d) shall be omitted."

जो टेक्स २७ में लगाये हैं वो टैक्सेज पंचायतें लगा सकती थीं, उनको पंचायत एक्ट में ओमिट कर दिया है। इस लिये डबल टैक्सेशन का सवाल जैसा कि माननीय सदस्य फरमा रहे हैं पैदा नहीं होता।

राव नारायणसिंह : इससे मुझे ज्यादा प्रकाश मिला है। पंचायत एक्ट के तहत पंचायतें लगा सकती थीं उसको अलग कर दिया पर वास्तव में जो लैंड रेवेन्यू कर और दूसरे टेक्सेज हैं, वे तो रहते ही हैं तो वैसी दशा में यह फिर भी दोहरा टैक्स ही रहेगा और वह भी ऐसे व्यक्तियों पर रहेगा जिनके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया। ऐसी हालत में मैं तो इसको पसंद नहीं करता। इसलिये ए और बी को डिलीट करने का संशोधन रखता हूँ।

सब क्लॉज ३ का है, प्राइमरी एज्युकेशन सेस लगायेंगे। कुछ सामाजिक सेवाएँ ऐसी होती हैं जो कि समाज में प्रगति को प्रोत्साहित करती हैं। आज हम हार्दिक प्रगति करना चाहें, प्रजातन्त्र की प्रगति करना चाहें प्रजातन्त्र को प्रजा के मानस पर सही ढंग से उतारना चाहें तो यह सब शिक्षा ही के प्रसार से कर सकते हैं। पहले से ही काश्तकार लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिये भेजने में हिचकिचाते हैं, इस पर भी यह सेस और लगा देंगे तो उसकी इच्छा और भी इस ओर से हटेगी। कम्पलसरी एज्युकेशन का प्रश्न उठायेंगे तो वह डरेगा कि इधर तो पढ़ाओ और कर नहीं दो तो सेस दो। मैं यह मानता हूं कि पंचायत समिति के फंड्स रेज करने का दायरा होना चाहिये पर वह सही दायरा होना चाहिये पर इनको गलत रास्ते से जाने से बचायेंगे, अगर इस तरह पूरे फंड्स नहीं होते हैं तो हमें कन्ट्रीब्यूट करना चाहिये, हमें इन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहिये। नहीं तो जैसा कि कहा जाता है ये तो दूसरे जागीरदार हो जायेंगे जिस प्रजातन्त्र को हम विकसित और प्रफुल्लित करना चाहते हैं, उसके लिये हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि करके अधिकार प्रजातन्त्रीय अंग को देना चाहें उनकी कांम्पेटेन्सी को समझ कर दें कि वे सही ढंग से लगा सकेंगे कि नहीं, कन्जम्पशन और प्रांडक्शन के तत्वों को समझ सकेंगे कि नहीं।

इसके साथ ही अन्त में मैंने प्रोविजो जोड़ा कि २।३ मेजोरिटी २७ की किसी भी कार्यवाही में होनी चाहिये। २।३ मेजोरिटी ही नहीं मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल की किसी भी क्लॉज में जहाँ मेजोरिटी का प्रश्न हो ३।४ मेजोरिटी रखने की कोशिश करेंगे। मैं इस २।३ मेजोरिटी के लाने के बारे में माननीय राजस्व मंत्रीजी के वक्तव्य से प्रभावित हुआ, उन्होंने साधारण डेवलपमेंट के कार्यों में निर्णय लेने के लिये सही समझा कि २।३ मेजोरिटी होनी चाहिये। तो मैं इसको और भी जरूरी समझता हूं कि कर लगाने के लिये पंचायतों में पंचायत समिति में ३।४ मेजोरिटी का सिद्धान्त लिया जाना चाहिये। राज्य सरकार की सत्तायें हैं, केन्द्रीय सरकार की सत्ताएं हैं, जहां विशेषज्ञों की राय सदा प्राप्त रहती हैं, चिंतन का स्तर भी ऊँचा

(राव श्री नारायणसिंह)

होता है, वहाँ इस चीज को लाजिमी की जाय पर मैं इस बात को आवश्यकता समझता हूँ कि कोई प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नीचे दर्जे की हो और उसकी कॉम्पेटेन्सी एक दायरे से कम हो तो उसके लिये रोकथाम की आवश्यकता ज्यादा है। इसीलिये मैं देखता हूं कि म्युनिसिपल कानून में, पंचायतों के कानून में, पंचायत समिति के कानून में, स्टेट गवर्नमेंट के कन्ट्रोल की क्लॉजेज रखते हैं, इसलिये रखते हैं कि कोई प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को भूलकर गलत राह पर नहीं चला जाय।

यदि हमें इन व्यवस्थाओं को हर स्तर पर जनप्रिय बनाना है तो हमें कर लेने के अधिकारों के साथ-साथ यह सोचना पड़ेगा कि जिनको हम इस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं वे किसी विशेष प्रकार के कर को लगाने और समझने में सक्षम हैं कि नहीं। इसको लगाने में उनके पास कितनी शक्ति होनी चाहिये। इस प्रकार की रोक के बाद कर लगाना चाहिये। इतनी रोक लगाने के बाद फिर कर लगाने का रखेंगे तो सही ढंग पर जमेगा।

मैं फिर जोरों के साथ सिफारिश करूंगा कि इस क्लॉज में सारी पंचायत समितियों की सफलता की कुंजी है और हमें यदि पीछे को भी लौटना पड़े तो पंचायत एक्ट में इस प्रकार के संशोधन कर दें। जहां कर का सवाल है वहां अधिकाधिक बहुमत की आवश्यकता है इस बात को नहीं भूलते हुए छोटे स्तर पर इसको लाजिमी बना देना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, क्लॉज २७, सब-क्लॉज (१) पार्ट ए., बी. और सी. में मेरा संशोधन है :

In parts (a), (b) and (c) of sub-clause (1) substitute the word 'five' for the word 'six'.

बात यह है कि आज जो टैक्स लगाने की हमारी पद्धति है वह किस प्रकार की है और हमें टैक्स किस दर से लगाना चाहिए यह है। मैंने इसमें १ पैसा कुल कम करने के सम्बन्ध में कहा है, उससे कोई किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है या किसानों को लाभ मिलने वाला है यह मेरा मतलब नहीं है। बल्कि मेरा मतलब यह है कि पैसे का मूल्यांकन है वह दशमलव पद्धति से चलेगा तो ६ पैसे रखने का कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता। सरकार जब कभी भी टैक्स लगाने की कोशिश करे तो कॉइन्स का ख्याल करे, या तो १० परसेन्ट, ५ परसेन्ट, २० परसेन्ट, १५ परसेन्ट यह सिस्टम चलेगा तो ठीक पड़ेगा। ६ पैसे के लिए आप कहेंगे कि एक आना पड़ेगा पर वह आगे जाकर बन्द होने वाला है....

श्री दामोदरलाल व्यास : ६ नये पैसे तो रहेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : इसका हिसाब नहीं रहता। २० पर क्या होगा। जहां पर दशमलव प्रणाली है उसके हिसाब से आवेंगे।

दूसरी बात टैक्सेशन में कमी है।

श्री सभापति : आपने जैसे कहा कि २० पर ६ पैसे का हिसाब नहीं बनता उसी प्रकार १२ पर आपके इन पैसों का हिसाब नहीं बैठता है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह दशमलव प्रणाली है। पहले दशमलव प्रणाली नहीं थी पहले १।४ का सिस्टम था और उस हिसाब से १।१६ हिस्सा ठीक था। लेकिन अब आज १।१० हिस्सा चलता है। अगर इसके बजाय १।४ होता तो इस हिसाब से ठीक हो सकता था। जब १।१० है तो ५ पैसे ही होने चाहिए।

दूसरी बात टैक्सेशन कम है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप पंचायत समिति का गठन करने जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जिस उद्देश्य से पंचायत समितियों का हमने गठन किया है उसमें यह ध्यान रखा गया है कि जन सहयोग, विकास के कार्यों में जितना मिलना चाहिए नहीं मिला है इसलिए पंचायत समितियों का गठन किया है। मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं इसमें श्रम कर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई पंचायत समिति कोई विकास का काम करना चाहे और सर्वसम्मति से यह तय करे कि कोई ताल या कुंआ खुदवाना है और उसमें लोगों को श्रम देना चाहिए उसके लिए अगर कोई श्रम नहीं दे तो उनसे श्रम के बराबर मूल्यांकन पे करे। इस तरह श्रम कर की व्यवस्था रखनी चाहिए थी।

श्री सभापति : But there is no such amendment.

डा० बहादुरसिंह : इस तरह के श्रम कर की व्यवस्था का मैं इसमें अभाव देखता हूं।

श्री सभापति : Are you moving an amendment ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। अमेन्डमेंट सरकार की तरफ से आना चाहिए। मालूम हुआ है कि श्री पी०के० चौधरी का अमेंडमेंट आनेवाला है।

श्री सभापति : आप अपने अमेंडमेंट पर ही बोलें।

डा० बहादुरसिंह : मैं क्लॉज में जो कमियां रह गई हैं उन पर बोल रहा हूँ।

श्री सभापति : You want to oppose the clause ?

डा० बहादुरसिंह : मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में जो कमियां रह गई हैं वे सुझा रहा हूं ताकि मंत्री महोदय इसको पाइलोट कर रहे हैं उनको दूर कर लेंगे।

श्री सभापति : There is no such amendment before the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : He is only suggesting.

डा० बहादुरसिंह : यह मैं सजेशन दे रहा हूं जो मैं दे सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जब आपने पर्टीकुलर विषय (सब्जेक्ट) पर ही अपना अमेन्डमेन्ट दिया है तो उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : But he can speak on the entire clause.

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा अमेन्डमेंट है। मगर सजेशन तो दे ही सकता हूं।

श्री सभापति : Presently the amendments are being moved and you have moved your amendment. So

(श्री सभापति)

far as the amendment is concerned, you speak on the amendment and not otherwise.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है :—

Add the following new parts in sub-clause (1) :—

" (e) a tax on adult male members of any area under the jurisdiction of the Samiti for the construction of any public work of general utility for the benefit of the general public of the said area :

Provided that any member may be exempted from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour or having it done by another person on his behalf, and

(f) a tax on cash crop."

सभापति महोदय, यह जो क्लॉज २७ है टैक्सेशन का, इसके सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्रों ने और कोई माननीय सदस्यों ने इसके खिलाफ काफी कहा है कि टैक्सेशन नहीं रहना चाहिये और मेरी यह राय है कि जो टैक्सेशन इसमें रखा गया है वह कम रखा गया है और ज्यादा क्यों रखना चाहिये इसके सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आप यह चाहते हैं कि विकास के काम हो जावेंगे और राज्य सरकार की तरफ से आपको पैसा मिल जावेगा। तो इस तरह से आज हम देखते हैं कि कोई भी काम होते हैं तो सरकार से हम रुपया चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे यहां पर रास्ते बनाये जावें या कोई स्कूल बनाये जावें। तो इन सारी बातों के लिए हम गवर्नमेंट के मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि हमारे सारे काम सरकार करे। इसका नतीजा यह होता है कि हम स्पोइल्ड चाइल्ड की तरह सरकार से रुपया मांगते रहते हैं। अगर स्पोइल्ड चाइल्ड को कहीं सिनेमा में जाना है तो वह अपने बाप से रुपया मांगता है। अगर उसको मोटर खरीदना है तो वह अपने बाप से पैसा मांगता है। बाप को पैसा कहां से देना पड़ता है, यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जिन टैक्सों का लोकल फायदा जिनको मिले उनकी जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिये। आज मान लें कि हम कहीं पर प्राइमरी एज्युकेशन शुरू करते हैं तो आप प्राइमरी एज्युकेशन बगैर टैक्स के आप कम्पलसरी कर नहीं सकते क्योंकि उसमें खर्चा लगता है। आपके पास कोई पैसा नहीं हैं। आप यह चाहते हैं कि टैक्स एज्युकेशन के लिए नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल इम्पोसिबल बात है। आखिर गवर्नमेंट भी पैसा देगी तो वह भी कहां से लावेगी। वह भी टैक्सेज से ही वसूल करेगी। टैक्सेशन कमेटी ने यह तय किया है कि जिन टैक्सों से आपको फायदा मिलता है उसकी रेस्पोन्सीबिलिटी आपको लेनी चाहिए। मान लें कि अगर आप एज्युकेशन सेस वसूल करते हैं और स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो बराबर उनको गांव वालों में दुहाई होगी। अन्यथा उनको परवाह नहीं होगी। पंचायत समिति हो चाहे पंचायत हो अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो लोग पंचों और पंचायत समितियों को उनके लिए जिम्मेदार बनावेंगे। जो फायदा जब

(श्री पी० के० चौधरी)

लोगों को मिलेगा तो उसको वसूल करने की जिम्मेदारी भी पंचायत समिति पर रहेगी। हम पैसा कहां से लाते हैं। हमें सरकार के पास से लेना होगा। किसी न किसी तरह से पैसा लाना होगा वह सरकार भी इनडायरेक्टली गांव वालों से ही लेगी। चाहे वह सेल्स टैक्स के जरिये से हो या एक्साइज टैक्स के जरिये से हो, किसी तरह से टैक्स आपको पे करना होगा। इसके अलावा जो खर्चा आप करेंगे उसकी सीमा नहीं रहती है अगर सरकार देती है। लेकिन जब आप बहुत सी सेसें वसूल करेंगे तो उन पर आपकी निगरानी रहेगी और उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। दूसरी बात मैंने जो अमेंडमेंट रखा है यह कोई नई बात नहीं है। आपने इस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था पंचायत एक्ट के अन्दर ६५ में रखी है कि गवर्नमेंट की परमिशन से पंचायत टैक्स वसूल कर सकती है। केश क्रोप के लिये आपने पंचायत एक्ट की धारा ६४ में प्रावधान किया है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पंचायतें उसको लेकर टैक्स कह सकतीं हैं। मगर वे उनको वसूल करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उनका रिलेशन उन लोगों के साथ इतना पेचुलर रहता है जो इसके लिये रूकावट डालता है। कोई पंच या सरपंच इस टैक्स को लागू करना नहीं चाहेगा। मैं समझता हूं कि यह कोमरशियल क्रोप पर टैक्स है वह कई मायने में पंचायत समिति को देना चाहिये। इसलिए मैंने केश क्रोप टैक्सेशन का प्रोविजो यहां रखा है।

दूसरी बात कि केश क्रोप के लिए ६४-ए में पंचायतों को अधिकार दे रहा है तो बहुत ही कम ऐसी पंचायत होंगी जो कि इस पर अमल करेंगी। पंचायत समितियां तो उस पर अमल कर सकती हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां नहरों की योजना है, चम्बल की योजना है, भाखरा की योजना है। नहर का पानी जब मिलता है तो एग्रीकल्चरिस्ट जो ढांचा है क्रोप पेटर्न को ही बदल देता है। वह केश क्रोपपर चला जाता है। उसका नतीजा यू० पी० में देखते हैं। वहां पर गेहूं का भाव १८-१६ रु० मन हैं और सारे क्षेत्र में गन्ना ही गन्ना, शुगर केन ही शुगरकेन आपको देखने को मिलेगा। फूड क्रोप्स को न बो करके शुगर केन को ही बोते हैं। गुजरात को लीजिये डेफिसिट है फूड ग्रेन्स में वहां कोस्ल कल्टीवेट करते है ग्राउन्ड नट्स पैदा करते हैं और राजस्थान में से बम्बई को अनाज भेजते हैं जिससे कि राजस्थान में भाव बढ़ता है। तो जो पीजेन्टरी है उसको जैसे पानी की सुविधा मिलती है, खाद की सुविधा मिलती है, ज्यों ज्यों उनको हर एक चीज की फेसिलिटी मिलती जाती है त्यों त्यों they are shifting the crops इसलिए हमको क्रोप पेटर्न को कन्ट्रोल करना है। आज हिन्दुस्तान में लगभग १०० करोड़ रुपया का बाहर से अनाज आता है लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट पर यहां पर प्रोडक्शन प्रोग्राम पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। डिक्टेटरशिप तो नहीं है। इस इलाके में केश क्रोप नहीं पैदा कर सकते। इस इलाके में गन्ना पैदा नहीं कर सकते, इस तरह के डिक्टेटरशिप के ऑर्डर्स नहीं दे सकते जब तक हमारे यहां प्रजातन्त्र है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेन्ट चुनी हुई है, ऐसा मेंडेट किसी जगह भी नहीं दे सकते हैं लेकिन केश क्रोप टेक्सेशन के जरिये, कोमर्शियल क्रोप पर टैक्सेशन के जरिये they are shifting to cash crop we can direct our production programme, कायी प्रोडक्शन कर सकते हैं। राजस्थान के लिए चम्बल

Page No.78

(श्री पी० के० चौधरी)

योजना है, राजस्थान केनाल की योजना है और जब ये पूरी हो जायेंगी उन सब के बाद आप देखेंगे कि सारे एग्रीकल्चरिस्ट केश क्रोप्स की ओर जावेंगे। गन्ना, कॉटन, चीलीज पैदा करने में एडीक्वेट वाटर सप्लाई से ज्यादा पैसा उनको मिलता है इन क्रोप्स में। उसको कन्ट्रोल करना है। इसको पंचायत समिति की ही दृष्टि से न देखकर इसको मुल्क की दृष्टि से भी देखना चाहिये। मैं इतना मानता हूं और विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी और मिनिस्टर इन्चार्ज यह स्वीकार करेंगे कि पंचायत समिति के लिए केश क्रोप पर लेवी करने में दिक्कत होगी जब कि पंचायत समिति के लिए नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : That clause we have already passed, about tax on commercial crops to be imposed by Panchayats.

श्री पी० के० चौधरी : That has been passed. लेकिन वह एडीशनल है। बहुत से टैक्सेज इसमें भी हैं, ट्रेड्स एन्ड कॉलिंग्स के टैक्स पंचायत एक्ट में भी है। यहां भी स्पेशियली...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : That has been omitted.

श्री दामोदरलाल व्यास : You can see clause 64(1) (a), (b) and (c). that has been omitted.

श्री पी० के० चौधरी : पंचायत एक्ट में जो टैक्सेज है उनके लिए प्रोविजन है कि वे गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स लेकर टैक्स लेवी करेंगे। यहां पर पंचायत समितियों को ही अधिकार दीजिये, उनके लिए प्रोविजन हो जाना चाहिए। पंचायत एक्ट में प्रोविजन रहने से रियेलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसको मंजूर किया जाय।

तीसरी बात इसमें करेक्शन स्लिप के जरिये से " A tax on such callings, trades and professions and industries, as may be prescribed" इसमें, पंचायत समितियों में टैक्सेज को ओमिट किया गया है। जिस ढंग से ओरिजिनल बिल था उसी ढंग से इसको रखना चाहिये।

चौथी बात में एक कमी यह रह गई है कि मिनिमम रेट्स फिक्स नहीं की गई हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से प्रेस्क्राइब्ड मेनर में प्रोविजन होना चाहिये "Government will prescribe the minimum rates."

बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी पेज १३० पर कहा है कि—

"In the case of some of these taxes, it will be necessary to prescribe a compulsory minimum rate." जब तक गवर्नमेन्ट मिनिमम टैक्स प्रेस्क्राइब नहीं करेगी तब तक टैक्स में युनिफॉर्मिटी नहीं होगी। नाममात्र के लिए भी वसूल हो सकता है। इसलिए मिनिमम रेट्स इसमें प्रेस्क्राइब कर दिया जाना जरूरी है। प्रेस्क्राइब्ड मेनर के साथ-साथ पर्टीक्युलरली क्या होना चाहिये, यह प्रेस्क्राइब करना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति, क्लॉज़ २७ पर मेरा एक संशोधन है। संशोधन यह है कि सब-क्लॉज़ (२) का पार्ट () डिलीट कर दिया जावे। इस सिलसिले में पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल के अन्तर्गत पंचायत समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा पर टैक्स लगा सकेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ अभी सुन कर जब कि मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि अनिवार्य शिक्षा के लिए गांवों में सेस लगाना अनिवार्य है। आज से साल भर पहले कम्पलसरी एजुकेशन का शहरों में दौर चला था और कुछ दिन पहले भी स्कूलों में अधिक बच्चे दाखिल कराये जायँ इस प्रकार का अभियान चलाया गया। इसके दौरान में सरकारी मंशा रही यह है कि विद्यार्थियों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो। जैसा कि मुझे याद है, गयी बार जब विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने के विरुद्ध आन्दोलन चला था राजस्थान में तो उस आन्दोलन से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा ८ वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बालकों पर जो शिक्षा शुल्क लगता था उसको माफ किया गया और बालिकाओं के लिए शिक्षा शुल्क माफ किया गया था। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे संविधान में इस प्रकार की बात रखी गई है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान का प्रश्न ही नहीं है केवल, शिक्षा पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय, फिर यहाँ पर यह बात क्यों रखी जा रही है कि अब यहा पर यह बात कही जा सकती है कि टैक्स नही लगाया जा रहा है किन्तु सेस लगाया जा रहा है और इसका भार लड़कों पर नहीं पड़ कर उनके अभिभावकों या नागरिकों पर पड़ेगा जो कि पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हैं।

मैं इस तर्क को स्वीकार कर सकता हूँ लेकिन तर्क के पीछे वजन नजर नहीं आता। कारण इसका यह है कि पंचायत समिति के अन्दर आखिर कितनी तो जन संख्या है और कितने बच्चे पढ़ने के लिए आयेंगे आखिर इस प्रकार से जो सेस वसूल की जायगी यह तो उन बच्चों के माता पिताओं पर एक प्रकार टैक्स है। यह कहा जाता है कि बच्चों से तो हम नहीं लेते लेकिन आखिर बच्चे तो अपने जेब से टैक्स नहीं देते वे तो आखिर बच्चे हैं शिक्षा का अध्ययन करते हैं वे कमाई नहीं करते वे जिस किसी पर अवलम्बित हैं जिस किसी पर आधारित है उनको वह टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी सूरत के अन्दर यह रखा जाय सेस के नाम से उनसे टैक्स लिया जाय यह उचित नहीं लगता। आप यह कहते हैं कि हम इस प्रकार से सेस लगा कर शिक्षा की वृद्धि करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने शहरों के अन्दर इतना शिक्षा का प्रसार किया मोहल्लों-मोहल्लों के अन्दर शिक्षा अध्ययन की व्यवस्था की जहाँ शहरों की आमदनी ज्यादा है, कर देने की क्षमता ज्यादा है उन लोगों पर आप कभी सेस लगाने की बात नहीं सोचते। जब कभी गाँवों में प्रायमरी स्कूल्स के खोलने का प्रश्न आता है या किसी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने का प्रश्न आता है तो उसके लिए कहा जाता है कि गाँव वाले उसके लिए बिल्डिंग बनाकर दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने शहर वालों से कौन सी बिल्डिंग मांगी है जनता का लाखों करोड़ों रुपया आप शहरों में शिक्षा के लिए खर्च कर

Page No.80

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रहे हैं यहां की बिल्डिंगों पर कर रहे हैं। एक तरफ समाज कल्याण विभाग की ओर से शिक्षा के लिए रुपया खर्च किया जाता है हरिजन सप्ताह मनाया जाता है हरिजनों को साबुन तौलिया आदि बांटते हैं यह सब एक प्रकार से दिखावा मात्र है आखिर आप गांव वालों पर शिक्षा के नाम पर सेस क्यों लगाते हैं। जो ग्रामीण जनता पहले से ही अशिक्षित है शिक्षा जो एक बुनियाद है जिससे समाज ऊपर उठता है उस बुनियादी चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये यह तो नही उस पर उल्टा सेस के नाम मे टैक्स लगा रहे है यह समझ में नही आता। आज हमारा संविधान कहता है कि हम १४ साल तक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और बिना शुल्क के करेंगे ताकि बच्चों का विकास हो सके वह इस प्रकार का कदम प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी कहा जा सकता है। जहां आप एक तरफ तो शिक्षा के क्षेत्र में ठीक कदम उठा रहे है उसकी प्रशंसा हम करते हैं लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा के नाम पर इनडायरेक्ट तरीके से सेस लगा रहे हैं यह किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता और फिर उस जनता पर जो जनता पहले से पिछड़ी हुई है जिसका पहले से काफी शोषण हो चुका है जिसके विकास की प्राथमिक आवश्यकता है कि उनके बच्चों को योग्य बनाया जाय ताकि वे भारत के और राजस्थान के सच्चे नागरिक बन सकें उसके लिए चाहे कितना ही पैसा खर्च होता हो हम पहले उनको सुविधा देनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि गांव वालों से श्रमदान के नाम पर शिक्षा स्कूल बिल्डिंग बनाने के नाम पर श्रमदान के रूप में पैसा ले लेते है। और वहां पर जब शिक्षा के प्रसार का सवाल आता है सेस लगाते हैं यह किसी भी प्रकार समझ में आने वाली चीज नहीं है। इस प्रकार से मैं इस सेस का विरोध करता हूं आखिर यह टैक्स बालकों के अभिभावकों पर पड़ेगा और यह कदम प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी होगा इसलिए यह हटाना चाहिए।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनका भी मैं समर्थन करना चाहता हूं। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा क्लोज फर्स्ट के पार्ट डी को डिलीट कर दिया जाय।

टैक्स ..."A tax payable on at the rent payable for the use or occupation of agricultural land..." टैक्स पे किया जायगा जिसका जमीन पर आधिपत्य है उसके ऊपर भी ह ये पैसे का टैक्स लगाया जायगा। उस जमीन का जिसका पर्टीक्यूलर रेन्ट लेते हैं उस लगान पर टैक्स लिया जाय यह समझ में आने वाली बात नही है। इस बारे में राजस्व मंत्री ने दलील दी कि हमने यह ग्राम पंचायत एक्ट के अन्तर्गत जो प्रावधान थे उनको वहां से डिलीट करवाकर यहां उनको लिया गया है। आपने पंचायत एक्ट में इस प्रकार के अधिकार दिये होंगे लेकिन किसी भी पचायत ने इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है वैसी हालत में जब किसी भी पंचायत ने इस प्रकार का टैक्स नहो लगाया तो फिर आप इस प्रकार का अधिकार पंचायत समिति को क्यों देना चाहते हैं। यह कोई अच्छा कर नही है इसको नही लगाना चाहिए। एक गलती जो आपने पहले की जिसको अच्छा नही समझते जो कुछ बुरो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चीज है जिसको किसी ने लागू नहीं किया उसको आप यहां लागू करना चाहते हैं यह तरीका अच्छा नहीं है। इसी प्रकार "a surcharge on the stamp duty payable on transfer of immovable property." आज हम देखते हैं जहां किसी का मकान जमीन ट्रान्सफर करते हैं यह यह छोटे आदमी को ज्यादा करना पड़ता है। यदि इसके अनुसार मोर्टगेज करता है तो उस पर भी सरचार्ज देना पड़ेगा गरीब आदमी को अपने किसी काम के लिये शादी–विवाह के लिये गमी–आदि के लिये कर्ज लेने की आवश्यकता तो रहती है वैसी हालत में वह अपनी जमीन जायदाद को मोर्टगेज करता है किसी ट्रान्सफर करता है ऐसी हालत में एक तरफ तो वह गरीब दूसरी तरफ वह अपनी आजीविका के साधन को ट्रान्सफर करता है और उसको इधर–उधर करके कुछ पैसा लेता है और उस पर आप सरचार्ज वसूल करते हैं यह तो आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह क्लॉज जो जनता पर एक प्रकार से भार बन कर पड़ेगा हर जगह इसका विरोध होगा अतः इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिए।

इसके अलावा जो कोरीजेंडा निकाला गया है जिसमें है "A tax on such trade callings and professions."

आज हम देखते हैं राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की औद्योगिक नीति है, वह बड़े बड़े उद्योगों को लगाने की रही है। मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे कायम नहीं करेंगे गांवों की बेकारी मिटने वाली नहीं है। केवल खेती की पैदावार पर हम निर्भर नहीं रह सकते न गांवों वालों को ही निर्भर रख सकते हैं। आज किसान के पास खेती के अलावा काम नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि फालतू समय का उपयोग हो सके और वह तभी उपयोग में आ सकता है जब कि हम उनके लिये उद्योग-धंधे कायम करें। जैसे काश्तकारों का काम करने के लिये बढ़ई रहता है, लोहार रहता है वह भी एक प्रकार प्रोफेशन है, इस बिल में हम उन पर भी टैक्स लगा रहे हैं यह तर्क गलत है। छोटे उद्योग धंधों पर टैक्स लगा कर आप उनको वहीं पर गाड़ देना चाहते हैं यह एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी कदम है, इसका समर्थन नहीं कर सकता। उन्हीं उद्योगों पर जो इन्कम टैक्स देता है उसी पर जिसकी आमदनी २५० से रुपये मासिक है इस प्रकार के प्रोफेशन पर टैक्स लगाना चाहिये, २५–५० रुपये जो कमाता है जिसकी परिभाषा आपने बताई है उस पर टैक्स लगाते हैं, यह उचित नहीं है। मेरा तो इसके लिए यही निवेदन है कि जिस प्रोफेशन वाले इनकम टैक्स देते हैं उसी पर आपको टैक्स लगाना चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर सेस के नाम से शिक्षा पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा, इसलिये इसको यहाँ से हटा देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Mr. Chairman, Sir, there is one amendment which I want to move and that is :

"Omit the words "payable on at" and substitute the word "on" occuring

Page No.82

(श्री दामोदरलाल व्यास)

after the words "a tax" in part (a) of clause 27(1).

This is only technical, and then Sir, there is another amendment which I want to move with your permission. It is like this:—

"In clause (1) of clause 27 (d "Surcharge on the stamp duty pay able on transfer of immovable property."

I want to bring it here in sub-clause (ii) of clause (2): Sub clause (i) is: A tax on such trades, callings and professions as may be prescribed and (ii) will be:

"a surcharge on the stamp duty payable on the transfer of immovable property."

I want that it may be deleted and inserted as sub-clause (ii) of clause(2)"

सब-क्लॉज २ का नम्बर २

श्री सभापति : सब-क्लॉज २ का नम्बर २ तो यह है :

"a tax on industries."

श्री दामोदरलाल व्यास : That has been omitted. It was there in the original Bill and it has been omitted by the Select Committee. I want to insert a new sub-clause (ii):

"a surcharge on the stamp duty payable on the transfer of immovable property."

That clause, instead of being in sub-clause (2).

श्री श्री मानसिंह (बयाना) : यह समझ में नहीं आया साहब।

श्री सभापति : क्लॉज २७ के सब-क्लॉज १ में डी है :

"a surcharge on the stamp duty payable on transfer of immovable property."

उसको यहां से तो डिलीट कर लिया जावे और उसका सब-क्लाज २ है :

"Subject to any general or special orders of the State Government...

(i) a tax on trades, callings and professions" and then sub-clause (ii): "a surcharge on the stamp duty payable on transfer of immovable property."

वहां से डिलीट करके यहां पर सब-क्लॉज (२) कह दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, धारा २७ के भाग २ पर कुछ संशोधन आये हैं। मैं इस धारा २७ की उपधारा (२) का पूर्णतया विरोध करता हूं और इस विरोध में एक संशोधन के साथ मैं, राजस्व मन्त्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है, उसको भी शामिल मानता हूं।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मेरे से पहले बोलने वालों ने सरकार के सामने कुछ बातें रक्खी हैं। मैं केवल माननीय राजस्व मन्त्रीजी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी भारतवर्ष के शिक्षित लोगों के आंकड़े तैयार किये जाते हैं तो चाहे बदकिस्मत से कहिये या खुशकिस्मत से कहिये राजस्थान का उन स्टेट्स में नम्बर आता है जिसके लिये लोग आंखें मूंदकर यह कह दिया करते हैं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ हिस्सा है। राजस्थान में बहुत शिक्षा की कमी है। लोग बहुत पिछड़े हैं। उनको शिक्षा की आवश्यकता है और मैं समझता हूं इन्हीं चार वाक्यों की जो भावना इन वाक्यों या शब्दों में है, इसी भावना को लेकर हमारी सरकार भी प्लानिंग कमीशन के सामने जब रुपया लेने का प्रश्न पैदा होता है उनको दूसरे शब्दों में प्लानिंग कमीशन के सामने रख कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया राजस्थान अशिक्षित है इस, लिये हमें भारत सरकार से मिले। मैं समझता हूं उनका इस प्रकार से कहना और उनकी इस प्रकार की वकालत किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं कही जा सकती।

लेकिन जो कुछ उनकी भावना वहां व्यक्त की जाती है जब उनके विरोध में कार्य राजस्थान में पाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि दोनों बातों में कहीं एक जगह गलती है। मैं ऐसा समझता हूं। उस गलती को उस स्तर पर बताया जावे तो शायद उचित नहीं होगा। लेकिन यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान अशिक्षित है। राजस्थान के गांवों में लोग ज्यादा अपढ़ हैं और वहां पर शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इस चीज़ को जब हम स्वीकार करके चलते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से शिक्षित बनें। इस प्रकार की हमें व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक पंचायत समिति और पंचायतों का प्रश्न है हमने एक बात स्वीकार की कि हम ग्राम के विकास सम्बन्धी जितने कार्य हैं उनमें ग्रामीणों को सत्ता हस्तान्तरित करना चाहते हैं कि वे स्वयं के विकास के बारे में अर्थ जुटावें और अपने कामों में उसका उपयोग करें। लेकिन सभापति महोदय, हम इस बात को भूलकर नहीं चल सकते कि हमें अपना काम करना है और अपने साधन जुटाने हैं। इसके बावजूद भी सरकार कुछ ऐसे साधन हमें उपलब्ध कराती है जिनके द्वारा हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। सरकार कई प्रकार के टैक्स लगाती है। उनको वसूल करके हमें किसी दूसरे रूप में सरकार देती है लेकिन यहां एक प्रश्न जटिल है। हमने दो दिशाओं के अन्दर शिक्षा की प्रगति लाने की चेष्टा की है। एक है बाहरी गांव रूरल एरियाज़ जिन्हें कहना चाहिये, दूसरे हैं अर्बन पॉपुलेशन। दोनों को हम एक समान लाइन पर लेकर चलें तो दोनों में एक प्रकार का भेद जिस प्रकार से किया जा रहा है हमारे सामने स्पष्ट चित्र उसका आता है। किसी भी नगरपालिका में जाकर मैं समझता हूँ, सीकर की नगरपालिका की प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हरिजन हों या सवर्ण हों, गरीब हों या अमीर हों, उनमें पढ़ने वाले छात्रों को सीकर की म्युनिसिपल टाउन की स्कूल होने

(श्री भैरोंसिंह)

के नाते किसी भी प्रकार का कोई टैक्स उनको देना नहीं पड़ेगा। और बदकिस्मती से गांव की स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो पंचायत द्वारा लगायी गई इस प्राइमरी एज्यूकेशन को सैस देना पड़ेगा। अब यह कहा जावे कि यह बाहर गांव वालों पर टैक्स या सैस क्यों? यह शहर वालों पर क्यों नहीं तो सरकार कह सकती है कि हम शहर वालों पर भी यह लाने वाले हैं। चिन्ता की ज़रूरत नहीं। यहां पर कहेंगे कि चिन्ता का सवाल नहीं। जहां लगाया जा रहा है वहां की चिन्ता है और इसके लिए ऐसा कह सकते हैं, हमारी सरकार भी महसूस करती है और बजट के समय बातें सामने आती भी हैं कि राजस्थान में, गावों में स्कूलों की कमी है।

सभापति महोदय, डेवेलपमेन्ट कमेटी का मेम्बर होने के नाते मुझे भी अनुभव हुआ है कि उन गांवों के अन्दर जहां पर ग्रामीण लोग पैसा इकट्ठा करके प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवा सकते वहां स्कूल नहीं खोलते हैं। सरकार की तरफ से पांच बातें मुख्य रूप से हैं। एक तो डिस्टेन्स। गांव की आबादी कितनी है, बच्चों का कन्ट्रीब्यूशन कितना है? यह कन्ट्रीब्यूशन मेन फैक्टर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस गांव में पैसा है उसके लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। बाकी जिन लोगों के पास पैसा नहीं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि ऐसी मंशा है तो कोई बात समझ में आ सकती है, पर मैं ऐसा मानकर चलने को तैयार नहीं। सरकार इस दृष्टिकोण के विपरीत इस ढंग से वहां के लोगों के पास पैसा है या नहीं, इस सारी दृष्टि को दूर रखते हुए ऐसा कहेगी कि लोगों के सामने किसी भी प्रकार की दुविधा न हो और लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें पर जैसा बताया ग्रामीण के सामने पहली दुविधा पैदा हो गई पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन में दूसरे लोगों के मुकाबले में कैसे आगे निकलते हैं। किस प्रकार की बिल्डिंग बनाते हैं। इसके बाद में प्राइमरी स्कूल बनेगी। अब वह बन गई मान लो। अब एक तरफ सरकार कहती है कि हरिजन का वह भला करना चाहती है। उनका अपलिफ्ट करना चाहती है, बैकवर्ड क्लास को उठाना चाहती है और इसलिए वह कहती है कि हम तुम्हारे पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहते। पर यदि यह धारा इसी रूप में पेश हुई है वैसी ही पास हो गई तो इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। सरकार कह सकती है कि जो मैनर प्रेस्काइब किया जावेगा उसमें एग्जम्प्शन रख सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि एग्जम्प्शन का क्लॉज़ जब तक इस मूल धारा में नहीं आता किसी भी भाग में नहीं आता इसके बाद एग्जम्प्शन रूल्स में या मैनर में लाने की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव फंक्शन के विपरीत यह आचरण सरकार का होगा। यदि एग्जम्प्शन की बात होगी तो यहां की जावेगी। यहां नहीं की जाती है तो मान लेना चाहिए कि सरकार एग्जम्प्ट करने वाली नहीं है।

अब एग्जम्प्ट करने वाली नहीं है तो इस लाइन में गांव के हरिजनों को, बेकवर्ड क्लासेज को, शिड्यूल कास्ट वालों की हालत देखें। उनकी हालत देखें जो डिप्रेस्ड क्लासेज़ में शुमार होते हैं। उनकी हालत देखें जिनकी आर्थिक हालत खराब होने से दयनीय दशा बन गई। यदि उनके लिए कहें कि उन पर शिक्षा का यह सैस नहीं लगाया गया है तो

(श्री भैरोंसिंह)

मानने में नहीं आवेगा। मैं कहता हूं यह सरकार की ड्यूटी है कि उनके लिए साधन जुटावें। जिसके आधार पर अपने आर्थिक ढांचे को किसी भी प्रकार से खराब न होते हुए भी शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हों। यह कहा जाय कि यह जो जो प्रायमरी एज्यूकेशन का सेस लगेगा वह केवल गांव वालों पर लगेगा

लगेगा और उनकी बहबूदी के लिए लगेगा। मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय कि सदन के माननीय सदस्य नाराज होंगे यदि यह बात कहूं कि आज पंचायत समिति के अन्दर सरपंच बनकर जो लोग आने वाले हैं वह कोई यह समझे कि गांव का जो बिलकुल गरीब तबका है, जो डिप्रेस्ड तबका है वह आगे आयेगा, यह बिलकुल सम्भव नहीं है। कहने को कहा जा सकता है कि इसमें वह लोग आने वाले हैं कि जो गरीब हैं लेकिन जो प्रत्यक्ष का अनुभव है वह बताता है कि जितने भी गांव में पैसे वाले आदमी हैं या जो वसीले वाले आदमी हैं वह चुनावों में पैसे खर्च करके सरपंच बनते हैं और जब हमने इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का प्रिन्सिपल माना है तो जो गरीब आदमियों का तबका है वह नहीं आयेगा। तो जो व्यक्ति गरीब तबके का होगा ही नहीं तो क्या उसके लिए यह कह सकते हैं कि वह गरीबों के गांव का प्रतिनिधि है। वह मैं आपको बताऊं कि गरीबों की मुसीबतों को समझने वाला नहीं है। तो उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह पंचायत समिति में गरीबों का रिप्रेजेन्टेशन करेगा। जैसा मैंने पंचायत समिति में देखा है, पंचायतों में या जिला परिषद में या अब तक के जितने भी जिला बोर्ड थे उन सारी संस्थाओं में जाने के बाद लोगों का एक मत होता है कि तुम्हारे डिस्पोजल पर खर्च करने को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। जिस जिला बोर्ड को ५,००० रुपये मिले वह उसमें अपनी इनसल्ट समझता है। खर्च करने का जो उनका अधिकार है या कार्य है उसमें वह विस्तार करना चाहते हैं और पैसा खर्च करने के लिए और कहीं से आने वाला नहीं है और इसके लिए वह अपना अधिकार काम में लायेंगे कि जनता के ऊपर टैक्स लगाये जायें। मैं ऐसा समझता हूं कि जिला बोर्ड टैक्स लगायें, पंचायत समिति टैक्स लगाये या ग्राम पंचायत टैक्स लगाये। यदि हमने टैक्सेशन का कोई प्रावधान रखा तो उसको रखने में कम से कम उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गांव वाले इस प्रकार की धारा का कितना प्रयोग करने वाले हैं। इस क्लॉज़ के अन्दर दो बातें साफ तौर से नजर आती है। एक है एग्रीकल्चरल टैक्स; वह शायद रेन्टल वैल्यू के ऊपर है या काश्तकार के ऊपर है, इसकी मैं चर्चा नहीं करता लेकिन उनके ऊपर टैक्स रखा है और टैक्स रखने के लिए एक व्यवस्था रख दी। एक पंचायत समिति में इम्पोज, यह जो ३ केटेगरीज हैं उन पर टैक्स इम्पोज कर सकती है। दूसरे में लिखा है "Subject to any general or special orders of the State Government......" मैं ऐसा समझता हूं कि या तो इसके अन्दर कुछ ड्राफ्टिंग में गलती है या फिर सरकार की भावना इस प्रकार है कि कोई भी पंचायत समिति नीचे जो ३ टैक्सेज दिये हैं एक तो 'ए टैक्स ऑन ट्रेड्स, कॉलिंग्स एण्ड प्रोफेसन्श' और दूसरे 'ए टैक्स ऑन इन्डस्ट्रीज' और तीसरे 'ए प्राइमरी एज्यूकेशन

Page No.86

(श्री भैरोंसिंह)

सैस'। यह जो तीन प्रकार के टैक्सेज हैं इनको कोई भी पंचायत समिति सरकार के बिना एप्रूवल के नहीं लगा सकती। तो मैं समझता हूं उस लैंग्वेज के अन्दर हमें इस क्लोज को ड्राफ्ट करना चाहिये कि कोई भी टैक्स बिना सरकार के एप्रूवल के नहीं लगाया जा सकता। है लेकिन जहां लिखा हैं : "Subject to any general or special orders of the State Government......" यहां यह मतलब निकलता है कि पंचायत चाहे टैक्स इम्पोज करे या नहीं। अगर सरकार ने स्पेशल ऑर्डर इश्यू कर दिया तो वह पंचायत समिति की मर्जी के बाद में लगाया जाये और यह 'मे' शब्द 'शेल' का सा काम करेगा। मैं समझता हूं कि यदि सरकार की भावना इसको लज़िमी तौर पर पंचायत समिति पर ऐसी बंदिश डालना चाहती है कि वह इस प्रकार का टैक्स लगाये तो बात दूसरे रूप में समझ में आ सकती है। यदि यह पंचायत समिति के ऊपर छोड़ते हैं तो इसको दूसरे तरीके से ड्राफ्ट करके यह व्यवस्था देनी पड़ेगी कि पंचायत समिति चाहे तो इसके लिए अपना प्रस्ताव रखें और यदि सरकार एप्रूव करे तो ऐसा टैक्स लगाये। अब प्रश्न यह आता है कि टैक्स क्या हो। अब उसमें लिख दिया कि ६ नये पैसे का टैक्स होगा। अब एक बात समझ में आ सकती है। एक कानून की व्यवस्था हो सकती है। एक रुपये के पीछे ६ नये पैसे का टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं किया और सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया। तो यह कहा जाये कि सरकार ने केल्कुलेट नहीं किया होगा, तो आज सरकार क्या कहना चाहती है? हम कितना टैक्स लगायें? कितना प्रॉफेशन के ऊपर टैक्स होगा और कितना सरचार्ज स्टेम्प ड्यूटी पर होगा और कितना सैस प्राइमरी एज्यूकेशन पर होगा? अगर सरकार इस पर मौन है और यह मालूम नहीं है कि कितना टैक्स लगाये मैं समझता हूँ कि इन दी प्रेस्काइब्ड मैनर अगर आप धारा पास करके कि सरकार ज़िला परिषद् और तहसील पंचायत समिति एक्ट सरकार के प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अनुसार बनता है तो एक दिन में पास करके यहां से चला जाता और इस प्रकार की दिक्कत हमारे सामने नहीं आती। इस कानून में आप कोई भी सेक्शन देखिये। हर एक में यही लिखा है Under the rules or in the prescribed manner. तो यह इस बात का सूचक है कि सरकार कुछ करना चाहती है और अपने आप में स्पष्ट नहीं है इसलिए कुछ न कुछ गुंजाइश रखकर अपनी

(श्री बरकतुल्लाखां, सभापति, पदासीन)

डिस्क्रिशनरी पॉवर इस्तेमाल करना सरकार चाहती है, यही सरकार का दृष्टिकोण है। आज सरकार से पूछा जाये कि ज़मीन के मामले में ६ नये पैसे का रख दिया। प्रोफेशन और एज्यूकेशन के बारे में क्यों आप स्पष्ट नहीं है, सरचार्ज स्टेम्प के ऊपर लगाने के लिए क्यों नहीं स्पष्ट हैं। ग्रामों के अन्दर जो छात्र हैं वह ऐसा समझेंगे कि उनके ऊपर इतना टैक्स लग गया है और जैसा आपने देखा है कि छात्रों के ऊपर टैक्स लगने से आन्दोलन किया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir. A constitutional

Page No.87

(श्री पी० के० चौधरी)

point has come to my notice. This Bill is a sort of Money Bill. According to Section 199 of the Constitution: 'For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;'

Now according to Article 207 of the Constitution :

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of article 199, shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council;'

Now in clause 27, the amendment "a tax on such callings, professions and industries as may be prescribed' has been introduced by the corrigendum. Now Government's assent to this corrigendum has been obtained which is very necessary. I would therefore like to say that Governor's assent must be obtained on this. If it is not done, then this clause cannot be taken into consideration here, since this comes into the definition of a Money Bill and a new tax is being proposed in this Bill.

श्री सभापति : What has Government to say on this point ?

श्री पी० के० चौधरी : In the original Bill, they will say, Governor's assent has been obtained. Now alterations have been made in the provisions regarding taxes and according to Article 207 this Bill cannot be taken into consideration without the Governor's assent or re-commendation.

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं सभापति महोदय, की ओरिजिनल बिल के ऊपर असेन्ट ले लीगई है और ओरीजिनलबिल में इन चीजों का जिक्र है। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में गवर्नर के असेन्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। ओरीजिनल बिल के ऊपर असेन्ट ले ली गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Now the position is quite clear, as has been made by the Hon'ble Member. Because the original Bill bears the recommendation of the Governor, every time we make an amendment, we cannot obtain Governor's recommendation. Once Governor's sanction has been obtained and if we obtain another sanction or recommendation, it is quite wrong.

श्री मोहनलाल भटनागर : He has raised the point of order by the way !

श्री सभापति : The point of order is over-ruled. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो २

Page No.88

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार के टैक्स लगाये गये हैं जिन टैक्सों के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि सरकार के हुक्म के द्वारा पंचायत इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ कर सकती है वह धारा कुछ स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार की ओर से यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कितना और किस प्रकार से टैक्स लगाया जायेगा।

तो यदि सरकार हमें इस प्रकार की स्थिति यहां पर बताये कि हमने इतना टैक्स लगाया और टैक्स का आधार यहहै, तो यह जांच की जा सकती है कि जो टैक्स सरकार लगाने जारही है या सरकार की जो टैक्स इम्पोज करने की मन्शा है वह मन्शा ग्रामीणों के अन्दर इम्प्लीमेंट की जा सकती है या नहीं, और उस प्रकार के टैक्स से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति खराब तो नहीं हो जाती है, और उस दृष्टिकोण को लेकर मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इस प्रकार का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

अब क्वेश्चन यह आता है...

श्री पी० के चौधरी: On a point of order Sir, I darw your attention to Rule 73 of our Rules of Procedure...

श्री दामोदरलाल व्यास: That point of order has been ruled out.

श्री सभापति : What is the point of order ?

श्री पी० के० चौधरी : Until further light is thrown no it, no point can be discussed.

श्री सभापति : On your point of order, a ruling has already been given. If there is a fresh point of order, it can be considered.

श्री पी० के० चौधरी : No. Sir. Ruling has been given on the provision of article 199 and article 207 of the Constitution. But here is Rule 73 of our Rules of Procedure which is like this "If any member desires to move an amendment which under the Constitution cannot be moved without the previous sanction of the President or the recommendation of the Governor, as the case may be, he shall annex such sanction or recommendation conveyed through a Minister and the notice shall not be valid until the requirement is complied with :

Provided that on previous sanction of the President or the recommendation of the Governor shall be reqnired if an amendmant seeks to (a) abolish or reduce rhe limits of the tax proposed in the Bill or amendment, or (b) increase such tax upto the limits of an existing tax.

Here these are new things, It was a new amendment which has beeen intrcduced by a corrigendum and thus it requires the sanction or the recommendation of the Governor.

श्री सोहनलाल भटनागर : These taxes are already there.

श्री पी०के चौधरी : If these taxes were to be reduced, then you do not

(श्री पी० के० चौधरी)

require the Governor's recommendation; If these taxes were to be raised to the maximum limit of an existing tax, then also it is not necessary to have Governor's recommendation. If these are new taxes or if thair limits to are be increased, then they require Governor's recommendation.

श्री सोहनलाल भटनागर : In the original Bill these taxes are already there and hence there is no question of increasing or reducing them.

श्री सभापति : The proposals of taxation were there wnen the sanction of the Governor was obtained and as such there is no point of order. Shri Bhairon Singh to continus please

श्री भैरोंसिंह : He is again preparing for a new point of order

श्री सभापति : I hope not.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार इस धारा २७ के भाग (२) के अनुसार टैक्स लगाने जा रही है। अब उन टैक्स के, उसके मूल बेसिस पर उसका विचार करें।

सबसे पहला जो टैक्स होगा, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अभी अमेंडमेंट मूव किया है उसके अनुसार होगा "a surcharge on the stamp duty on an immovable property according to the rules prescribed."

अब प्रश्न यह आता है कि कितना सारा सरचार्ज है? वह सरचार्ज कितना होगा। मैं समझता हूं कि जो मेनर प्रेस्क्राइब किये जाने वाला है उसमें वसूली का तरीका बताया जा सकता है कि किस प्रकार से उसको वसूल किया जाता है? किस प्रकार से उसका अमेंडमेंट होगा? यह चीज स्पष्ट रूप से रूल्स के अन्दर आ सकती है, लेकिन कितना होगा यह भी सरकार ने अपनी मर्जी पर रखा है। तो यहां मालूम होगा कि दो भाग हैं। अव्वल तो इम्मूवेबल प्रोपर्टी जो गांव में ट्रान्सफर की जाती है उसकी स्टाम्प ड्यूटी पर सरकार का अधिकार है या नहीं, या पंचायत समिति का अधिकार रहता है, यह बात डिस्प्यूटेड है। मैं समझता हूं कि यदि आप पंचायत समिति का विकास वास्तव में करना चाहते हैं। सरकार यह भी कहती है कि पंचायत समिति अपने लिये खुद अर्थ जुटाये, तो सरकार को वास्तव में यह भी विचार करना पड़ेगा कि हमें गांव की आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से और जो गांव के साधन हो सकते हैं उन साधनों को जो अधिकार में कर रखा है तो पंचायत समिति के लिये सरकार कितना रिलीज करती है? यदि इस दृष्टिकोण से सरकार काम करे तो यह विचार करना पड़ेगा कि स्टाम्प ड्यूटी किस को वसूल करना चाहिए? अब प्रश्न यह आता है कि आखिर इम्मूवेबल प्रोपर्टी ट्रान्सफर कहां होती है? गांव में होती है। गांव में होने के साथ साथ इसकी प्रोसीजरल बातें वह जाकर अधिकारी से करवाता है। कितना खर्चा होगा और प्रोपर्टी से टैक्स कितना वसूल किया जा सकता है? दोनों का कम्पेरीजन करें। उस कम्पेरीजन के बाद स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि सारी

(श्री भैरोंसिंह)

चीज गांव में होती है तो गांव के अन्दर होने वाली चीज पर टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस नाम से ले जाती है। अब उस बात को सरकार ने कुछ अंश में स्वीकार किया है, एक हद तक स्वीकार कर लिया। प्रोपर्टी पर ड्यूटी है तो स्टाम्प ड्यूटी पर जो सरचार्ज है इसमें से कुछ हिस्सा हमको वहां पब्लिक को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने इस प्रकार का स्पष्ट संकेत किया है कि स्टाम्प ड्यूटी के लिए ग्रामीण क्लेम कर सकते हैं कि यह ड्यूटी हमारी है।

सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन कर सकते हैं। सरकार से मांग कर सकते हैं। तो ट्रान्सफर पर स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं और उस रूप में नहीं देते हैं तो कम्पेन्सेशन के रूप में दिया जाय। इसी चीज को एज चेप्टर के अन्दर, रूरल इकोनोमी के चेप्टर में अच्छी तरह से डील विद किया है। मैं समझता हूं कि यह उसी की देन है कि हमारी सरकार ने ऐसा विचार किया है कि ग्राम पंचायतें इस बात की मांग नहीं करने लगें कि स्टाम्प ड्यूटी हमें दी जाय। अगर स्टाम्प ड्यूटी वे लेने लगे तो सरकार ग्रामीणों की आवाज बन्द करने के लिए हमने सरचार्ज दे दिये और उनकी जबान बन्द कर दी। मैं समझता हूं कि इस कारीगरी के लिए मैं लेजिस्लेटर्स को नहीं बल्कि निश्चित रूप से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार की कारीगरी में ग्रामीणों का हित नहीं है। जिन लोगों का आप विकास करना चाहते है, जिन संस्थाओं का आप विकास करना चाहते हैं, उनके हित में नहीं है। आप लोगों को अधिकार दे उसके साथ साथ में यह कहें कि अपनी आय के लिए जितने लोग हैं उन पर मर्जी आये वह टैक्स लगाये। मर्जी को डिफाइन किया है उसके स्कोप को इस तरह से बढ़ा दिया-में इम्पोज। हम इम्पोज कर सकते हैं लेकिन हमने कर दिया कि हमारा चाहे स्पेशल ऑर्डर्स हो या जनरल ऑर्डर हो तो इम्पोज कर सकते हैं।

अब प्रश्न यह आता है कि हम इस एंगिल से विचार करें कि स्टाम्प ड्यूटी पर हक किसका है? और हक का तय होने के बाद किस तरह से लगाना चाहिए और उन हकों को कम्पलीटली देते हैं या नहीं। अगर उसको नहीं देते हैं तो कम्पेन्सेशन किस प्रकार से देते हैं। वह कम्पेन्सेशन सरचार्ज के रूप में नहीं दिया जा सकता है। सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। खजाने से देने के बदले उनसे वसूल करने का जो तरीका है वह बहुत गलत है।

दूसरा टैक्स रखा गया है "a tax on trades, calls and professions" यह बात सही है कि इस प्रकार के टैक्स राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज में रखे हैं। राजस्थान के लोगों ने इस टैक्स का विरोध किया, और विरोध के बावजूद यह टैक्स लगा है। शायद सरकार यह विचार करती है कि नगरपालिका के लोगों पर इस प्रकार से जो टैक्स लगाया जाय तो गाँव वालों पर क्यों नहीं? सरकार यह सोचती तो फिर जो टैक्स गाँवों वालों पर लागू हो तो शहर वालों पर क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir In Section 27, sub-clause (2), Part (v), "a tax in respect of fairs and markets........" the words

Page No.91

(श्री पी० के० चौधरी)

"fairs and markets" have been omitted and 'Panchayat Samiti fairs and festivals held within the limits of its jurisdiction" have been added by the Select Committee. Now in place of "fairs", a new item "festivals" has been introduced by the Select Committee, but the recommendation or the sanction of the Governor has not been obtained. Sanction or recommendation of the President or the Governor is necessary under Rule 73 of our Rules. This is a new point of order, and I hope...

श्री सभापति : The Chair will always go into the matter very coolly, but I hope the members will also take the decisions coolly.

श्री पी० के० चौधरी : This is a new item, Sir, and it is not covered by the original recommendation.

श्री दामोदरलाल व्यास : Fairs and festivals" is nothing new. There is already a recommendation of the Governor and "festivals" has been included. When we take up this, we say "a tax in respect of fairs and markets Panchayat Samiti fairs and festivals." Only festivals has been added, but the fairs and markets are already there. There is already the original clause and markets and fairs are there.

श्री पी० के० चौधरी : Markets and festivals are quite different.

श्री दामोदरलाल व्यास : We have provided a better word for "fairs and markets" we have provided "fairs and festivals."

श्री पी० के० चौधरी : There is absolutely no similarity in markets and festivals. They are not synonymus. We can consult any dictionary and see whether market is a festival. Festival is a new thing and I still maintain that it requires Governor's assent. Otherwise it can be challenged constitutionally.

श्री दामोदरलाल व्यास : Better reserve it for that purpose.

श्री सभापति : Government has already obtained sanction of the Governor, so far as these taxes are concerned, under a different heading. Am I correct so far ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir, but the heading has been changed...

श्री सभापति : Now only the heading has been changed, and I presume there is nothing now for the Governor to give his sanction. It is for the Government to prescribe the purpose.

श्री पी० के० चौधरी : Certainly not, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is quite unparliamentary, Sir, that he should challenge the ruling of the Chair every time.

श्री सभापति : He is not challenging......

श्री पी० के० चौधरी : The Chair is asking the opinion of the House just to seek a clarification whether the word 'festival' means market. So his question is if the House says that it means that, then......

श्री दामोदरलाल व्यास : Please do not put your words in may mouth.

श्री सभापति : Every member can always express his friend's words. into his own words.

श्री पी० के० चौधरी : So the rule says "Provided that no previous sanction of the President or the recommendation of the Governor shall be required, if an amendment seeks to abolishor reduce the limits of the tax proposed in the Bill or amendment..."

The existing tax is a tax in respect of fairs and markets and it is not proposed to raise it to the maximum limit of the existing tax, but a new provision for "festivals" has been added. It will be far exceeding the limits of the existing tax, since markets are limited, festivals are unlimited. By imposing a tax in the festivals in the Rajasthan, the taxes will increase by leaps and bounds. By the present amendment the existing tax has been exceeded. As such the recommenda- is necessary.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) :It is very essential that if we look into the meaning of festivals, Governor's assent must be obtained; for the existing tax is on fairs and markets and not on festivals, which on the very face of it includes so many celebrations like Holi Festival, Durga Festival, Dewali Festival and so on...

श्री सभापति : You do'nt expect the Government to be so foolish as to tax festivals like Holi or Dewali.

I do not think.

श्री श्रीभानसिंह : I would like the wish of the Government to say clearly which festivals do they propose to tax. We want to know the contents which can be taxed under 'festivals', it is plain to us that these are the festivals, then we may continue with the clause.

श्री सभापति : You want to know as to what is meant by the "festivals." This is not Holi or Dewali ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not at all. In Bharatpur, where there is a festival on the occassion of the Dasehara fair, Holi or Dewali festival is never intended. If that is so, I would like to get it deleted. We never wanted to tax Holi or Dewali festivals. Our only purpose is to impose a tax on certain fairs and markets which are held on the

Page No.93

(श्री दामोदरलाल व्यास)

occasion of festivals also. For example there is a Ram Navmi festival at very many places. These are very important festivals and our intention is certainly not to tax such festivals.

श्री श्रीभानसिंह : I take the words of the Hon'ble Minister to be true If these fairs are covered by the word 'fairs', then what is this 'fairs and festivals' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This means fairs held on the occasion of festivals. I am prepared to substitute it by another word for 'festivals' if you so like. I have given my intention.

श्री सभापति : As I understand the meaning of the Hon'ble Minister is that any fairs on the occasion of particular festival will be subjected to this tax and not the feastivals itself.

श्री पी० के० चौधरी : We certainly welcome what the Hon'ble Minister has expressed here. But it should be incorporated in the body of this Act, otherwise we cannot take his words.

श्री सभापति : That I can understand.

श्री पी० के० चौधरी : Till it is done this clause cannot be discussed.

श्री सभापति : Mr. Chaudhary, I can understand your point of view. The people will be guided by the provisions of the Act and not the assurances given by the Hon'ble Minister.

श्री पी० के० चौधरी : The law will come......

श्री सभापति : I am holding your point of view. Do'nt misunderstand me. We can continue the discussion. We are being very unfair to Shri Bhairon Singh. You have interrupted him twice.

श्री पी० के० चौधरी : Till the word 'festivals' is removed, no discussion can proceed on this.

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री सभापति : I with hold ruling for a short time. I shall be giving a ruling on the point raised by Shri P. K. Chaudhary later.

श्री दामोदरलाल व्यास : With your permission, I may be allowed to delete the word 'festivals.'

श्री पी० के० चौधरी : I object to it as notice should have been given earlier.

(हंसी)

श्री सभापति : Now you should not be so technical. You raised the objection and he is prepared to meet it. Now don't try to be very awkward. This is no Point of Order now.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप शुरू कीजिये, अब की इन्ट्रप्शन हो तो बंद मत होइये।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा। इस प्रकार के विश्वास के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमने टैक्सेशन का प्रावधान रखा है उसके सम्बन्ध में हमने यह व्यवस्था की है कि गांवों में यह टैक्स लगाया जायगा और वह लगाया जायगा गांवों के उद्योग और व्यापार के ऊपर। अब यह देखना है कि इन टैक्सों का असर किन किन पर होनेवाला है। मैं यह नहीं कहता कि गांवों में रहनेवाले सभी लोग गरीब होते हैं लेकिन यह अवश्य कहता हूँ कि गांवों में गरीबों का बहुमत होता है। अब इस प्रकार के दृष्टिकोण से हमने जो टैक्स लगाने का प्रावधान रखा उसका जो असर होनेवाला है उसका यदि असेसमेन्ट करें तो हमारे सामने निश्चित पिक्चर आयेगी। उसका प्रभाव उन ग्रामीणों पर होनेवाला है जो वास्तव में गरीब हैं। अमीर लोग यदि कोई टैक्स देते हैं तो उन पर या उनकी इकॉनॉमी पर कोई विशेष प्रभाव पड़नेवाला नहीं है। लेकिन वह टैक्स चाहे २ पैसों का ही मजदूरों पर लगता है तो उनके ऊपर भारस्वरूप है और वही टैक्स चाहे २ रु० का भी है और किसी मालदार पर आता है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस लाइट में विचार करें तो यह टैक्स किस पर लगने-वाला है तो यह आर्टिजन्स पर लगेगा जो गाँवों में खाती का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, जो नाई की दुकान करते हैं या जो बरतन बनानेवाले कुम्हार है, उन पर पड़ता है। या जो चमड़ा रंगने का काम करनेवाले या गांवों में जितनी चीजें बनानेवाले हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसको कॉटेज इण्डस्ट्री कह दें या और कुछ कह दें, हम कॉटेज इण्डस्ट्री को डेवेलप करने के लिए जितना ध्यान दे सकते हैं दें। उनको हम रियायत देते रहें लेकिन पंचायत समिति की मार्फत टैक्स लगावे और सरकार खुद तो टैक्स लगाने से बचे और पंचायत समितियों से टैक्स लगवावे तो यह स्पष्ट पिक्चर सामने आती है कि गावों में विभेद की भावना पैदा करके विभेद बढ़ाने की कोशिश करते है। आज चमड़े का व्यापार करनेवाला, चमड़े की रंगाई करनेवाला, मुर्दे जानवर की खाल खींच कर जो अपनी रोजी कमाता है, उसके नाम पर टैक्स लगाया गया तो गरीब राजस्थानी पंचायत समिति के टैक्स से नहीं बच सकते।

अब अगर उससे नहीं चल सकती हैं, तो हमारी सरकार कहेगी कि फिर इलाज क्या है जिसके द्वारा पंचायत समिति अपना काम चलाये? मैं निवेदन करूं कि इसके लिए अलग से पहले व्यवस्था थी, उसको सरकार ने दूसरे रूप से बाई-पास करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि उसके प्रसंग में सिर्फ इतना कह दूं कि पंचायत एक्ट के अन्दर जो साधन, लैंड रेवेन्यू के देने वाले थे, उससे कम इस नये कानून में देने की व्यवस्था की है और उसमें से कुछ बचाया है। इस कारण पंचायत समिति को घाटा होगा उसके पास रुपया नहीं होगा और उसकी पूर्ति के लिए तीन प्रकार के टैक्स लगाते हैं, तो कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं सम-झता हूं कि चिन्ता हमें अवश्य इस बात की करनी चाहिए कि उनका विकास किस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार होता है, उस विकास में सरकार बाधक तो नहीं बनती है, पंचायत समिति बाधक तो नहीं बनती है। इस प्रकार की कानून में व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी सरकार कहेगी, जिस प्रकार के हम भाषण सुनते हैं, उसके अन्दर यह कहा जाता है कि हमने उनके हाथ में डिस्क्रिशन रखा है, अगर पंचायत समिति चाहे, तो टैक्स लगा सकती है। मैंने निवेदन किया था कि पंचायतों में जाने के बाद में एक ट्रेन्ड होता है, वह डेवलप्ड ट्रेन्ड है, आप मानें या न मानें, वह ट्रेन्ड है कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाय और कैसे पैसा खर्च किया जाय, वहां कहां से किया जायगा, सरकार इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि पैसा खींच लाया जाय। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था काफी कारीगरी से की गई है। म्युनीसिपैलिटी एक्ट में एक प्रोवीजन रखा है और जिसके अन्दर 'ए टैक्स ऑन ट्रेड्स कॉलिंग्स एन्ड प्राफेशन्स' को एक्सक्लूड किया है, आर्टीजन्स को एक्सक्लूड किया है, लेकिन पंचायत समिति बिल में एक्सक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि शहर में रहने वाले कारीगर, व्यवसायी, उद्योग-धन्धा करने वाले आदमी, आर्टीजिन्स के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। यदि वे गाँव में चले जाते हैं तो टैक्स लगेगा।

(घंटी)

श्री सभापति : सब स्पीकर्स को १० मिनट दिये गये हैं, आपके १० मिनट खत्म हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी खत्म करूंगा। कुछ इन्ट्रप्शन में टाइम चला गया था।

श्री सभापति : उससे पहले काफी टाइम ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : तो सभापति महोदय, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि शहर में रहने वाले और ग्रामीणों में अन्तर न हो, हमारे ग्रामीणों में यह भावना जाग्रत न हो कि हमारे पैसे से शहर के लोग फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से पंचायत समिति के लिए दूसरे प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे। अगर प्राइमरी एज्यूकेशन गांवों में लगा दिया तो मतलब यह होगा कि एज्यूकेशन को इस स्टेज पर खत्म करने का सरकार की ओर से प्रयास होगा। आज लोग किताबों के लिए पैसा नहीं दे सकते। पिछले दो चार साल से किताबों की दौड़ लग रही है, इस साल जो किताब खरीदी, वह अगली साल के लिए काम नहीं आ सकती, जो अगली साल खरीदी, वह उससे आगे कोर्स में नहीं है। इस कोर्स के बदलने की रेस में ग्रामीण टिक नहीं सकते। जब से नेशनेलाइजेशन आफ कोर्स बुक्स हुआ है तब से कुछ टिक पाये हैं। लेकिन शुरू शुरू में आप प्राइमरी एज्यूकेशन सेस लगा देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जिन लोगों को आप कहते हैं कि अपने बच्चों को लाजिमी तौर पर स्कूल भेजना चाहिये तो वे कहेंगे कि टैक्स देने के लिए पैसा है, पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए पैसा है लेकिन फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे। जो बच्चे जानवरों को जंगल में चराने के लिए जाते हैं, उनके लिए यदि आप कहते हैं कि इनको स्कूल में भेजो, तो वे कहेंगे कि जानवरों को कौन चरायेगा। हम कहते हैं कि यदि ये बच्चे पढ़ लिख कर जानवरों को चरायेंगे तो अच्छी

(श्री भैरोंसिंह)

तरह से चरायेंगे। अब उनके सामने यह समस्या होगी कि राज्य सरकार का पैसा दें तो उनके बच्चे पढ़ें, तो अगर इस प्रकार का अर्बन और रूरल एरिया के लिए डिस्क्रिमिनेटली क्लॉज रहा, तो ऐसा लगता है कि कानून बनाने वालों का दृष्टिकोण यह रहा है कि गाँव वालों से पैसा बटोरा जाय और शहर वालों से पैसा लेने की आवश्यता नहीं है। इस दृष्टि से, सभापति महोदय, इस क्लॉज का, जिसमें तीन प्रकार टैक्स लगाये जा रहे हैं, विरोध किया है और मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि ये तीनों टैक्स रूरल डेवेलपमेंट के खिलाफ पड़ेंगे, इसलिए सारे के सारे माननीय सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री श्रीमानसिंह।

श्रीमान सिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, अभी माननीय सदस्य, जो श्री माधोपुर से आये हुए है, ने भाषण दिया, काफी हद तक मैं उससे एग्री नहीं करता हूं और मैं जानना तो यह चाहता था, सुनना तो यह चाहिए था कि जो नया कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए वे कुछ प्रपोजल्स देते, जिससे पंचायत समिति या पंचायत राज्य, जिसकी वे खुद कल्पना करते हैं, की नींव मजबूत होती, मगर उनके सजेशन्स से मुझे मालूम पड़ा कि वे पंचायत राज्य के अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं, वे पंचायत समितियां को मजबूत नहीं करना चाहते क्योंकि हम देखते है कि हमारी लोकल सेल्फ बॉडीज की सबसे पहली प्रोब्लम है, वह फाइनेन्स की है आज म्यूनीसिपैलिटी फेल हो रही है। इसी वजह से पंचायत समिति फेल होगी, फाइनेन्स की वजह से फेल होगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार ने जो कदम लिया है, उसके मुताबिक सरकार ने पंचायत समिति के पास रिसोंसेज नहीं रखे, अगर उतने रिसोंसेज़ रखती तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पंचायत समिति की नींव दृढ़ बन रही है। मगर राजस्थान सरकार की अजीब हालत है, हमारे गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स की अजीब हालत है कि वे कभी एक्सपीरियेन्स गेन नहीं करते। आज तक का हमारा तजुर्बा है, बिल फ्रेम करते वक्त हम हमारे उस तजुर्बे को बलायें ताख रख देते हैं, यह कहना गलत बात नहीं होगी। जो तहसील पंचायत थी, उसके एक्ट में तीनों चीजें काबी करके रख दी, वे टैक्स काबी करके रख दिये। जो माननीय मंत्री पाइलट कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत, जो टैक्स दिये थे, ने उनका उपयोग किया। शायद भूले भटके एक पंचायत मिलेगी। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि जिन टैक्सेज को पंचायत समिति को दे रहे हैं, उनका न तो पहले उपयोग किया था, न अब उपयोग करेंगे और जो इन मेज़र हैडिंग से, जिनसे रिसोंसेज़ बढ़ाना चाहते हैं, उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो देखना यह पड़ेगा कि ये फाइनेन्स कहां से आयेंगे। इन तीनों चीजों का तजुर्बा यह बताता है कि इन तीनों टैक्स को नहीं देना चाहिए क्योंकि तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत ने इनका उपयोग नहीं किया। यह इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि जो लोकल बॉडीज है, उसमें जिन आदमियों का इन्टीमेट रिलेशन है, जो पंचायत के पंच हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, उनमें इन्टीमेट रिले-

(श्री श्रीभानसिंह)

शन होता है, इसलिए लोकल लीडरशिप टैक्स लगाने से डरती है। इसके लिए खास कारण हो सकता है ऑब्लीगेटरी टैक्सेज में अभी यह सजेस्ट नहीं करता हूं कि यह एक नई चीज दे रहे हैं, लेकिन अगर ये टैक्स रहे शुरू में, तो हो सकता है कि ग्रामीण जनता में सद्भावना की जगह घृणा हो जाय कि ऐसी क्या इन्स्टीट्यूशन लाद रहे हैं, जो ऑब्लीगेटरी टैक्स लागू कर रही है। यह तजुर्बा हमारे पास है, मगर हमने तजुर्बे से काम नहीं लिया कि किन टैक्सेज़ को गारन्टी करके ले सकते हैं और इस हालत में पंचायत समिति के सामने शॉर्ट फाल्स आयेंगे और वे अपने फंक्शन्स को डिस्चार्ज नहीं कर सकती हैं। और जब शॉर्ट फाल्स आयेंगे तो जो सत्ता और भावना पैदा करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगी। हमें एक टैक्स देने की जरूरत है, और वह है लैंड रेवेन्यू, दूसरा टैक्स लागू करना है, वह है लेबर टैक्स। मेरी दृढ़ भावना है कि अगर यह कहा जाय कि हेस्टी लेजिस्लेशन लाये हैं तो ठीक होगा। हमने पंचायत समिति के रिसोंसेज़ पर ध्यान नहीं दिया। हम यह मान कर चलते हैं कि रूरल एरिया में दो रिसोंसेज़ हैं, जिनको हमें मेग्ज़िमम युटिलाइज़ करना है, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। यह कहा जाय कि मेन पॉवर को मेग्ज़िमम यूटीलाइज़ करना है। इसको सब मानकर चलते हैं कि रूरल एरिया विस्तार से फैला हुआ है, तो लैंड और लेबर को युटीलाइज़ नहीं किया तो जो लेजिस्लेशन बनायेंगे वह फेल्योर होगा। तो यह मान कर चलते हैं कि लैंड रेवेन्यू को युटीलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का कुछ शेयर पंचायतों को देना चाहते हैं। आप यह कहते हैं कि यह ट्रेडीशन के मुताबिक चीज है, इतिहास का रेफरेन्स देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भी ग्राम पंचायतें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थीं। लैंड रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज वहां देते थे और इस तरह मेजर पोर्शन लैंड रेवेन्यू का ग्राम पंचायतों में रहता था। जो लोकल सेल्फ टैक्सेशन का आर्ग्यूमेंट है वहां पहले लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को कलेक्ट नहीं करके पंचायतों के पास रखना चाहिये। लोकल नीड्स को मीट करने के लिए जितनी लैंड रेवेन्यू आप आज लेते हैं उससे चौगुना वे लेंगे तो भी वह वहीं खर्च होगी। यह सब सिद्धान्त लैंड रेवेन्यू के पीछे है, वह लैंड रेवेन्यू आप देना नहीं चाहते और स्टेट बजट में इसका सबसे ज्यादा शरह रहता है। जबसे आपने इन्टरमीजियरीज़ को हटाया है इससे पहले आप जो लैंड रेवेन्यू लेते थे उसकी डिमान्ड करने का आपको लेजिटिमेट हक है, वह आपका हक ठीक है पर इन्टरमीजियरीज़ को हटाने के बाद में जो लैंड रेवेन्यू है उसको लेने के आप हकदार नहीं हैं। उसकी विलेज़ पंचायतें हकदार हैं। जब तक आप साउन्ड फाउन्डेशन विलेज़ पंचायतों के लिये लैंड रेवेन्यू और फन्ड्स उन्हें देकर नहीं कर लेंगे तब तक आप चाहे ग्राम पंचायतें बनाइये, पंचायत समितियां बनाइये, जिला परिषदें बनाइये, तहसील पंचायतें बनाइये, ग्रामदान कोऑपरेटिव सोसायटीज़ बनाइये, और फेल्योर रहेंगे।

तो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एन्ट्रस्ट करने का जो मेजर रिसोर्स था उसको आपने विलेज पंचायतों को नहीं दिया। दूसरा सोर्स है टैक्स ऑन ट्रेडर्स, कॉलिंग्स एन्ड प्रोफेशन्स का।

(श्री श्रीभानसिंह)

वह गाँवों में कितना है, जो मीगर इन्कम के रिसोर्सेज् हैं वह इनको एन्ट्रस्ट कर दिये और उन्हें कहा कि आप इनसे इन्कम बढ़ाइये। डेवेलपमेंट मनी है, इसमें मैं विलेजेज् में यह मानकर चलता हूं कि ऐसा डेवेलपिंग एटमोस्फीयर गाँवों में नहीं पहुंचा है और वहां आर्टीजन्स, कालिंग्स एन्ड प्रोफेशन को टैक्स करेंगे तो गलती करेंगे।

डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेज् लागू होंगे तो जो आदमी टैक्सेज् से बच जायेंगे वे लोग भले ही पंचायतों, पंचायत समितियों और सरपंचों, पंचों के फेवर में हो सकते हैं पर जिन लोगों पर आप इस प्रकार के टैक्सेज् लगायेंगे, जिन लोगों, पर इन टैक्सेज् का असर होगा, जिन्हें ये टैक्सेज पे करने पड़ेंगे, उन लोगों की अच्छी भावना पंचायतों, पंचायत समितियों और सरपंचों के लिये नहीं हो सकती। हो सकता है कि इनके लिये लोकल नॉलेज उनको अच्छी रहती हो और वे जानते हों कि कौन कितना दे सकता है पर जो कन्ट्रीब्यूट करेंगे वे कभी फेवर में नहीं होंगे। मन्त्री महोदय तो उनमें से हैं, म्युनिसिपेलिटी बिल में ऑब्लीगेटरी टैक्स लगा दिया तो वे कहते रहे कि यह ऑब्लीगेटरी नहीं रखना चाहिये। जिनको म्युनिसिपेलिटीज् एड्मिनिस्टर नहीं कर सकती, यह उनका परसनल व्यू है, उसको पंचायत समिति पर रख देते हैं तो क्या वे इसको लागू कर सकेंगी।

आप एकता बरतना चाहते हैं तो शहरों के लिये ऑक्ट्राय कम्पल्सरी करते हैं तो क्या पंचायत समितियां ऑक्ट्राय नहीं लगा सकती ? जितने दूसरे टैक्सेज् वसूल करने के अधिकार आप इनको दे रहे हैं उन सबसे ज्यादा आमदनी इस ऑक्ट्राय से पंचायत समितियों को हो सकती है, फिर क्या कारण है कि आप उन्हें यह नहीं दें ? ग्रामीण जनता को टैक्स करना चाहते हैं वहां गांवों की पंचायतों के अन्दर कोई शहर का आदमी गूड्स ले जाय, या वहां व्यापार करने जाय, अनाज वगैरह सामान खरीदने जाय, उसको पंचायत समिति टैक्स करे तो इसमें आपको क्या हर्ज है जिससे कि ज्यादा आमदनी उनको हो।

एक तरफ आप उन्हें फंक्शन्स देते हैं कि इन्डस्ट्रीज को डेवेलप करो, एग्रो-इन्डस्ट्रियल टाइप ऑफ डेवेलपमेंट करो, कालिंग्स एण्ड प्रोफेशन्स को डेवेलप करो और दूसरी तरफ आप इन पर टैक्स लगाकर उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information Sir. क्या माननीय सदस्य का यह सजेशन है कि कि ऑक्ट्राय पंचायतें भी लगावें और पंचायत समितियां भी लगावें ? because it is already within the functions of the Panchayats. So octroi should be imposed both by Panchayats and Panchayat Samitis ?

श्री श्रीभानसिंह : जी ! मन्त्री महोदय ने अच्छा किया कि पूछ लिया। क्योंकि उनके पास फैक्ट्स एण्ड फीगर्स सब हैं, कितना एक्स्पेन्डीचर म्युनिसिपेलिटीज़ में ऑक्ट्राय वसूल करने के लिये स्टाफ एक्स्ट्रा पर होता है, टैक्स के कलेक्शन में, अकान्उट्स मेन्टेन करने में एक्स्पेन्डीचर होता है, यह हम ग्राम पंचायतों को दे दें तो क्या दो सौ, ढ़ाई सौ की आबादी वाला गांव है वहां की पंचायत क्या यह सब कुछ कर सकेगी ? इसको विजोलाइज् करते हैं तो ऐसे टैक्स जिसके कलेक्शन

(श्री श्रीभानसिंह)

में एक्सपीरियेन्स चाहिये, अकाउन्ट्स मेन्टेन करने का एक्सपीरियेन्स चाहिये, रसीदें करने का एक्सपीरियेन्स चाहिये, मैं इसका रेशनल और साइन्टिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहता। जो अकाउन्ट्स मेन्टेन कर सकें, रिसीट्स दे सकें वह बिगर बॉडीज़ हैं, तो यह बिगर बॉडीज़ के पास रहना चाहिये, यह पंचायतों के पास न रह कर क्योंकि पंचायत समिति बिगर बॉडी है उसके पास रहना चाहिये। हो सकता है कि मेहता कमेटी ने पंचायतों को ऑक्ट्राय दिया हो पर मेरी तब भी और अब भी यह भावना है कि यह पंचायत समिति को देना चाहिये। बिगर बोडीज़ ही टैक्स लगा सकती हैं।....

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the agency of collection of the deues ? The Panchayats have their staff. Shall the Panchayat Samitis keep independent agency ?

श्री श्रीभानसिंह : In that case, let me pilot the Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are giving suggestions. You must reply to everything, if I go into details,

श्री सभापति : Let us withhold the temptation of exchanging seats.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीभानसिंह : Your Honour is already doing it, Sir.

(अनवरत हंसी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम दूसरी तरफ इन्डस्ट्रीज को टैक्स करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आखिर रूरल एरिया में कितनी इन्डस्ट्रीज है। राजस्थान उस दिन अपने आपको भाग्यशाली समझेगा। राजस्थान की जनता अपने आपको भाग्यशाली समझेगी जिस दिन रूरल एरिया के पास इन्डस्ट्रीज टैक्स करने को हों। राजस्थान के साउथ, नोर्थ या ईस्ट, वेस्ट कहीं नजर दौड़ा कर देख लीजिये राजस्थान के पास इन्डस्ट्रीज हैं ही नहीं और वह हो नहीं सकती जब तक कि इलेक्ट्रिक पॉवर नहीं आये।

अभी रूरल एरिया में इन्डस्ट्रीज क्या हो सकती हैं, वीविंग, पोटरी, हैंडीक्राफ्टस, यह स्मालर इन्डस्ट्रीज हो सकती है, उन लोकल इन्डस्ट्रीज को हम टैक्स करें तो इनको टैक्स करने में हम किस चीज को एन्करेज करना चाहते हैं। एक तरफ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, रूरल एरिया को इकानोमी देना है जिससे वे सेविंग्स कर सकें, दूसरी ओर उस सेविंग को टैक्स लगा कर ले लेते हैं। कुछ इन्डस्ट्रीज डेवेलपमेंट रीटार्ड जो कुछ भी है उनके इनिशियेटिव को हम बिल करते हैं। यह सब होते हुए भी हमको यह देखना है कि रूरल डेवेलपमेंट और रूरल रीकन्सट्रक्शन की क्या पिक्चर है। पिक्चर हम विज्युलाइज और हैल्थ दी लेते हैं लेकिन जो स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं और जो ट्रेडिशन्स है वे आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं। रूरल एरिया में इन्डस्ट्रीयल टैक्सेज वहां के एम्प्लायमेंट रिटार्ड करना हो, उसकी इनकम को घटाने हो तो पंचायतों में आप कोमर्शियल टैक्स के लिये एन्टरटेनमेंट टैक्स करें। मेरी समझ में आता है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स सबसे ज्यादा रूरल एरिया में लावेंगे।

(श्री श्रीमानसिंह)

आप वहां पर देखेंगे कितने सीनेमा है। दूसरी किस चीज को टैक्स किया जावेगा। इसके अलावा ज्यादातर वहाँ पर टैक्स कॉइन्स में पे करते हैं। केश में पे नहीं होता। इसके लिये अगर आप इसको इनकम का सोर्स मान कर चलते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। यह टैक्स जो उनको एनट्रस्ट किया है वह इस तरह का है कि जो वसूल नहीं हो सकता, यह जरूर देखने के लिए कहा जा सकता है कि रूरल बांडीज को हमने रीसोर्सेज दिये हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Ona point of order, Sir, in clause 27 sub-clause (1), parts (a), (b) and (c), a tax payable on at the rent payable for the use of occupation on agricultural land at the rate of six naya paisa in a rupee of such rent, has been introduced by the Select Committee, which was half an anna both in (a), (b) and (c). Under Rule 73. if a certain member desires to move an amendment, he shall annex such sanction on recommendation of the Governor conveyed through a Minister and the notice shall not be valid until the requirement is complied with, provided that no previous sanction of the President or the recommendation of the Governor shall be reqauired if an amendment seeks to abolish or reduce the limits of the tax proposed in the Bill or amendment, or increase snch tax upto the limits of an existing tax...

श्री उपाध्यक्ष : Which is that rule?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 73, Sir, of our Rules of procedure, Page 25. Now the existing tax limit was helf an anna and it has been increased to six naya paisa. Article 199 of the Constitution says for the purposes of this Chapster, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of he following matters, namely—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

Now article 207 says.

A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council.

So this is the point of order and it should prevail.

श्री दामोदरलाल व्यास : May I submit that perhaps the Hon'ble Member is under the apprehinsion that the Select Committee has added this clause. They are appearing in the original Bill, (a), (b) and (c).

श्री पी० के० चौधरी : In the original Bill it was half an anna and now it is six naya paisa.

श्री दामोदरलाल व्यास : You can see the report

श्री उपाध्यक्ष : I will just look to it.

श्री दामोदरलाल व्यास : You see clause 27 in the Report, The Committee is of the view ... (Pause). Mr. Chaudhary's supposition is correct. We have increased the rate. It has been increased from half an anna to one anna. It is not given in the body of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी ; This is also a mistake on the part of the Secretariat. This clause cannot be considered now.

श्री उपाध्यक्ष : You should not try to ... ...

श्री पी० के० चौधरी ; The Objection prevails. It is a constitutional objection and it should prevail.

श्री उपाध्यक्ष : I would refer to article 199 of our Constitution.

"For the purposes of this Chapter a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely, the matters enumerated in article 199. The word 'only' used is vefy significant and prevalant. If article 199 is rightly studied with the background of this word, I hope Mr. Chaudhry's point of order will not be there. The bill does not deal with the provisions exclusively pertaining to the ... ...

श्री पी० के० चौधरी : I will draw your attention to article 207. "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor" It means an amendment or Bill making any of the provisions specified in article 199 cannot be introduced, if the Bill may not be termed a money bill, the bill or the amendment cannot be introduced according to article 207. A Bill may be a Money Bill or may not be a Money Bill, but a bill or amendment making provision in respect of all or any of the matters specified in...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Chaudhary so far as article 207 is concerned, I agree with your views. What I only press is whether this is a Money Bill or not ?

श्री पी० के० चौधरी : It may not be a Money Bill. An amendment raising tax proposals from half an anna to six naya paisa cannot be introduced without Governor's recommendation.

श्री उपाध्यक्ष : Even if it has been raised from half an anna to six naya paisa, even then under article 199 if you would kindly look up once again a Bill is a money Bill if it contains only these provisions. To bring a Bill within the purview of article 199, all the provisions in the Bill should be provisions pertaining

Page No.102

(श्री उपाध्यक्ष)

to money Bill. Here the case is different. It is only a singular instance that you have cited, whereas inview of the intention of the article all the provisions should be related to a money bill. If there is only one item it cannot bring it under a money bill, the article 199 brushes out that position.

श्री पी० के० चौधरी : Article 207 is very clear. It does not say that it must be a money bill. A Bill, means any bill, money bill or any ordinary bill, or amendment, making provision for all or any of the matter specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199—it only makes a reference to article 199—if a bill or amendment containing provisions relating to any of the items specified in sub clauses (a) to (f) of clause [1) of article 199 is to be moved, it cannot be introduced without the Governor's sanction, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But clauses (a) to (if) of article 199, clause (1) deal with money Bill.

श्री पी० के० चौधरी : That Provision is quite different, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : So a Money Bill has been defined......

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps the Members are thinking that in the original bill the provision was for half an anna and it has been raised to one anna by the select Committee and so the recommendation of the governor should have been obtained for raising the limit to one anna. The position is not exactly this. The position is that in the original bill no amount was prescribed, but the Governor's recommendation was to impose a tax upto a limit to be prescribed by the House, as thy think fit.

You are under the impression that 6 pies or half an anna was prescribed in the original bill and it was covered by the recommendation of the Governor. The original clause reads like this :—

"A Panchayat Samiti may impose and levy in the prescribed manner all or any of the following taxes, namely, a tax payable on the rent for the use or occupation of agricultural land, such tax being payable by the person or persons severally or jointly in cultivatory possession of such land or in receipt of any income therefrom."

There is nothing prescribed in the original bill, half an anna or one or anna or two annas.

टैक्स लगाने के लिए रिकमन्डेशन किया, इसमें टैक्स लगाने का प्रोविज़न है और आपका ख्याल है...we have enhanced it from half an anna.

श्री पी० के० चौधरी : In that bill it was half an anna.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am reading the original bill.

श्री पी० के० चौधरी : Are you introducing a debate whether it has been raised from half an anna or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the Panchayat Act is concerned, the Panchayat had the power to impose cess to the extent of half an anna. This power has been given now to the Panchayat Samiti. So only the authority to impose a cess has been changed from Panchayat to Panchayat Samitis. Now the Panchayats will not impose that tax, but the Panchayat Samiti will impose that tax and for that purpose the Governer's recommendation has been obtained and be can impose that tax. If it is the suggestion of the House that Select Committee has added this provision, it is not justified to think so.

श्री उपाध्यक्ष : Well, As I have made my observations that the article 199 does not apply and in the light of the expressions given by the Hon'ble Minister in charge, I am convinced the contention does not stand. I, therefore, rule out the point of order of Shri P. K. Chaudhry. You (Shri Shri BhanSingh) will continue with the debate.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह सब टैक्सेशन को बताता हुआ आखिर यह कह रहा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इसमें नहीं लगाने देते हैं, उनको पॉवर्स नहीं देते हैं, बहुत से प्रान्तों में लेबर टैक्स लगाने के पॉवर्स पंचायतों को दिए हुए हैं, यहां भी उनको देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो कार्य नहीं हो सकेंगे। पंचायत समितियों को यह लेबर टैक्स देने की यों जरूरत है कि हम डेवलपमेंट के काम जो करवाना चाहते हैं और उन डेवलपमेन्ट के वर्क्स में जनता का सहयोग चाहते हैं। जनता का सहयोग मेन्यूअल लेबर से या पैसे से ले कॉन्ट्रिब्यूशन, रूरल एरिया में डेवलपमेंट वे करें, उसमें जन सहयोग वे करें। तो जन सहयोग को किस तरह युटिलाइज कर सकते हैं ? जब हम यह मानते हैं कि रूरल एरिया में जो मैन पॉवर हैं, उनको आइडल वेज में पूरी तरह युटिलाइज करना है और उनको युटिलाइज करते हुए पूरी तरह एम्प्लोयमेंट दे देते हैं तो यह मान कर चलना होगा कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट जल्दी होगा। लेकिन रूरल एरिया के लेबर को युटिलाइज करने के लिए कुछ नहीं रखते हैं, फन्क्शन्स में ऐसा रखा है कि काम ऐसे एक्जीक्यूट किये जायं जिनमें कि जन सहयोग हो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जैसा ढीला ढाला था वैसा ही यहाँ कर दिया। यह मैं मानकर चलता हूं कि लेबर टैक्स होता तो रूरल एरिया की तरक्की जल्दी हो सकती है। यह डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकती, जो आदमी मालदार है, पैसा दे सकता है, वह कॉन्ट्रिब्युशन में मनी दे सकता है और जो पुअर हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं वे अपनी लेबर दे सकते हैं। इस तरह से प्रोवाइड करें और रिसोर्सेज उनके हाथ में रख देते हैं तो वह रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, जिस टैक्स को कोई फोलो नहीं करते थे वे उनको दे देते हैं तो वहां की

(श्री श्रीभानसिंह)

काफी तरक्की हो सकती है। रिसोर्सेज पंचायतों को दी है वह क्या सोच कर दी है यह मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि गवर्नमेंट की यह मंशा हो और लोजिकली यह हो सकता है कि भविष्य में जो पंचायतें होंगी उनको गवर्नमेंट हेल्प देगी तो जो कुछ हेल्प देगी वे उन पर ही डेविली लोन होगी। गवर्नमेंट फाइनेन्शियल हेल्प देगी उनको, मुझे इसमें शंका होती है कि आज जो पैसे को कन्ट्रोल कर रहे हैं कल वे उनको भी कन्ट्रोल कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज के आइटम हैं जो कि वास्तव में उनको देने चाहिये नहीं देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इनके फाइनेन्सेज अच्छे हों, उनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, नहीं देते हैं और यह तय करते हैं कि ग्रान्ट-इन-एड तय कर देंगे, जितने रिसोर्सेज डेवलप होने चाहिए वे नहीं हो सकेंगे, उनमें इनीशियेटिव नहीं होगा, उनमें रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं आवेगी, उनको अपने पावों पर खड़े होने की हिम्मत, ताकत नहीं आवेगी। इस तरह से उनको जो रिसोर्सेज देने चाहिये थे वे म्युनिसिपल हैं वे उनको नहीं देने चाहिए थे। हम पंचायत समितियों को अर्बेनाइज नहीं करने जा रहे हैं, उनकी रूरल कल्चर, डिस्टिक्टनेस है उनको डेवलप करना चाहते हैं। मॉडर्न साइन्टिफिक मीन्स को युटिलाइज करें इस तरह होना चाहिये। अर्बेनाइज नहीं करना चाहते। टैक्स वे देते हैं उनको जो अर्बन म्युनिसिपेलिटीज के पास हैं। अर्बन म्युनिसिपेलिटीज उनको लेकर नहीं कर सकी। वे फेल्योर रही हैं, तहसील पंचायतों को दिया तो वे भी इसमें फेल रही हैं। रिसोर्सेज ऐसे क्यों छोड़ देना चाहते हैं ? आप उनको इनीशियली वीक बनाते हैं। लोकल बोडीज को यदि स्टेन्ड कराना चाहते हैं तो उनको वे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे जो कि डेवलपमेंट कामों में अच्छी तरह से वे काम में लावें।

यहां एज्युकेशनल सेस को क्रिटीसाइज किया गया। मैं इस पक्ष में हूं कि एग्रीकल्चर सेस रहना चाहिये। यह डिमान्ड की गई है कि लोकल एरिया में शिक्षा देनी है, मैं तो कहता हूं कि कम्पलसरी प्रायमरी एज्युकेशन होनी चाहिए और इसी दृष्टिकोण को राज्य सरकार लेकर चल रही है। आखिर एज्युकेशन के लिए कहीं न कहीं पैसा ढूंढना पड़ेगा। लोकल एरियाज को उन्हीं को टैक्स करके यदि उनको एज्युकेशन न दें तो यह सबसे बड़ा अन्याय है उनके साथ। कई इस तरह के आज एलीमेंट्स हैं जो उनको आगे भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं, रूरल एरिया इग्नोरेन्ट है, वह विक्टिम रह सकता है क्लास क्रीड कास्ट का। जब तक उनके हाथ में इन्स्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर नहीं प्लेस करेंगे, जो साधन हैं वे प्लेस नहीं करेंगे तब तक वे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा साधन है प्रायमरी एज्युकेशन और इसको कम्पलसरी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। यह कहा जाय कि भरतपुर एरिया दूसरे के लिए और दूसरा एरिया भरतपुर के लिए तो यह अनजस्टिस रहेगा। यदि कल्चरल डवलपमेंट एरिया का करना है तो लोकल सेस को मान कर चलना पड़ेगा और उनको लेवी करना पड़ेगा। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स या दूसरे टैक्सेज से राज्य सरकार कहे कि फाइनेन्शियल पोजिशन इम्प्रूव कर देंगे इसको मैं नहीं मान सकता। जब तक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स एन्हान्स्ड रेट्स नहीं देंगे, लेबर टैक्स और ऑक्ट्राय नहीं देंगे तब तक मैं नहीं

(श्री श्रीमानसिंह)

समझ सकता कि किसी तरह पोजीशन इम्प्रूव होगी।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने इस बात की चर्चा चल रही है मैं समझता हूं इस लिहाज से ऐसा मालूम होता है हमें तो कुछ न कुछ नई बात करनी ही है इसी लिये कि हम आमाद है इसलिये करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिलेक्ट कमिटी के सदस्य थे इस सूरत में हमें क्या प्रोसीजर एडोप्ट करना है यह विचारने योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी कि मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ जो माननीय सदस्य सिलेक्ट कमिटी के मेम्बर थे और जिन्होंने असहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया, they will not oppose the bill, That is the position.

श्री अनोपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं इस बिल के संबन्ध में सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट मुझे उस समय मिली जब कि इस पर असहमति पत्र देने की तारीख गुजर चुकी थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस संबन्ध में पहले ही व्यवस्था दे दी है, रियायत करता रहा हुं I will like to adhere to my impressions and my observations that I have given. I will request that if at all you want to speak, please speak in support of the bill, and not otherwise.

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपका आदेश मानना है और मानूँगा इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है जिस प्रकार का रिलेक्शन आपने पहले फरमाया उसी तरह का मौका अब भी दें। मैं केवल इसी सम्बन्ध में एक क्लॉज के बारे में अर्ज करूंगा।

श्री पी०के० चौधरी : The Hon'ble member is not speaking against the Bill. He may criticize a clause here and there. He is only giving his observations he is not speaking against the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I hope the House will help me. It is to hhe benefit of the Chair. It saves a lot of time at the same time.

श्री अनोपसिंह : बिल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। केवल एक क्लॉज के खिलाफ बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You will speak mysteriously opposing the Bill.

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक क्लॉज के खिलाफ बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल की खिलाफत क्या कर सकता हूँ, मुझे तो जनता खिलाफत करने का कह रही है, वक्त आने वाला है वह भी इसकी खिलाफत करेगी। मुझे तो केवल खिलाफत करके आपका ध्यान इस ओर दिलाना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आरंभ में ही खिलाफत करने लग गये हैं।

श्री अनोपसिंह : यह तो मैं अर्ज कर रहा हूं खिलाफत नहीं कर रहा हूं। हमें यह देखना है कि वाकई जो रिसोर्सेज हम पंचायतों को देने वाले हैं वे ऐसे हों जो लोगों को आखिर अखरें नहीं। अगर हम टैक्स लगाने का अधिकार देते हैं तो यह उनके लिये फिक्र की बात नहीं है। मैं समझता हूं जो टैक्सेज लगाने की पद्धति जो सोर्सेज रखे गये हैं उनको सदन ध्यान से देखे और उनका मुकाबला आज जो गाँवों में परिस्थितियां हैं उनसे मुकाबला करे वहां के बेक ग्राउन्ड में जाकर देखे इन टैक्सेज से गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा। मैं यह मानता हूँ कि विकास कार्यों में धन चाहिये पर इसके साथ साथ आप देखिये जिस धन को आप खर्च कर रहे हैं या खर्च करना चाहते हैं वह धन वहां की जनता किस तरह से देती है, आसानी से देती है या दबाव से देती है। आपकी सरकार कम्युनिस्ट सरकार तो नहीं है जो पॉइन्ट ऑफ पिस्टल बताकर जनता से टैक्स वसूल कर सके। वैसी हालत में आपको यह देखना होगा कि वाकई जनता की भावना इस प्रकार की है या नहीं। जनता यह महसूस करती है या नहीं कि उसे टैक्स पे करना चाहिये या नहीं। उन पर दूसरे टैक्सेज का भार है या नहीं। यह तो मैं अनेलीसीसकर रहा हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : But you are not opposing...

श्री अनोपसिंह : मैं याद दिला रहा था क्लॉज हम पास करें तो इसके बेक ग्राउन्ड का जरूर ध्यान रक्खें। आज के किसान की जो हालत है वह मैंने आपको बता दी है। यह ठीक है कि यह जो रुपया इकट्ठा होगा वह विकास के कार्यों मे खर्च होगा किन्तु यह आपने देखा है कि जो रुपया अब-तक खर्च करते आ रहे हैं वह ठीक प्रकार से हो भी रहा है या नहीं। यह आपने नहीं सोचा आजतक जो पैसा लगा रहे हैं उसका अंकन क्या होगा और न आपने इस बारे में देखा भी है। आज विकास अधिकारी जिस किसी प्लान को भेजता है वह प्लान किस प्रकार से पूरी होती है यह आपने जाकर देखा है, आपकी एस्टीमेटस कमेटी है, जन लेखा समिति है उसकी क्या रिपोर्ट है, आपके विकास कार्यों के सम्बन्ध में यह भी आपको सोचना पड़ेगा। केवल यह नहीं कह सकते कि हमें रुपया खर्च करना है इसलिये हम कर रहे हैं और कर दिया है। आपको साथ साथ यह भी देखना होगा कि आपकी एस्टीमेट्स कमेटी और जनलेखा समिति इस बारे में क्या कहती हैं। आज तक हम यह अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी आज तक खर्च किया गया है वह ठीक प्रकार से खर्च नहीं हुआ है। जनता पर आपने भार डाला लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है फिर भी जनता पर आप और करों का भार डालना चाहते हैं और उन्हें फुसलाने की कोशिश करें कि हम आपके लिए यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं और उनसे पैसा गांठ लें तो इससे क्या होगा, पंचायत समितियों की पोपुलेरिटी में कमी आयेगी। आज हमें जहां पंचायत समितियों की रेपूटेशन बनानी है अगर वे इस प्रकार से टैक्स इम्पोज करने लग जायेंगी तो जनता यह समझने लगेगी कि कैसे नालायकों से पाला पड़ा है जो कि हमारे पर इस प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : To whom are you pointting ?

श्री अनूपसिंह : मेरा मतलब है जो लायक नहीं वे नालायक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आपने नालायक शब्द का प्रयोग किया, उसके साथ साथ हाथ का इशारा किया उससे तो उसका दूसरा रूप आता है।

श्री अनूपसिंह : यह इशारा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Does the Hon'ble Member think that all Members of the Panchayat Samitis will be nalayaks ?

श्री अनूपसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि आप जो टैक्स वसूल करना चाहेंगे उसके लिए आपको पहले वहां की जनता का जो साइकिक बेक ग्राउन्ड है उसको ध्यान देना होगा। यह ठीक है आप विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी तारीफ अभी हो नहीं सकेगी, हो सकता है आज से दो पीढ़ी बाद कोई तारीफ करे, तारीफ कर सकते हैं लेकिन आज यह मौका नहीं मिलेगा। मैं आज १९५९ का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं जब कि आज जनता के सामने पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया लेकिन आप टैक्स जरूर थोप रहे हैं। इससे गांव की पंचायत समिति की रेपुटेशन बिगड़ेगी। बजाय विकास करने के मौका मिलने के होगा क्योंकि पंचायतों को काम करने का मौका नहीं मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन इस बात को मानता होगा और मैं भी मानता हूं कि बिना धन के कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जहां आपको धन की आवश्यकता है वहां ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे डाइरेक्ट टैक्सेज आप न लगाइये। जैसे सुनार या लोहार जो अपना मामूली धन्धा करता है उस पर टैक्स लगाकर आप उस धन्धे को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे ही आज जब मशीनरी का युग है उसमें हाथ से काम करने वालों की आवाज पहले से कम हो गई है। छोटी-मोटी चीजें जो गांव में काम आती हैं वे पैदा करते हैं उनको भी आप कहेंगे कि तुम भी पैसा दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं उसका मतलब यह है कि आज गांव की हालत क्या है? वहां का लीविंग इनडेक्स क्या है? आपने उनका इनकम इन्डेक्स तो बढ़ाया नहीं आप जब तक ये स्टेटिसटिक्स नहीं देख लेते मैं समझता हूं बगैर आंकड़े सामने रक्खे आप टैक्स लगाते हैं उस टैक्स से न वह पंचायत समिति पोपूलर हो सकती है न इस प्रकार का टैक्स लगाने वाली गवर्नमेंट ही पोपूलर हो सकती है। इस प्रकार बिना इनडेक्स देखें, इस प्रकार टैक्स लगाने के अधिकार पंचायत समितियों को देते हैं यह एक प्रकार से अत्याचार होगा। गांव की जनता जिस दिन रिएलाइज करे उस दिन वे अपने आप टैक्स दे सकते हैं। लेकिन आज की हालत में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं उस हालत में प्रोबलम आ जायगी। आपको यह पता नही कौन सी ऐसी पंचायत है जिसने टैक्स वसूल कर लिया हो और उसकी वसूली के साथ साथ वहां टंटा झगड़ा नहीं हुआ हो। और ऐसी कोई अंगुलियों पर गिनने लायक पंचायतें होंगी जहां पर पढ़े लिखे लोग होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके एरिया का क्या हाल है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : वहां समझदारों की कमी है।

श्री अनोपसिंह : मैं अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए अर्ज कर रहा हूं। मैं विलायत की बात को नहीं कह रहा हूं।

श्री पुरुषत्तोमलाल : वहां तो राम राज्य है।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : भगवान करे, हो जावेगा, आपके भरोसे तो नहीं होगा, आपके भरोसे तो होने का नहीं। आपके पीछे और आपके कहे में चलने पर तो कभी होने का नहीं पर हमारे कहने के पीछे वे चलेंगे तो रामराज्य भी बन सकता है। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह के टैक्सेज सोचिये तो सही वे किस पर लगा रहे हैं। उनका इन्डेक्स क्या है ? ट्रेड और प्रोफेशन आर्टिजन पर लगावेंगे, पढ़ाई के लिये और पढ़ाई का हाल तो यह है कि लड़के हैं तो मास्टर नहीं और मास्टर हैं तो लड़के नहीं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : सपोर्ट में कह रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह समझावेंगे तो बड़ा विस्तीर्ण हो जावेगा।

श्री अनोपसिंह : जहां मास्टर हैं तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो टाट पट्टी नहीं, यह भी नहीं, अब इधर से पैसा देंगे, उधर खर्च करेंगे किस मास्टर पर, उस पर जिसको पढ़ाना नहीं आता। जो अपनी जगह टिक नहीं सकते। सुबह से शाम तक इधर उधर चक्कर मार सकते हैं। लड़कों को खेल कूद करा सकते हैं। यह अपनी आंखों देखी चीज है जो मैं कह रहा हूं। सुनी सुनाई नहीं है। पर उनको स्कूल में बैठकर पढ़ाने को मौका नहीं मिलता और कारण इसका यह है कि आप जैसे अनएफीशियेन्ट वे मास्टर हैं।

श्री पी० के० चौधरी : I take objection. He is addressing the Chair as if it is inefficient.

श्री उपाध्यक्ष : Is he directing the Chair ?

श्री अनोपसिंह : आप जैसे...

श्री उपाध्यक्ष : The gestures were towards you more.

श्री अनोपसिंह : मुझे आपकी सूझ को दाद जरूर देनी पड़ेगी।

श्री अनोपसिंह : हमारे मास्टर, हम जिनको मास्टर बनाकर भेजते हैं वे मेरे जैसे भी मास्टर...

श्री पी० के० चौधरी : आप जैसे ?

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : आपने जिनको मास्टर बनाकर भेजा है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Now. Mr. Anope Singh has concluded his speech

श्री पी० के० चौधरी : He has always to address the Chair. He has attempted to humour you.

श्री अनोपसिंह : मैं चेयर के खिलाफ किसी दिन ऐसी बात नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : I never hope from you.

श्री पी० के० चौधरी : As the Hon'ble Memb er has apoliged

श्री अनोपसिंह : There is no question of apolizing. I have not said anything which I should not have said इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि मान लिया आपको पैसा चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो वापिस वहीं से शुरूआत कर रहे हैं जहां अन्त किया था।

श्री अनोपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : This means, you want to consume the last minute of the time.

श्री अनोपसिंह : आप नहीं, हम चाहते हैं कि मास्टर अच्छे आवें। आप खर्चा करना चाहते हैं पर आपके पास मास्टर नहीं हैं, लावेंगे कहां से आप ? आप खर्चा करेंगे कैसे ? मैं अर्ज कर रहा हूं और ठीक अर्ज कर रहा हूं : आज जहां स्कूलें चल रही हैं लोगों के यह मन में आ रही है कि ये स्कूलें तो उठा ली जावें तो अच्छा है।

श्री रामचन्द्र : हमें बोलने का मौका मिलना चाहिये ?

श्री अनोपसिंह : मैं आपको मास्टर बना नहीं रहा हूं। आप मास्टर से ऊपर बन गये हैं। जहां हैं वहां से हटाना नहीं चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम लिमिट कर दी थी। इस तरह से तो एक दिन और बढ़ाने से भी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। यह कह कर मैं किसी माननीय सदस्य के बोलने के राइट को करटेल करने की बात नहीं कह रहा हूं, पर जितने भी प्रोवीजन और अमेन्डमेन्ट हैं उन सब पर डिस्कशन होकर पास हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात को ध्यान में रखकर डिस्कशन करेंगे तो २१७ और २१६ की धाराएं एप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा भी विश्वास है कि समय का पूरा ख्याल रक्खा जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम और भी लिमिट कर दें तो।

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया है।

श्री अनोपसिंह : और भी टाइम कम लिया जावे और इससे आप इस टैक्स वाले क्लॉज को इतनी आसानी से पास कराना चाहें तो यह आपके हित में भी अच्छा नहीं होगा। यह धारा ही ऐसी है जिस पर समय तो लगेगा ही। आपने फिर वादविवाद के सम्बन्ध में समय का निर्धारण कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को दस मिनिट दिया जा रहा है। इसे कम न किया जावे।

Page No.110

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट दिया जा रहा है, इससे अधिक नहीं।

श्री पी० के० चोधरी : on a point of order, sir. The Hon'ble Member is not contributing anything new. His protest has already been registered.

श्री उपाध्यक्ष : Is this the point of order (Pause). I hope you conclude, Mr. Anope Singh.

श्री अनोपसिंह : जिस मकसद से बोलना चाहते थे सदस्य महोदय ऐसा है उनको ख्याल नहीं है कि यह...

श्री उपाध्यक्ष : You have concluded it.

श्री अनोपसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह कहूं कि जो आपने टैक्स लगाये हैं वे अच्छे हैं, और लगाये जावें और मैं उनको सपोर्ट करूं। मैं तो यह कहता हूं कि आपको इसकी बैक ग्राउन्ड समझनी चाहिये। मैं अपील कर रहा हूं कि आप इसको समझें टाइम लेने के लिहाज से नहीं कह रहा हूं।

श्री पी० के चौधरी: Who says that your time-limit . .

श्री अनोपसिंह : I am not to be disturbed, Sir.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जनहित में है यह कि आप इसका समर्थन करें।

श्री अनोपसिंह : मैं हर जगह तो बोला ही नहीं हूं। मैं तो यह स्ट्रेस करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : I have accepted that stressing. हम मन्जूर कर चुके हैं आपने काफी स्ट्रेस कर दिया है अपने पोइन्ट को।

श्री अनोपसिंह : आपका ऐसा ख्याल है तो मैं बैठ जाता हूं उपाध्यक्ष महोदय। पर....

श्री उपाध्यक्ष : यस, श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : जिस क्लॉज पर सदन में विचार किया जा रहा है उस क्लॉज में कुछ सब-क्लॉज ऐसे हैं जिनसे कि मुझे आपत्ति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं चाहे पंचायत समिति हों, चाहे जिला परिषद् हों, चाहे पंचायत हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई दूसरी स्थानीय निकाय हो, उनको टैक्स लगाने का पॉवर देना उनके लिए एक तरह से घातक है। इसके माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई कारण बताना चाहता हूं। हाउस के अन्दर अभी अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, उनमें गांवों के किसानों की हालत....

श्री पी० के० चौधरी: It is already 5, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Would you not sit longer ?

श्री गिरधारीलाल : मैं तो अभी बोलूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या सदन की सम्मति है कि कुछ अधिक समय के लिए बैठा जावे।

Page No.111

(श्री उपाध्यक्ष)

(अल्प विराम के अनन्तर)

और मैंने जैसा निवेदन किया है निश्चित समय के अन्दर ही अपना भाषण माननीय सदस्य समाप्त करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : समय बढ़ाया जावे तो कल बढ़ा दिया जावे साहब। और टाइम भी रेगुलेट करें तब तो ज्यादा बहस भी कर सकेंगे। कल समय बढ़ा दीजिये आज की बजाय।

श्री गिरधारीलाल : मैं तो अभी एक ही मिनिट बोला हूँ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपके नौ मिनिट बाकी हैं।

We now adjourn to meet tomorrow at 11.00 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही १-६-५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

विशारद की डिग्री को मैट्रिक के बराबर मान्यता ।

जिला जालोर व सिरोही में अफीम का ठेका ।

ग्राम राजोर (टोडाभीम) में भूमि का अलॉटमेन्ट ।

हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता की सूची ।

लालसोट में चरागाह की भूमि को गैर काश्तकारों को खातेदारी पर दिया जाना ।

हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पद पर कार्य करने वाले आर. ए. एस. ऑफिसर्स ।

सिरोही स्टेट के सोनेश्वर जी देवस्थान के सदस्य ।

समाज कल्याण विभाग के प्रशिक्षण हेतु बाहर जाने वाले कर्मचारी ।

हाई स्कूल, बालोतरा की जमीन में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ।

खानों के ठेकों के अन्तर्गत दिया गया भूमि क्षेत्र ।

स्कम्भ

पुर्नस्थापन विभाग के कर्मचारियों को स्थायी विभाग में लीयन देना।

ग्राम चोमा (दीगोद) की प्राथमिक शाला की मरम्मत ।

हरिजन बस्तियां

तहसील रायपुर, जिला पाली में समाज कल्याण केन्द्र की स्थापना।

भेड़ चराने और पालने के लिए जमीन का अलॉटमेंट।

रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर के परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका का उड़ाया जाना ।

जयपुर शहर के सिटी कैंप के शरणार्थियों को बसाने की योजना।

असफल हुये एवं नये प्रवेश चाहने वाले छात्रों की समस्या ।

सब-डिविजन कोटपुतली में अग्निकांड ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय,ब्यावर जैसलमेर में जिप्सम ।

बांसवाड़ा डिग्री कॉलेज में बायलॉजी की कक्षायें ।

जैसलमेर में तकावी का वितरण ।

धौलपुर एरोड्राम तथा चांदमारी के क्षेत्रों की भूमि पर नाजायज कब्जा ।

Page No.113

गाड़िया लुहारों को बसाने की योजना।

स्थगन-प्रस्ताव

जयपुर नगर में मेहतरों की हड़-ताल से सम्बन्धित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल तथा डा० चन्द्रकला के स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री ने राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १६५६-५७ एवं अंकेक्षा, प्रतिवेदन, १६५६, को सदन की मेज पर रखा।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ के द्वितीय वाचन के लिए समय की वृद्धि।

राजा मानसिंह के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक के द्वितीय वाचन का समय २ सितम्बर, १६५६, को १ बजे मध्यान्होत्तर तक बढ़ा दिया गया।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उप-रोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड १६-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १७-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १८-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १६-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १६-ए-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(खण्ड २० प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था)

खण्ड २१-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २२-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २२-ए-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड २३-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २३-ए-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड २४-बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड २५-आस्थगित किया गया।

खण्ड २६-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

Page No.114

खण्ड २७-इस खण्ड पर ६ सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गए। इन संशोधनों के पक्ष व विपक्ष में की गई बहस में ३ सदस्यों ने भाग लिया।

श्री गिरधारीलाल अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक १ सितम्बर १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १ सितम्बर, १९५९ की कार्य-सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

(अग्रेतर खण्डशः विचार)

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये]

परिशिष्ट—अ

क्रम	अधिकारी का नाम	पद जिस पर सन् १९५६ में आसीन थे।	नियोजन का दिनांक	संदर्भ
१	२	३	४	५
१.	श्री जीवराजसिंह, आर. ए. एस.	कमिश्नर, देवस्थान उदयपुर।	१२-४-५१	
२.	श्री गुलजारीलाल माथुर, आर. ए. एस.	कमिश्नर, एक्साइज एण्ड टैक्सेशन, उदयपुर।	१-८-५५	
३.	श्री चन्द्रधर ईस्सर, आर. ए. एस.	श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।	२७-८-५५	
४.	श्री समर्थराज, आर. ए. एस.	संचालक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।	१-१२-५३	
५.	श्री चम्पालाल कोचर, आर. ए. एस.	संचालक, निवासन, राजस्थान नहर योजना, बीकानेर।	जुलाई, ५५	
६.	श्री परमानन्द, आर. ए. एस.	संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	२१-११-५७	
७.	श्री भंवरलाल मेहता, आर. ए. एस.	अतिरिक्त आयुक्त, बिक्रीकर व कृषि आयकर राजस्थान जयपुर।	१२-१-५६	
८.	श्री श्यामकरन, आर. ए. एस.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान कजयपुर।	१६-५-५७	

१	२	३	४	५
९.	श्री. सुरेन्द्रनाथ मिश्रा, आर. ए. एस.	संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजस्थान, जयपुर।	१३-४-५९ तक।	अब संचालक पुर्नसंस्थापन दिनांक १३-४-५९ से।
१०	श्री गंगाराम पुरोहित, आर. ए. एस.	संचालक, सहायता एवं पुर्नसंस्थापन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	१२-१०-५७ से ८-१-५९ तक।	अब अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्डनायक, पाली।
११.	श्री जी० के० भगत, आर. ए. एस.	संचालक, लोकल बॉडीज राजस्थान, जयपुर।	५-६-५८	अब स्थानापन्न जिलाधीश। स्थान रिक्त है।
१२.	श्री पी. डी. खन्ना, आर. ए.एस.	संचालक, सहायता एवं पुनसंस्थापन, राजस्थान, जयपुर।	८-१-५९ से १९-३-५९ तक।	अब १८ मार्च, ५९ से रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल अजमेर।
१३.	श्री कन्हैयालाल बराया, आर. ए. एस.	संचालक, प्रशिक्षण, (विकास) राजस्थान, जयपुर।	१-४-५७	अब उप-शासन सचिव, प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण।
१४.	श्री हनुमानसहाय रावत, आर. ए. एस.	संचालक, पंचायत, राजस्थान, जयपुर।	१६-५-५८	अब १२-५-५९ से संचालक प्रशिक्षण।
१५.	श्री विजयसिंह, आर. ए. एस.	संचालक, रिलीफ ऑपरेशन, राजस्थान, जयपुर।	५-९-५८	
१६.	श्री इकबालनाथ कौल, आर. ए., एस.,	कोलोनाईजेशन ऑफिसर, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा।	६-११-५८	अब यह पद संचालक, कोलोनाईजेशन कहलाता है।
१७.	श्री श्योराम जैन, आर. ए. एस.	सेक्रेटरी, अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर।	१९-३-५९	

परिशिष्ट 'ब'

क्रमसंख्या	अधिकारी का नाम	सिनियोरिटी लिस्ट में नम्बर।	वेतन	ग्रेड
१	२	३	४	५
१.	श्री जीवराजसिंह, आर. ए. एस.	१	दिनांक १-३-५८से रु. ११५०	१०००-५०-१५००
२.	श्री गुलजारीलाल माथुर, आर. ए. एस.	२	दिनांक २-८-५८ से रु० ११५०	,,
३.	श्री चन्द्रधर ईस्सर, आर. ए. एस.	३	दिनांक १-३-५८ से रु० ११००	,,
४.	श्री समर्थराज, आर. ए. एस.	५	दिनांक १-३-५८ से रु. १२००	,,
५.	श्री चम्पालाल कोचर, आर. ए. एस.	७	दिनांक १-३-५६ से रु.६०० तथा १५० विशिष्ट वेतन	५००-३०-७४० ईबी३०-८०० -५०-६००
६.	श्री परमानन्द, आर. ए. एस.	१६	दिनांक १६-६-५८ से रु० ४७५ तथा रु. १५० विशिष्ट वेतन।	२५०-२५-५०० ईबी २५-७५०
७.	श्री भंवरलाल मेहता, आर. ए. एस.	१८	दिनांक १२-१-५६ से रु० ८५०	८५०-५०-११५०
८.	श्री श्यामकरन, आर. ए. एस.	१६	दिनांक १५-७-५८ से रु० ६७५ तथा विशिष्ट वेतन रु.१५०	२५०-२५-५०० ई बी २५-७५०
९.	श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्रा, आर. ए. एस.	२६	दिनांक १-३-५७ से रु० ७५० तथा विशिष्ट वेतन रु० १५०	,, ,,
१०.	श्री गंगाराम पुरोहित, आर. ए. एस.	२९	दिनांक ३१-३-५८ से रु० ५२५ तथा विशिष्ट वेतन रु.१५०	,, ,,
११.	श्री जी.के. भगत, आर. ए.एस.	३०	दिनांक -११-५७ से रु० ७५० तथा विशिष्ट वेतन रु०१५० दि० ५ ९-५८ से।	,, ,,
१२.	श्री पी. डी. खन्ना, आर. ए. एस.	३७	दिनांक २७-७ ५८से रु.६७९	अजमेरएम्प्लॉयड।
१३.	श्री कन्हैयालाल बराया, आर. ए. एस.	४१	दिनांक १-१-५९ को रु०५७५ तथा विशिष्ट वेतन १५०	२५०-[illegible]५-५०० ई. बी. २५-७५०
१४.	श्री हनुमानसहाय रावत, आर. ए.एस	४७	दिनांक २१-१०-५८ से रु० २२५ तथा विशिष्ट वेतन रु० १५०	,, ,,

१	२	३	४	५
१५.	श्री विजयसिंह. आर.ए. एस.	५६	दिनांक २२-६-५७ से रु० ३७५	,,
			तथा विशिष्ट वेतन रु० १५०	,,
१६.	श्री इकबालनाथ कौल, आर. ए. एस.	६४	दिनांक १-१-५६ को रु० ५७५	,,
			तथा विशिष्ट वेतन २५०	,,
१७.	श्योराम जैन, आर. ए. एस.	११०	दिनांक ३-११-५८ से रु० ५२५	,,
			तथा विशिष्ट वेतन रु. १००	,,

परिशिष्ट २.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६८ का उत्तर देखिए।)

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु भिजवाये गये अधिकारियों की सूची

नाम	जाति	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	पद	साल
१. श्री एम.पी. कल्ला	ब्राह्मण	एम. ए. डी. एस. एस. ए.	२४-३-५२	सहायक संचालक	१९५८
२. श्री एम. एल. बोर्दिया	महाजन	इन्टरमीजिएट	१-१-५१	सहायक संचालक	१९५८
३. श्री उत्सवलाल शर्मा	ब्राह्मण	एम. ए.	२१-३-४६	सहायक संचालक	१९५८
४. सुश्री लीला अलीम चन्दानी	सिंधी	बी. ए., एल. एल. बी.	२-१२-५७	सहायक महिला अधिकारी	१९५८
५. श्री जगदीशप्रसाद,	नाई	,,	६-६-५४	समाज कल्याण अधिकारी	१९५६

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिए ।]

१. श्री मोहम्मद बक्स पुत्र लालजी खूसला कुम्हार
२. ,, श्रीमाली रतनलाल पुत्र कूजी
३. ,, प्रताप पुत्र चूनाजी लुहार
४. ,, मिश्रीलाल पुत्र चूनाजी
५. ,, श्रीलाल पुत्र गिरजाजी
६. ,, मिश्रीलाल पुत्र फोमाजी श्रीमाली
७. ,, भैरूलाल पुत्र मिश्रीलाल
८. ,, करनमल पुत्र कालूजी पटवारी
९. ,, ओंकारलाल वासुदेव अग्रवाल
१०. ,, केवलचन्द
११. ,, प्रभुलाल
१२. ,, नाथूलाल पुत्र बंशीधर श्री माली
१३. ,, गफूर पुत्र करीमजी थोरी
१४. ,, हर्सिया भील
१५. ,, जोगला भील
१६. ,, मिश्रीलाल भील
१७. ,, पूनमा भील
१८. ,, छोगला भील
१९. ,, खेता भील
२०. ,, प्रताप भील
२१. ,, हेमता मेगवाल पुत्र मंगलिया
२२. ,, मंगलिया मेगवाल पुत्र गिरधारी
२३. ,, सरदार पुत्र मोडू
२४. ,, प्रहलाद
२५. ,, काछावसिंह पुत्र दौलतसिंह

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७० का उत्तर देखिए।]

1. Seth Pusalal Mansinghka :	3899 acres	Deadrent @ Rs. 8/- p. a. per acre and other terms as per MCR 1949 amended from time to time.			
	1324 ,, ,,	@ Rs. 8/-	—do—	—do—	
	1205 ,, ,,	Rs. 5/-	—do—	—do—	
	80 ,, ,,	Rs. 8/-	—do—	—do—	
2. Shri Gyan Mal Kothari :	560 ,, U/120 ,, (P. L.)	Re. 1/-	—do—	—do—	
3. Shri Shiv Charan Mathur.	Question does not arise.				

		Deadrent	Royalty
1. Seth Pusalal Mansinghka.			
3899 acres (36 blocks) Mica	1—11—52 to 31—10—53 2850 acres	Rs. 22,800/-	Rs. —
& 1324 ,, (4 ,,) ,,	2—11—53 to 31—10—54 2850 ,,	Rs. 22,800/-	Rs. 23,593/8/-
	1—11—54 to 31—10—55 2850 ,, (From 1—1—55 plus 1049 ,,)	Rs. 29,793.31	Rs. —
	1—11—55 to 31—10—56 3899 ,, (From 2—2—56 plus 1324 ,,)	Rs. 32,890.33	Rs. —
	1—11—56 to 28—2—57	Rs. 41,784/-	Rs. —
	1— 3—57 to 31—9—57 (Royalty on mica in balance on 30—9—57/1—10—57 to 31—10—57)	—	Rs. 55,263/-
	1—11—57 to 31—10—58	Rs. 41,784/-	Rs. 31,099.33 n.P.
	1—11—58 to 30—4—59	Rs. 20,892/-	Rs. —

1	2	3	4	5	6
	1205 „	Beryl.		Rs. 6,025/-	Rs. 31,400.74 n.P. Upto 19—9—58
	80 „	Asbestes.		Rs. 640/-	Rs. 2,599.72 n.P. Upto 26—2—59.
2.	Shri Gyan Mal Kothari.	Mica 560 acres	P. L. Fee	Rs. 560/-	Rs. 381.70 n.P.
3.	Shri Shivcharan Mathur		Question does not arise.		from Nov. 57 to Oct. '58.

———

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८४ का उत्तर देखिए ।]

सूची, उन ग्रामों की जिनमें अग्निकांड हुआ

तहसील	नामग्राम
कोटपुतली	१. बनेटी
	२. बड़नगर
	३. ढानी मंगलदास वाली
	४. भालोजी
	५. पुरुषोत्तमपुरा
	६. बूचाहेड़ा
	७. ललाना
बैराठ	१. करीरी
	२. मेड़
	३. मामरू
	४. विलान्दरपुरा
	५. बैराठ
	६. चक खाड़ा
	७. नायन

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये ।)

राजस्थान में अब तक जितने गाड़िया लुहारों को बसाया गया, उसकी सूची

क्रम सं०	नाम जिला	परिवार संख्या
१.	चित्तौड़गढ़	३४
२.	उदयपुर	४
३.	बीकानेर	७१
४.	चूरू	१३
५.	गंगानगर	११
६.	जोधपुर	१२८
७.	पाली	१०४
८.	बाड़मेर	४१
९.	जैसलमेर	२२
१०.	नागौर	२४१
११.	अजमेर	६५
	योग	७६४

Page No.125

परिशिष्ट ७

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देखिए ।]

लिस्ट आसामियान मौ० राजोर जिनकी जमीन सिवाय चक दि. २. ६. ५८ को अलॉट की गई ।

नम्बर शुमार १	नाम आसामी २	तादाद रकबा ३	नं० शु० १	नाम आसामी २	तादाद रकबा ३
१.	जिन्सी वल्द सोना मीना	६॥	२.	सामराज वल्द नंदा मीना	६॥
३.	श्योदान वल्द सुखचन्द मीना	,,	४.	खिलारी वल्द किशनलाल मीना	६॥
५.	श्री अरजुन वल्द श्योनारायण मीना	,,	६.	गणेश वल्द काचा मीना	,,
७.	रामसहाय वल्द मांग्या मीना	,,	८.	श्रीचन्द वल्द मनफूल मीना	,,
९.	कारया वल्द मनफूल कुम्हार	,,	१०.	गिर्राज वल्द गोपाल ब्राह्मण	,,
११.	मीना वल्द जोहरी मीना	,,	१२.	घमन्डी वल्द रामकरन मीना	,,
१३.	गिरधारीलाल वल्द मुरली कुम्हार	,,	१४.	हरिया वल्द श्रीया मीना	,,
१५.	रामय वल्द चत्रा मीना	,,	१६.	कजोड वल्द देवा मीना	,,
१७.	बदना वल्द गिर्राज खाती	,,	१८.	पचीया वल्द जोहरी मीना	६॥
१९.	भोपा वल्द भोजा मीना	,,	२०.	रामलाल वल्द रामदयाल	६॥ १
२१.	रामभरोसे वल्द श्योनारायण मीना	६॥ १	२२.	चिम्मन पुत्र मनफूल मीना	६॥ १
२३.	गोदया पुत्र मूला चमार	२॥ ३	२४.	छपना पुत्र फूला चमार	२॥ ३
२५.	छोट्या पुत्र भम्म चमार	२॥ ३	२६.	पांचा पुत्र फूला चमार	२॥ ३

१	२	३	१	२	३
२७.	शंकर पुत्र सुखा चमार	२॥ ३	२८.	रामद्देत पुत्र भीला चमार	२॥ ३
२९.	बिशना पुत्र मूला चमार	२॥ ३	३०	गुल्ला वल्द मूला चमार	२॥ २
३१.	भागीरथ वल्द मूला चमार	२॥ ३	३२.	घीस्या वल्द भम्बू चमार	२॥ २
३३.	मांग्या पुत्र मूला चमार	२॥ २	३४.	रामपाल पुत्र पुन्या चमार	२॥२
३५.	मथुरा पुत्र फूला चमार	२॥ २			

शुद्धि-पत्र

(३१ अगस्त, १६५६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३२४८	१५	अजगेर	अजमेर
,,	२३	आफ स्कूल	ऑफ स्कूल्स
,,	२८	सनिटरेटी	सीनियोरिटी
३२६२	१५	Royyalt	royalty
३२६५	१७	infanction	injunction
,,	२३	event	even
,,	२६	say did	say when did
३२७३	४	इसकी व मुझे	इसकी तो मुझे
३२८५	१४	ha e	have
३२८६	११	का समाज	क्या समाज
३२६२	२–३	बसाय है उसको	बसाया है उनको
३२६७	३	कोकेरीकुलर	केरीकूलर
,,	१६	खालत	खोलते
३२६६	५	सवाद	संवाद
३३००	१०	श्री हरिभऊ उपध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	१४	विनयोग	विनियोग
३३०२	६	प्रोपोर्शनट	प्रोपोर्शनेट
३३०३	१८	seen	seven
,,	अन्तिम से ४	practce	Practice

१	२	३	४
३३०५	१	co-extensie	co-extensive
,,	अन्तिमसे ८	रिप्रेजेन्शन	रीप्रेजेन्टेशन
३३०६	११	सत	सात
,,	,,	संशोध	संशोधन
,,	१३	'Foest' 'after' 'Cottag'	'Forest' 'after' 'Cottage'
,,	१५	Scial	Social
३३०७	१	repe	repre
,,	११	Subst tute	Substitute
३३०८	अन्तिम से ४	delelopment	development
,,	,,	Clas	Class
३३१०	८	अन्त गतजितन	अन्तर्गत जितने
३३१२	१	झड़े	झगड़े
,,	५	Standng	standing
३३१४	७	Smiti	Samiti
३३१६	२७	enu rated	enumerated
३३२६	१	vikas Alhikar	Vikas Adhikari
३३२८	१२	excention	execution
,,	१६	safity	safety
३३३१	२०	Condidered	Considered
३३३२	१२	th	the

१	२	३	४
,,	२२	o	of
३३४०	६–१०	श्री परशराम	श्री परसराम
३३४२	१४	have	has
३३४५	१२	ozer	ov er
३३४६	५	oi	of
३३५१	२०	राट	राइट
,,	२४	ऑडिफाइन्ड	अन्‌डिफाइन्ड
३३८५	प्रथम	(राव श्री नारायणसिंह)	(राव श्री नारायणसिंह)
३४०५	५	immovablu	immovable
,,	६	मोर्टगेज	मोरगेज
,,	१४	,,	,,
,,	१५	तरफो	तरफ
३४२७	१०	may	my
,,	१६	abolishor	abolished
३४४३	१५	nse	use
३४४८	११	thy	they
३४५२	अन्तिम से २	प्रनूएन्हान्एड	एन्हेन्स्ड
३४६०	१२	अन एफिसियेन्ट	इन्एफीशियेंट